लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खंड 39, 1965/1886 (शक)

Volume, XXXIX, 1965/1886 (Saka)

[3 से 16 मार्च, 1965/12 से 25 फाल्गुन, 1886 (शक)]

[March 3 to 16, 1965/Phalguna 12 to 25, 1886 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)

Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं

Vol. XXXIX contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 13—5 मार्च, 1965/14 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
278	माल-डिब्बों का ठीक प्रकार से उपयोग न किया जाना	1075—76
279	इस्पात कारखानों के लिये जापानी सहायता	1076—79
280	आसाम में रेल संचार	1079—82
281	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	1082—86
282	अख़बारी कागज़ का उत्पादन	1086—90
283	यूगोस्लाविया को लौह-अयस्क का निर्यात	1091—92
284	कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे	1092—95
285	सिंगरौली में कोयला निक्षेप	1095—97
286	रूई का भाव	1097—98

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
287	कच्चे माल का वितरण	1098
288	निर्यात प्रोत्साहन योजना	1099
289	मोटर के पुर्जों के मूल्य	1100
290	इस्पात कारखाने	1100—01
291	लोह-अयस्क तथा मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात	1101
292	खाद्यान्नों में वायदा व्यापार	1101—02
293	कोयला खनन लागत	1102—03
294	अवैध इस्पात का पकड़ा जाना	1103
295	सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का आवंटन	1104
296	भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार करार	1105
297	रेलवे चिकित्सा अधिकारी	1105—06
298	औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया	1106
299	कोयला खान मजदूरों द्वारा हड़ताल की धमकी	1106—07
300	कपड़ा उद्योग	1107—08
301	दक्षिण मध्य रेलवे खंड	1108

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 13.—Friday, March 5, 1965/Phalguna 14, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Q. Nos.	*Subject*	*Pages*
278	Defective Handling of Wagons . .	1075–76
279	Japanese Aid for Steel Plants .	1076—79
280	Rail Communication in Assam . .	1079—82
281	Heavy Engineering Corporation, Ranchi .	1082—86
282	Newsprint Production . .	1086—90
283	Export of Iron Ore to Yugoslavia	1091–92
284	Circular Railway in Calcutta .	1092—95
285	Coal Reserves at Singrauali	1095—97
286	Price of Cotton	1097–98

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Q. Nos.		
287	Distribution of Raw Materials.	1098
288	Export Incentive Scheme	1099
289	Prices of Motor Parts	1100
290	Steel Plants	1100–01
291	Export of Iron Ore and Manganese Ore . . .	1101
292	Forward Trading in foodgrains	1101–02
293	Mining Cost of Coal	1102–03
294	Seizure of Contraband Steel	1103
295	Allotment of Scooters to Government Employees . .	1104
296	Indo-Ceylonese Trade Pact	1105
297	Railway Medical Officers	1105–06
298	Industrial Licences Procedure	1106
299	Strike Threat by Colliery Workers	1106–07
300	Textile Industry	1107–08
301	South-Central Railway Zone	1108

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
651	चौथी योजना के लिए इस्पात का लक्ष्य	1109
652	राजस्थान में उद्योगों का विकास	1109–10
653	कालीन बनाने के कारखाने	1110
654	उत्तर रेलवे में यात्रियों के लिये सुविधायें	1110
655	बीकानेर-दिल्ली मेल	1111
656	जमालपुर वर्कशाप के लिस्टर ट्रक चालक	1111
657	गंधक तथा राक फासफेट का आयात	1111–12
658	माल गाड़ी में चोरी	1112–13
659	"बंसधारा" नदी पर रेलवे पुल	1113
660	चुराया गया रेलवे सामान	1113–14
661	वेदारणयम् रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारी	1114
662	स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में भोजन व्यवस्था	1114–15
663	केरल में रबड़ की खेती	1115
664	रेलवे कर्मचारी की हत्या	1115
665	मशीनी औज़ार बनाने वाले उद्योगों का विकास	1115–16
666	लाइट रेलवे कम्पनियां	1116
667	रेलवे के फाटकों पर दुर्घटनायें	1116—18
668	माल का लाना ले जाना	1118
669	करताल-कमासन और झांसी-मानिकपुर रेल सम्पर्क	1119
670	रेलवे कर्मचारी	1119–20
671	बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग	1120
672	लोहे की भाड़े की दरें	1120–21
673	व्यापार विशेषज्ञों का अन्तर्राष्ट्रीय दल	1121
674	पठानकोट में रेल सम्पर्क के एक डिब्बे में लड़की के शव का पाया जाना	1121
675	दीवा-पन्वेल रेल सम्पर्क	1122
676	सीमेन्ट निगम	1122–23
677	बन्दरों का निर्यात	1123
678	इंडियन चलचित्र निर्यात निगम	1123
679	फोटो-संबंधी सामान का आयात	1124
680	रेलवे प्लेटफार्मों पर भीख मांगना	1124–25
681	अलीगढ़ रेलवे स्टेशन	1125
682	भारत दर्शन यात्रायें	1126
683	नेपाल में सीमेंट और इंजीनियरिंग उद्योग	1126
684	रूस के साथ व्यापार	1127
685	प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बों में सीढ़ियां	1127
686	बस्तर में इस्पात संयंत्र	1127–28
687	इस्पात परियोजनाओं में विनियोजन	1128–29

Unstarted Q. Nos.	*Subject*	PAGES
651	Steel Target for Fourth Plan	1109
652	Development of Industries in Rajasthan	1109–10
653	Carpet Factories	1110
654	Amenities for Passengers on Northern Railway	1110
655	Bikaner-Delhi Mail	1111
656	Lister Truck Drivers of Jamalpur Workshop	1111
657	Import of Sulphur and Rock Phosphate	1111–12
658	Theft in a Goods Train	1112–13
659	Railway Bridge Across "Vamsadara"	1113
660	Stolen Railways Goods	1113–14
661	Railway Personnel of Vedaranniyan Railway Station	1114
662	Catering on Stations and Trains	1114–15
663	Rubber Plantation in Kerala	1115
664	Murder of Railway Official	1115
665	Development of Machine Tool Manufacturing Industries	1115–16
666	Light Railway Companies	1116
667	Accidents at Railway Level Crossing	1116—18
668	Movement of Goods Traffic	1118
669	Kartal-Kamasin and Jhansi-Manikpur Rail Link	1119
670	Railway Employees	1119–20
671	Ticketless Travellers	1120
672	Freight Rates for Iron	1120–21
673	International Team of Trade Experts	1121
674	Girl's Body in a Railway Compartment at Pathankot	1121
675	Diva-Panvel Rail Link	1122
676	Cement Corporation	1122–23
677	Export of Monkeys	1123
678	Indian Motion Pictures Export Corporation	1123
679	Import of Photographic Goods	1124
680	Begging of Platforms	1124–25
681	Aligarh Railway Station	1125
682	Bharat Darshan Tours	1126
683	Cement and Engineering Industries in Nepal	1126
684	Trade with U.S.S.R.	1127
685	Ladders in First Class Compartments	1127
686	Steel Plant in Bastar	1127–28
687	Investments in Steel Projects	1128–29

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
688	व्यापार प्रतिनिधि मंडल	1129
689	उत्तर रेलवे में सहकारी ऋण समितियां	1129–30
690	जवानवाला शहर और गूलर के बीच रेलवे लाइन	1130
691	सीमेन्ट का नियतन	1130
692	राजस्थान में मशीनी औजार कारखाना	1131
693	मोटर गाड़ियों का निर्माण	1131
694	भिलाई में सीमेन्ट कारखाना	1131–32
695	हावड़ा-पंचकुरा खंड में पुलों का निर्माण	1132–33
696	बरसुआं-तलचर रेलवे लाइन	1133
697	पंजाब में भारी उद्योग	1133–34
698	उत्तर रेलवे के लेखा विभाग में भ्रष्टाचार	1134
699	दिल्ली डिवीजन में खोमचा ठेकेदार	1135
700	सस्ते कैमरों का निर्माण	1136
701	मध्य प्रदेश में खनिज निक्षेप	1136–37
702	राजामुंद्री के निकट गोदावरी पर पुल	1137
703	सिंगरेनी कोयला खान	1137–38
704	भोजदीह में ऊपरी पुल	1138
705	इटावा के पास रेलगाड़ी की टक्कर	1138–39
706	ड्रम तथा बैरल बनाने का कारखाना	1139
707	अनारा जंक्शन पर ऊपरी पुल	1139
708	दालों तथा बनस्पति तेल का निर्यात	1140
709	सोनागढ़ में लुगदी बनाने का कारखाना	1140
710	रूरकेला इस्पात कारखाना	1140–41
711	तटीय नौवहन द्वारा कोयले की ढुलाई	1141
712	दक्षिण पूर्व रेलवे में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	1141
713	दक्षिण पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	1141–42
714	नमक उद्योग	1142–43
715	नये उद्योगों के लिये लाइसेंस	1143
716	कपड़े का मूल्य	1144
717	मसाला सम्बन्धी गोष्ठी	1144
718	उत्तरी क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण	1145
719	गुंटूर रेल दुर्घटना	1145
720	नैरो-गेज रेलवे लाइनें	1146
721	बरहन-एटा लाइन	1146
722	इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के निकट अनधिकृत निर्माण	1146–47
723	जस्ते का आयात	1147
724	कच्चा लोहा	1147–48
725	बनारस के निकट रेलगाड़ी और ट्रक की टक्कर	1148

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Questions No.	*Subject*	PAGES
688	Trade Delegations	1129
689	Cooperative Credit Societies on N. Railway	1129–30
690	Jawanwala Shahar Gular Railway Line	1130
691	Allocation of Cement	1130
692	Machine Tools Factory in Rajasthan	1131
693	Manufacture of Automobiles	1131
694	Cement Factory at Bhilai	1131–32
695	Construction of Bridges on Howrah-Panchkuru Section	1132–33
696	Barsuan-Talchar Railway Line	1133
697	Heavy Industries in Punjab	1133–34
698	Corruption in Northern Rly. Accounts Deptt.	1134
699	Vending Contractors of Delhi Division	1135
700	Manufacture of Cheap Cameras	1136
701	Mineral Deposits in M.P.	1136–37
702	Bridge over Godavari near Rajahmundry	1137
703	Singareni Collieries	1137–38
704	Overbridge at Bhojadih	1138
705	Train Collision near Etawah	1138–39
706	Drum and Barrel Factory	1139
707	Overbridge at Anara Junction	1139
708	Export of pulses and Vegetable Oil	1140
709	Pulp Unit in Songad	1140
710	Rourkela Steel Plant	1140–41
711	Coal Haulage by Coastal Shipping	1141
712	Class III employees on S. E. Railway	1141
713	Corruption cases on S. E. Railway	1141–42
714	Salt Industry	1142–43
715	Licences for New Industries	1143
716	Price of Cloth	1144
717	Spices Seminar	1144
718	Geological Survey of Northern Region	1145
719	Guntur Railway Accident	1145
720	Narrow-Gauge Railway Lines	1146
721	Barhan-Etah Line	1146
722	Unauthorised Structures near Allahabad Railway Station	1146–47
723	Import of Zinc	1147
724	Pig Iron	1147–48
725	Train Truck Collision near Banaras	1148

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
726	कोयले पर स्वामित्व	1149
727	स्कूटरों का आवंटन	1149–50
728	स्कूटरों का आवंटन	1150––52
729	मैंगनीज़ और लौह-अयस्क की खानें	1152
730	खनन पट्टे	1152
731	इस्पात और कच्चे लोहे के कारखाने	1152–53
732	ढले हुए लोहे के ढांचे	1153–54
733	चावल के निर्यात के लिये माल डिब्बे	1154
734	नारियल का निर्यात	1155–55
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	1155—62
	जीवन बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा हड़ताल करने का निश्चय श्री हुकम चन्द कछवाय श्री ति० त० कृष्णमाचारी	1155––62
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	1162–63
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	1163—65
	अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे), 1964-65	1165
	सभा का कार्य	1165—68
	रेलवे आय-व्ययक-सामान्य चर्चा	1168—73
	श्री स० मो० बनर्जी	1168
	श्री विभूति मिश्र	1168–69
	श्री राम सहाय पाण्डेय	1169–70
	श्री ज० रा० मेहता	1170–71
	श्री गुलशन	1171–72
	श्री श्यामलाल सर्राफ	1172–73
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	1173–74
	सत्तावनवां प्रतिवेदन	1173–74
	विधेयक पुरःस्थापित	1174––76

1. हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (**धारा 14 का संशोधन**) [श्री द्वा० ना० तिवारी का]
2. मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (**धारा 6 का संशोधन**) [श्री यशपाल सिंह का]
3. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक (**धारा 24 और 55 का संशोधन**) [श्री पाराशर का]
4. मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (**धारा 24 का संशोधन**) [श्री यशपाल सिंह का]
5. अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्, विधेयक [श्री अ० वि० शर्मा का]

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question No.	*Subject*	**Pages**
726	Royalty on Coal . .	1149
727	Allotment of Scooters . .	1149–50
728	Allotment of Scooters	1150—52
729	Manganese and Iron ore Mines	1152
730	Mining Leases	1152
731	Steel and Pig Iron Producing Units	1152–53
732	Cast Iron Skull	1153–54
733	Wagons for export of Rice	1154
734	Export of Coconut.	1154–55
	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	1155—62
	Decision of L.I.C. Officers to go on strike . . .	1155—62
	Shri Hukam Chand Kachhavaiya.	
	Shri T. T. Krishnamachari	
	Papers laid on the Table	1162–63
	Re : Question of Privilege	1163—65
	Demands for Supplementary Grants (Railways), 1964-65 . .	1165
	Statement presented	
	Business of the House	1165—68
	Railway Budget—General Discussion	1168—73
	Shri S. M. Banerjee	1168
	Shri Bibhuti Mishra	1168–69
	Shri R. S. Pandey	1169–70
	Shri J. R. Mehta	1170–71
	Shri Gulshan	1171–72
	Shri Shan Lal Saraf	1172–73
	Committee on Private Members' Bills and Resolutions . .	1173–74
	Fifty-seventh Report	1173–74
	Bills introduced	1174—76
	1. Hindu Succession (Amendment) Bill (*Amendment of section* 14) by Shri D. N. Tiwary	
	2. Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill (*Amendment of section* 6) by Shri Yashpal Singh . .	
	3. Advocates (Amendment) Bill (*Amendment of sections* 24 *and* 55) by Shri Parashar	
	4. Motor Vehicles (Amendment) Bill (*Amendment of section* 24) by Shri Yashpal Singh	
	5. All India Ayurvedic Medical Council Bill by Shri A. T. Sarma	

विषय	पृष्ठ
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . . .	1176—86
(धारा 109 का हटाया जाना) [डा० राम मनोहर लोहिया का]—अस्वीकृत	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री राम सेवक यादव	1176–77
श्री उ० मू० त्रिवेदी	1177–78
श्री सरजू पाण्डेय . . .	1178
श्री पाराशर . . .	1178
श्री नि० च० चटर्जी . .	1178–79
श्री सिद्ध्या . . .	1179
श्री ओंकार लाल बेरवा . .	1179
श्री बाल्मीकी	1179–80
श्री दी० चं० शर्मा . . .	1180
डा० मा० श्री अणे .	1180–81
श्री शा० ना० चतुर्वेदी	1181–82
श्री कु० कृ० वर्मा	1182–83
श्री स० मो० बनर्जी . . .	1183–84
श्री हाथी	1184–86
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 का संशोधन) [श्री यशपाल सिंह का]	
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री यशपाल सिंह	1187
श्री दी० चं० शर्मा	1187
लोहा और इस्पात उत्पादों पर उत्पादन शुल्क की दरों में तालमेल—	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी . . .	1188
राष्ट्रपति से सन्देश	1188

Subject	PAGES
Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill—*Negatived*	1176—86
Motion to consider	
Shri Ram Sewak Yadav	1176-77
Shri U. M. Trivedi	1177-78
Shri Sarjoo Pandey	1178
Shri Parashar	1178
Shri N. C. Chatterjee	1178-79
Shri Siddiah	1179
Shri Onkar Lal Berwa	1179
Shri Balmiki	1179-80
Shri D. C. Sharma	1180
Dr. M. S. Aney	1180-81
Shri S. N. Chaturvedi	1181-82
Shri K. K. Verma	1182-83
Shri S. M. Banerjee	1183-84
Shri Hathi	1184—86
Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of article* 75) by Shri Yashpal Singh	1187
Motion to consider	1187
Shri Yashpal Singh	1187
Shri D. C. Sharma	1187
Statement *re* : adjustments in rates of excise duty on iron and steel products.	1188
Shri T. T. Krishnamachari	1188
Message from the President.	1188

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 5 मार्च, 1965 / 14 फाल्गुन, 1886 (शक)

Friday, March 5, 1965 / Phalguna 14, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

माल डिब्बों का ठीक प्रकार से उपयोग न किया जाना

+

*278. श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन में माल-डिब्बों के ठीक प्रकार से उपयोग न किये जाने के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1964 में गेहूं तथा कोयले की कमी हो गई थी, जांच का आदेश दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच-कार्य आजकल किस अवस्था में है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) रेलवे की वजह से राजधानी में न कोयले की कमी हुई और न आयातित गेहूं की । इसलिये जांच कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ।

Shri Yashpal Singh: According to the press report wagons were not available and this resulted in the shortage of wheat. Have the government refuted it through press?

Shri Sham Nath: This is not correct. If there was any such press report, it was wrong. As far as movement of foodgrains during December, January and February is concerned, it was double in comparison to the corresponding period of the last year.

Shri Yashpal Singh: But when the people went to the market for wheat it was not available either due to something wrong done by businessmen or due to any other reason. What action has been taken by the government to remove this difficulty?

Shri Sham Nath: I have just said that there was no such thing like that for which Railway is responsible. If the people of Delhi had to face any difficulty, it might be due to something done by businessmen.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह कमी मुगलसराय में कोयले के लिए कम मालडिब्बे उपलब्ध किये जाने के फलस्वरूप हुई थी और यदि हां, तो क्या इस कठिनाई को दूर कर दिया गया है और अब पर्याप्त माल डिब्बे उपलब्ध किये जाते हैं ?

श्री शाम नाथ : श्रीमान्, ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी ।

इस्पात कारखानों के लिए जापानी सहायता

\+

*279. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग के बारे में जापान के साथ वार्ता पूरी हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) कुछ जापानी फर्मों के साथ, जिन्होंने हाल में इस देश में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की सम्भाव्यता की जांच करने में अभिरुचि ली थी, बातचीत के दौरान भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि ऐसे सहयोग / सहायता का स्वागत किया जाएगा । उनके प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस बात का कोई अन्तिम फैसला कर लिया गया है कि वे केवल सरकारी क्षेत्र में ही इस्पात कारखाना स्थापित करेंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कोई इस्पात कारखाना लगायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : अभी कोई सुस्पष्ट फैसला नहीं किया गया है। जब इस्पात निर्माता जापानी किरिबुरु का उद्घाटन करने आये थे तो मैं ने यह सुझाव दिया था। तत्पश्चात् जब वे दिल्ली आये तो मैं ने और श्री मनुभाई शाह ने उनसे चर्चा की थी, जो अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : किस ने निर्णय नहीं किया है, हमारी सरकार ने अथवा जापानी दल ने ? क्या हमारे देश से विशेषज्ञों का एक दल इस मामले को अन्तिम रूप देने के लिए जापान जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी जैसा मैं ने बताया कि मैं ने और श्री मनुभाई शाह ने उनको यह सुझाव दिया था। कोई व्यक्ति जापान नहीं जा रहा है। स्पष्ट है, और आगे बातचीत दूतावास द्वारा की जायेगी ।

Shri Yashpal Singh: Have the government tried to get assistance from any other country also in the matter?

श्री संजीव रेड्डी : जी, हां। हम कई देशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, अभी अंग्रेजी-अमरीकी सार्थ हमारी सहायता कर रहे हैं। यह एक गैर-सरकारी अभिकरण है। हम दूसरे देशों को भी सहायता के लिए कहने का विचार कर रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know the cost of the plant which is going to be established?

श्री संजीव रेड्डी यदि वह जापानी कारखाने के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं ने अभी बतया कि बातचीत अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और उस बारे में ब्योरा तैयार नहीं किया गया है ।

श्री कपूर सिंह: क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस्पात के उत्पादन और खर्चे के बारे में अतिस्पष्ट अन्तर का पता लगाने की ओर कभी ध्यान दिया है और यदि हां, तो वे सरकारी इस्पात क्षेत्र में राष्ट्रीय धन और संसाधनों को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं ?

श्री संजीव रेड्डी मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होता है; यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है ।

श्री कपूर सिंह श्रीमान्, वह नहीं जानते हैं, कृपया इन्हें बतायें कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से ही उठता है ।

Shri R. S. Tiwary: Apart from financial assistance, may I know whether any engineers would be sent to Japan for training?

Shri P. C. Sethi: It is a thing of the future. They will go if there is collaboration.

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या: क्या सरकार देश में चौथी योजना के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करते समय क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी और जहां पर्याप्त खनिज उपलब्ध है वहां इस्पात कारखाने लगाने की कोशिश करेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : श्रीमन्, यह एक सामान्य प्रश्न है जिसका अभी उत्तर देना मेरे लिये कठिन है। परन्तु हमें कच्चे माल की उपलब्धता तथा अन्य विभिन्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ।

श्री हरिश्चीचन्द्र माथुर : माननीय मंत्री तथा श्री मनुभाई शाह द्वारा किया गया प्रस्ताव क्या था और क्या उन्होंने भविष्य में लगाये जाने वाले कारखानों के आकार के बारे में कोई फैसला कर लिया है ?

श्री संजीव रड्डी : जी, नहीं ; यह सब तो उन से मिलने वाली पूंजी पर निर्भर करेगा। कारखाने का बड़ा छोटा होना तो पूंजी पर ही निर्भर करता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैंने इस कारखाने के बारे में नहीं पूछा। अब कुछ ऐसी रचना है कि यदि लाभकारी हो तो हमें 50 लाख टन की क्षमता वाले कारखाने स्थापित करने चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा प्रस्ताव क्या था और क्या हमने भविष्य में लगाये जाने वाले कारखानों के आकार के बारे में कोई फैसला किया है ?

श्री संजीव रेड्डी: यदि यह एक सामान्य प्रश्न है और जापानियों से हुई बातचीत से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है, तो वे कहते हैं कि सामान्यतया 10 लाख और 40 लाख टन के बीच वाले कारखाने लाभकारी रहेंगे। यही हम भी कर रहे हैं। जहां तक जापानी कारखाने का सम्बन्ध है मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता क्योंकि उसका आकार तो सहायता की, जो वे दे सकेंगे, मात्रा पर निर्भर करेगा। यदि हमें सहायता मिलेगी तो हम तो छोटा कारखाना भी लगा लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि नये इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए जापान के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ भी बातचीत की जा रही है । जब ये प्रस्ताव किये जा रहे हैं और बातचीत हो रही है तो क्या सरकार के पास देश में नये इस्पात कारखानों की स्थापना करने की सम्भावनाओं की कोई मूल योजना है; और यदि हां, तो सरकारके ध्यान में कौन से राज्य अथवा स्थान है जहां यह कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : कई स्थान हैं। सभी राज्य अपने दावे पर बल देते रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : परन्तु सरकार के ध्यान में कुछ स्थान होंगे।

श्री सजीव रड्डी : मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अंग्रेज़ी-अमरीकी सार्थ के विचार के लिए पांच स्थान बताये गये हैं। सैलम-निवेली, विशाखापटनम--बेलाडिला, होसपेट-गोआ आदि स्थान हैं। कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए 8 और स्थान विचाराधीन हैं उनमें से एक उड़ीसा में भी है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक उड़ीसा में है तो काफी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट है कि यह पेशकश हमारी ओर से की गई थी, क्या इस पेशकश के दौरान जापानियों को यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि यदि करार हो गया तो यह कारखाना औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसरण में पूरी तरह से सरकारी क्षत्र में होगा ?

श्री सजीव रेड्डी : निसन्देह ।

श्री अल्वरिस : जहां तक हमें जानकारी है, चौथा इस्पात कारखाना रूसी तकनीशियनों को सौंपा गया है, और पांचवें कारखाने के बारे में अमरीकी जांच कर रहे हैं । क्या यह जापानी पेशकश अमरीकियों की होड़ में पांचवे इस्पात कारखाने की बारे में है अथवा यह छट इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में है ?

श्री संजीव रेड्डी : पांचवां इस्पात कारखाना भी अभी अन्तिम रूप से किसी को नहीं सौंपा गया है । अंग्रेजी अमरीकी दल इस का अभी अध्ययन कर रहा है । हमने अभी वित्तीय सहायता आदि के रूप में किसी चीज़ पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और न ही अभी परियोजना की रिपोर्ट ही तैयार हुई है । अतः विभिन्न देशों से सम्भावनाओं की जांच की जा रही है ।

श्री अल्वारेस : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या जापानी पेशकश . . .

अध्यक्ष महोदय : पांचवें कारखाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया । यदि इस का फैसला जल्दी कर लिया जायेगा तो यह पांचवां होगा ।

आसाम में रेल संचार

*280. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाडेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस वर्ष जनवरी में आसाम का दौरा किया था ताकि वे उस राज्य में रेल संचार को बढ़ाने की आवश्यकताओं का स्वयं अध्ययन कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो उनके अध्ययन से क्या परिणाम निकला; और

(ग) उस क्षेत्र में रेल संचार को बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष में कौन सी योजनायें आरम्भ की जायेंगी ?

रलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां । जनवरी, 1965 में रेल मंत्री ने असम का दौरा किया था । असम में रेल संचार का विस्तार करने की आवश्यकता का अध्ययन करना उन मुख्य बातों में से एक थी जिस के लिए रेल मंत्री ने यह दौरा किया था ।

(ख) और (ग) असम की परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। बड़ी लाइन को सिलीगुड़ी से जोगीघोपा तक बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही, खजूरिया / फरक्का घाट पर फेरी क्षमता को बड़ी लाइन के 200 माल डिब्बों से बढ़ा कर 400 माल डिब्बे प्रति दिन तक किया जा रहा है। वर्तमान मीटर लाइन खण्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए बोगाईगांव और गुवाँहाटी के बीच आधुनिकतम प्रणाली के सिगनल केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण (Centralised Traffic Control) की व्यवस्था की जा रही है। लामडिग, तिनसुकिया, अलीपुरद्वार, रंगिया और सिलीगुड़ी स्टेशनों पर यार्डों के ढांचों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों और चामरग्राम और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच के खण्ड में लाइन-क्षमता के कामों की या तो मंजूरी दी गई है या काम हो रहे हैं।

इसके अलावा, परिवहन मंत्रालय ने सड़क परिवहन की क्षमता बढ़ाने और एक अंतस्थलीय बन्दरगाह सहित बोगाईगांव / जोगीघोपा से आगे नदी परिवहन की क्षमता बहाने की योजनायें भी बनायी है।

आशा है कि इन सब उपायों के फलस्वरूप असम की वर्तमान परिवहन क्षमता दुगनी हो जायेगी; फिर भी रेल मंत्रालय तथा सरकार के अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा इस समस्या को हमेशा ध्यान में रखा जायेगा।

Shri Yashpal Singh: In view of the fact that the border of Assam adjoins the borders of Pakistan and China and the security of India is in danger from both of them, what action is being taken by the government to expedite the works in respect of augmentation of rail communications there?

Shri Sham Nath: That is why I have just mentioned 4-5 schemes which are in hand. Efforts are being made to increase the existing transport capacity to the maximum. An approximate total amount of Rs. 68 crores is going to be spent on these schemes.

Shri Yashpal Singh: May I know whether any help would be sought from any state for these works or this work would be carried on by the Railways itself without the help of a contractor or a middleman?

Shri Sham Nath: The question of seeking help from other states does not arise as the Railways have their own way to execute their work and the same would be adopted in this case also.

Shri Yashpal Singh: May I know whether the contract system would be abolished?

श्री प्रिय गुप्त : माध्यमिक भागों में यातायात सम्बन्धी सम्पर्क बढ़ाने तथा जोगीघोपा तक सभी माल भेजने के बारे में माननीय मंत्री के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, उसी माल को आगे ऊपरी असम में जोगीघोपा से डिबरुगढ़ की ओर भेजने के लिए क्या सुधार करने पड़ेंगे ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऊपरी असम में बड़ी लाइन को गौहाटी से एक छोटे रास्ते से कोलाघाट द्वारा ब्रह्मपुत्र पर पुल बना कर ऊपरी असम (डिब्रूगढ़) तक बढाया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : क्योंकि असम के लोग बड़ी लाइन चाहते है एक न एक दिन यह बन जायेगी। परन्तु यातायात अवश्य बढ़ना चाहिये

और इस को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। ये उपाय तो अन्तःकालीन उपाय हैं; अन्तिम उपाय नहीं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि असम में बड़ी लाइन बनेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the time which would be required for augmenting the transport facilities in Assam?

Shri S. K. Patil: The work relating to augmentation of rail communications and transport capacity goes on continuously as it is never complete in all respects, because the needs go on increasing simultaneously.

Shri Rameshwaranand: The efforts which are being made to increase rail links is a very good thing but in view of the imperialistic policy and pressure of China, whether ralway lines being extended upto the northern borders of India?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): The line which goes from Siliguri to the eastern side, is being extended from Rangapara to North Lakhmpur and from North Lakhimpur to Muskon-Selok. It is 20 kilometres or so from Pasighat.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिक परिवहन सड़क द्वारा तथा स्टीमशिप्स द्वारा किया जा रहा है , क्या अतिरिक्त बोझ को उठाने के लिए बोंगाईगांव से जोगीघोपा तक एक बड़ी लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री स० का० पाटिल : यह पहले ही बनाई जा रही है।

श्री विश्वनाथ राय : राज्य के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्या चौथी योजना के दौरान उस क्षेत्र में और नई लाइनों का निर्माण किया जायेगा ?

श्री शाम नाथ : मैंने उन योजनाओं का, जो विचाराधीन हैं, पहले ही उल्लेख कर दिया है।

Shri Sheo Narain: The line which goes from Lucknow to Siliguri is a single line, whether the government would consider to make it double line in view of the fact that it is all border area?

Dr. Ram Subhag Singh: There is some double line on Lucknow—Siliguri section. For the security of border area, this line is being extended upto Murkong Selok which is near Pasighat. A broad-gauge line from Farakka to Jogighopa is under construction. Centralised Traffic Control is being provided and as there in increase in Traffic, more facilities would be provided accordingly.

श्री लीलाधर कटकी : क्या माननीय रेलवे मंत्री और रेलवे राज्य मंत्री के असम के दौरे के अवसर पर यह प्रतिवेदन किया गया था कि बड़ी लाइन को गोहाटी तक बढ़ाया जाना चाहिये और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस का जोगीघोपा तक विस्तार प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में किया गया है और ऐसा आर्थिक दृष्टि से नहीं किया गया है, क्या सरकार इस बड़ी लाइन को गोहाटी तक बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री स० का० पाटिल : दोनों बातें हमारे सामने हैं। यह केवल प्रतिरक्षा के लिए ही नहीं किया जा रहा है, ऐसा इस दृष्टि से भी किया जा रहा है क्योंकि उस पूर्वी राज्य में संचार साधन अच्छे नहीं हैं। अतः यह दोनों बातें हमारे ध्यान में हैं।

श्री स० वे० सिंह : क्या रेलवे मंत्री के पास कचार से मनीपुर की सीमा तक रेल सम्पर्क स्थापित करने की कोई योजना है ?

डा० राम सुभग सिंह : मनीपुर सरकार इस के लिए बार बार कह रही है। यह सच है कि वहां पर संचार की अच्छी व्यवस्था होने की आवश्यकता है। कचार ज़िले में दो अथवा तीन रेल हैड्स हैं और हम जांच करेंगे कि मनीपुर की आवश्यकताओं को कसे पूरा किया जा सकता है।

श्री बसुमतारी : चीनियों की धमकियों को ध्यान में रखते हुए, क्या माननीय मंत्री प्रतिरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक समझते हैं कि भूतान की सीमा के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी सीमांत एजेंसी तक दुहरी रेलवे लाइन होनी चाहिये ?

डा० राम सुभग सिंह : सिलीगुड़ी से मुरकोंग से लोक जाने वाली लाइन पहाड़ियों के बिल्कुल निकट है। कई स्थानों पर तो यह भूतान के बहुत निकट है और पूर्व में यह उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी की सीमा तक चली जाती है। पासीघाट से कोई 20 मील की दूरी पर है। मेरे विचार में फरक्का से जोगीघोपा तक जो दूसरी बड़ी लाइन बनाई जा रही है, उससे काम चल जायेगा क्योंकि अब वहां दो लाइनें हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

+

*281. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दलजीत सिंह :
श्री म० प्र० शर्मा :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में हुए अग्निकांड के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री बी. मुकर्जी, के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से कायवाही कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया; और

(ग) एसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). सुरक्षा प्रबन्ध को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पहले ही कदम उठाये गये हैं। जैसे आग बुझाने के संगठन को और सुदृढ़ करना, कारखानों को और व्यापक अधिकार देना, श्रेष्ठतर प्रबन्ध के लिए निगम का दो भारों में विभाजन तथा प्रशासनिक अंग का पुनर्गठन आदि। आरोपित कमियों के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों से जवाब प्राप्त हो गए हैं जिन की इस समय विभिन्न स्थितियों में जांच हो रही है।

(ग) निगम का पुनर्गठन, सुरक्षा प्रबन्ध तथा आग बुझाने के प्रवन्ध को और अधिक सुदृढ़ करने के जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका उद्देश्य ही इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री इन्द्रजीत गुप्त के एक पहले के अनुपूरक प्रश्न, कि क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में लगी आग की जांच करने वाले भूतपूर्व न्यायाधीश को गवाह तलब करने और शपथपूर्वक उनकी गवाही लेने के अधिकार थे और क्या उन्होंने कोई साक्ष्य रिकार्ड किये, के उत्तर में अब हमें यह उत्तर मिला है कि यह एक प्रशासनिक जांच थी और श्री मुकर्जी को किसी भी कानून के अन्तर्गत गवाह तलब करने अथवा शपथपुर्वक गवाही लेने के अधिकार नहीं थे । क्योंकि इस भूतपूर्व न्यायाधीश, श्री बी० मुकर्जी को ये अधिकार नहीं थे, हम जानना चाहते हैं कि इस मामले म कोई न्यायिक जांच करायी जाएगी जिसमें गवाह तलब करने के अधिकार होंगे ।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं समझता हूं कि जहां तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्राधिकारियों का सम्बन्ध है, श्री मुकर्जी को शुरू में जो भी कठिनाई हुई हो, उन्होंने इस मामले की पूरी तरह से जांच की । अत: उन को इस बारे में कोई शिकायत नहीं है कि उन के पास यह कमी थी कि वह सभी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे जोकि निर्णय देने में आवश्यक हो । अत: मैं समझता हूं कि दूसरी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि प्रतिवेदन के अनुसार और श्री मुकर्जी द्वारा दिये गये विभिन्न विचारों के अनुसार इसमें इस कारपोरेशन के अध्यक्ष, श्री नागराज राव, का भी हाथ था और क्या उस से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है और क्या उस के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है अथवा उसको केवल त्यागपत्र देने और वहां से चले जाने को ही कहा गया है और क्या उसको योजना आयोग में कोई काम मिल गया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है और वह सरकार के विचाराधीन है ।

Shri Yashpal Singh: Whether workers are being screened so that Pakistani elements would be thrown out?

Shri T. N. Singh: Such care is always taken.

Shri Bhagwat Jha Azad: Some days ago a Pakistani spy was arrested in this Heavy Engineering Corporation. Has it been enquired whether it has got some connection with the points raised in the report?

Shri T. N. Singh: Many aspects are being enquired into. Since this case is still under investigation, it would be better if more questions are not asked. We shall ourselves inform the House after some time.

श्री विद्याचरण शक्ल : थोड़े से आरोपों पर अफसरों के विरुद्ध बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाती है और जांच होने तक उन्हें निलम्बित रखा जाता है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में जब कि जस्टिस मुकर्जी ने हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन के उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध बड़े आरोप लगाए हैं, इन में से किसी को भी जांच होने तक निलम्बित क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री त्रि०ना०सिंह : कुछ पदाधिकारी रांची में हमारी सेवा में नहीं हैं । अन्यों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई की गई है । उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है : ऐसे मामलों में हम शीघ्र ही फैसला

कर लेंगे। इसमें निलम्बन आदि जैसी कोई और कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत शीघ्र फैसला होने वाला है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि उन्हें जांच होने तक निलम्बित क्यों नहीं रखा गया ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उन के कोई कार्रवाई किए बगैर उन को कारपोरेशन की नौकरी क्यों छोड़ने दी गयी ?

श्री त्रि०ना० सिंह : उनमें से कुछ तो यह जांच प्रतिवेदन मिलने से पहले ही कारपोरेशन से बाहर जा चुके थे। अन्यों के बारे में कुछ कार्रवाई की गई है। उन से स्पष्टीकरण मांगा गया है और हम ने सभी प्रकार की प्रक्रियायें अपनायी हैं ।

Shri Bibhuti Mishra: Is it a fact that the attitude of the General Manager and the Chairman is not fair to the labourers and therefore there is resentment among them; if so, the steps taken by the Government to remove this resentment?

Shri T. N. Singh: As I said earlier, that Chairman is not there now. I am myself alert in this respect and we have given full instructions about the treatment to be meted to the workers.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : प्रशासन में उच्च स्तर पर दलबन्दी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमने जस्टिस मुकर्जी के प्रतिवेदन के अनुसार कुछ कदम उठाए हैं, जिनके बारे में यहां बताया जा चुका है । मैं समझता हूं कि प्रशासनिक स्तर पर, विशेषत: कर्मचारियों और परियोजना के भाग किए जाने के सम्बन्ध में, किए गए परिवर्तनों से अच्छा लाभ होगा ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों को, जिनके विरुद्ध जस्टिस मुकर्जी के प्रतिवेदन में कड़े आरोप लगाए गए हैं, सरकारी व्यवसायों में ही अधिक अच्छी नौकरियां मिल गई हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : एक व्यक्ति को पहले से अधिक वेतन मिल रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि सितम्बर में आग लगने के बाद दिसम्बर में फिर आग लगी और क्या दूसरी बार आग लगने के कारणों के बारे में कोई जांच की गयी है और क्या यह सच नहीं है, जैसाकि समाचार पत्रों में छपा है कि . . .

अध्यक्ष महोदय : हम पहली आग के बारे म श्री मुकर्जी के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के उत्तर में यह भी कहा गया था कि आग बुझाने की व्यवस्था अच्छी कर दी गई है। फिर दोबारा 24 दिसम्बर, 1964 को आग कैसे लगी ? और अपराधियों का पता लगाने के लिए इस बारे में क्या जांच की गयी है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह सच है कि 24 दिसम्बर को आग लगी लेकिन आग बुझाने की व्यवस्था आदि में सुधार किये जाने के कारण कोई क्षति नहीं हुई और आग बुझाने वाले दमकल वगैरह वहां वास्तव में तीन मिनट में पहुंच गए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह तोड़-फोड़ के कारण लगी ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: It is a fact that this is the fourth time that fire broke out in this factory during the last 1—1½ years; if so, the number of persons found culprits, how many of them were convicted and how many were pardoned?

श्री विभुधन्द्र मिश्र : जानकारी यह है कि पुलिस ने न्यायालय में एक मामला रजिस्टर कराया है ।

Mr. Speaker: Has anybody been pardoned.

Shri T. N. Singh: Nobody has been pardoned.

श्री रंगा : आपने देखा होगा कि पहली बार ही ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति कर दी गई है जोकि पदोन्नति के योग्य नहीं थे । और उन्हें अधिक सुविधाएं दे दी गईं । मंत्री महोदय ने उन विभागों अथवा मंत्रालयों से सम्पर्क स्थापित करना क्यों उचित नहीं समझा। जहां ये लोग चले गये हैं और श्री मुकर्जी के जांच प्रतिवेदन में इनकी तीव्र आलोचना किए जाने के बाद जिनकी स्थिति पहले से अच्छी हो गई है ? और मंत्री महोदय यह कैसे समझते हैं कि जांच करना भी दण्ड का एक भाग है जब पहले यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या किसी को निलम्बित किया गया है तो मंत्री महोदय यह कहने को तैयार नहीं थे कि किसी को निलम्बित किया गया है लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी उन की सेवा में हैं उनके बारे में जांच चल रही है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसी केवल एक शिकायत आई है जिसमें एक अधिकारी को अधिक वेतन दिए जाने के बारे में बताया गया है । वह अधिकारी अब रांची कारखाने में नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : लेकिन वह सरकारी सेवा में तो है ।

श्री रंगा : मंत्री महोदय को इस बारे में योजना आयोग को सूचित करना चाहिये था ।

श्री त्रि० ना० सिंह : इस अधिकारी से जस्टिस मुकर्जी के प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है । उसका स्पष्टीकरण विचाराधीन है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : इतने समय में उसकी पदोन्नति कर दी गयी है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : उत्तर दिया जा चुका है कि पदोन्नति जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने और स्पष्टीकरण मांग जाने से काफी पहले की जा चुकी थी ।

जहां तक दूसरों का सम्बन्ध है, किसी की पदोन्नति अथवा अधिक वेतन का कोई प्रश्न नहीं है । जो व्यक्ति हमारी सेवा में हैं उनके बारे में प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई की गयी है और उनके स्पष्टीकरण हमें मिल गए हैं । उन के विरुद्ध कार्रवाई की जाने वाली है और इस बारे में निर्णय किया जा चुका है ; केवल उसकी घोषणा की जाने वाली है ।

श्री भागवत झा आजाद : पिछले सत्र में मंत्री महोदय ने बताया था कि तीन महीनों में निर्णय कर लिया जाएगा । अतः उन्हें स्पष्ट उत्तर देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । इस प्रकार बीच में हस्तक्षेप न करिए । उन की बात सुन लेने दीजिए ।

श्री भागवत झा आजाद : यदि उत्तर सीधा दिया गया होता तो हम हस्तक्षेप न करते ।

श्री त्रि० ना० सिंह : क्या मैं प्रश्न का उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे हस्तक्षेप करने पर खेद है । माननीय सदस्य जिस बात पर उत्तेजित हैं, वह यह है । जब जांच की गयी है और मामला एक जांच अधिकारी को सौंपा गया है और रिपोर्ट आई नहीं है और उस अधिकारी के विरुद्ध भी शिकायत थी जिसे अधिक वेतन दिया गया है, तो उसको इस दौरान रांची से दूसरे पद पर क्यों भेजा गया जहां वह अधिक वेतन ले सके ?

श्री त्रि० ना० सिंह : उस अधिकारी को जस्टिस मुकर्जी की रिपोर्ट मिलने से काफी पहले भेजा जा चुका था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह उठाया गया है कि इस व्यक्ति को अधिक वेतन पर दूसरे पद पर भेजे जाने से पूर्व जस्टिस मुकर्जी को जांच करने को कह दिया गया था ।

श्री त्रि० ना० सिंह : तब यह पता नहीं था कि किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी । रिपोर्ट मिलने से काफी पहले वह अधिकारी दूसरे पद पर जा चुका था । वास्तविक स्थिति यह है । बाकी के बारे में हमें नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई करनी है ; हमें उनसे स्पष्टीकरण देने को कहना है और रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई की गयी । अब उनके स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं और जैसा मैं ने बताया उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाने वाली है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह सच नहीं है कि उस को जांच कराये जाने से पूर्व अन्य विभाग में जाने की अनुमति दी गयी । वास्तव में उस के जांच के बाद अन्य विभाग में जाने की अनुमति दी गयी ।

अखबारी कागज का उत्पादन

*282. **श्री मती सावित्री निगम :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री यशपाल सिंह :
महराज कुमार विजय आनन्द :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेम राज :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सरकारी और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कायक्रम के अनुसार नेपा मिल्स का विस्तार करने और गैर-सरकारी क्षेत्र में चार नये कारखाने स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) जी हां, नेपा मिल की अखबारी कागज के उत्पादन की वार्षिक क्षमता को 30,000 मी० टन से बढ़ा कर 75,000 मी० टन करने के विस्तार कार्यक्रम पर पहले ही अमल किया जा रहा है । इसके अलावा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल 90,000 मी० टन वार्षिक क्षमता के कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जा चुके हैं तथा 65,000 मी० टन वार्षिक की क्षमता के दो और कारखाने स्थापित करने के सुझाव को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी जा चुकी है और आशय पत्र दे दिए गए हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए गए दो नए कारखानों में इस वर्ष उत्पादन शुरू हो जाएगा अथवा उसमें कुछ समय लगेगा ? इस वर्ष उत्पादन कितना होगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र: एक कारखाने में उत्पादन 60,000 टन होगा और दूसरे में 30,000 टन, इस प्रकार कुल उत्पादन 90,000 टन होगा । उनमें प्राथमिक कार्य आरम्भ हो गया है और इनमें काम चालू हो जाएगा लेकिन जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, तो वह तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हो सकेगा और इससे पहले नहीं ।

श्रीमती सावित्री निगम : जब इन दो मिलों में पूरा उत्पादन होने लगेगा और नेपा मिल्स में उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी हो सकेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : चतुर्थ योजना में अस्थायी तौर पर लक्ष्य 3 लाख टन प्रतिवर्ष है । जब इन कारखानों में, जिनको लाइसेंस दिए गये हैं, उत्पादन होने लगेगा और वर्तमान नेपा मिल की क्षमता को बढ़ाया जाएगा तो कुल उत्पादन लगभग 1.65 लाख टन प्रतिवर्ष होगा । जैसा मैं बता चुका हूं 90,000 टन के लिए आशय पत्र दिए गए हैं । यदि यह पर्याप्त न रहा तो सरकारी क्षेत्र में भी एक कारखाना खोला जाएगा और उसके बारे में राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : हमारी कितनी प्रतिशत आवश्यकता पूरी होगी ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय: अक्सर ऐसा होता है कि माननीया सदस्या को पूरा उत्तर नहीं मिल पाता ।

Shri Nawal Prabhakar : The Hon. Minister has said that we propose to have a public sector plant. I want to know the action to be taken in this respect during the Fourth Plan ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र: जी, हां । [जैसा मैंने बताया, संभावना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमख : क्या नेपा मिल के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार किए जाने से पूर्व नेपा के प्रबन्धको ने यह प्रस्ताव किया था कि उनके कारखाने का वहां से हटा कर कहीं और लगाया जाए क्योकि वहां कच्चे माल की कमी है।

श्री त्रि० ना० सिंह : कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं था। कच्चे माल के बारे में कुछ कठिनाइयां हुईं लेकिन उन्हें दूर कर दिया गया है।

Shri Yashpal Singh: When there is alround strike threatening by newspapers and in view of acute shortage of newsprint, could the Government tell as to by when we shall be self-sufficient in newsprint?

Shri T. N. Singh: We are trying to become self-sufficient and it is hoped that if all the licences issued are implemented and the public sector project is commissioned, at the end of the Fourth Plan we shall be able to meet most of our demands.

Shri Bibhuti Mishra: Have the attention of the Government been drawn that the paper produced in the Nepa Mills is of inferior quality and it is not useful either as newsprint or as other writing paper.

Shri T. N. Singh: It is correct that the paper produced in Nepa Mills is not good in colour but it has improved in quality and now it is much better than before.

Shri K. N. Tiwary: There is shortage of newsprint in the country. May I know at that stage the establishment of factories manufacturing newsprint from bagasse in Uttar Pradesh and Bihar is at present and whether this material is available here in sufficient quantity?

Shri T. N. Singh: We are also thinking of manufacturing pulp from bagasse. This pulp can be used for truth the purposes i.e. for manufacturing newsprint as well as white print. The final decision will be taken after the receipt of the full report.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the number of licences issued for paper manufacturing in the private sector and the number of factories already functioning and the action being taken by the Government against those which have not yet started working?

Shri T. N. Singh: Which quality of paper?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Both the types.

Mr. Speaker: But this question is about newsprint.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: He may tell us about newsprint only.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जैसा मैं बता चुका हूं एक तो नेपा मिल्स है और हमने 60,000 टन के लिये दो पक्षों को लाइसेंस दिए हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: After these mills go into production, may I know the quantity of paper which would be required to be imported?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : कितना अब आयात करते हैं ।

Mr. Speaker: What would be the production after these mills, which have been licensed, go into production, whether our demand would not increase and whether our requirement for newsprint would not increase?

Shri T. N. Singh: At present we are importing from 90,000 to 95,000 tonnes and once or twice it was imported about a lakh tonnes.

Shri Onkarlal Berwa: How much would have to be imported?

Mr. Speaker: After the factories, which have been given licences, go into production, whether our requirement would be not fully?

Shri T. N. Singh: If we reach our target fixed for the Fourth Plan, the need will be of only marginal imports and not much.

श्री हेम राज : क्या पंजाब में भी किसी पार्टी को कोई लाइसेंस दिया गया है और यदि हां, तो वे कारखाना कब स्थापित करेंगे ? उस कारखाने में कितना उत्पादन होगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : उत्पादन क्षमता 60,000 टन प्रति वर्ष है और पक्ष गोपाल पेपर मिल्स, पंजाब है ।

श्री रामचन्द्र मलिक : देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या 1965–66 में नेपा मिल की तरह की नयी मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां, तो मिल किस स्थान पर स्थापित की जाएगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जैसा मैंने बतलाया, राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम इस बारे में अध्ययन कर रहा है और निश्चय ही वह सभी उपलब्ध कच्चे माल के बारे में विचार करेगा ।

Shri Rameshwaranand: About two years ago, the Governor of Punjab made an announcement that a paper mill would be established in Panipat. I want to know the progress made in this respect?

Shri T. N. Singh: The intention of the questioner is about white print and not the newsprint.

श्री लीलाधर कटकी : आसाम और पड़ौसी क्षेत्रों में बांस, बेंत और घास अत्यधिक मात्रा में पाये जाने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आसाम में कहीं पर अखबारी कागज एवं कागज पल्प उद्योग स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है और यदि हां, तो उन्होंने क्या प्रगति की है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक मुझे पता है आसाम में पल्प सामग्री उपलब्ध है लेकिन यह अच्छे और बढ़िया कागज के लिए उपयुक्त है और इसीलिये आसाम कागज योजना इसी दृष्टि से विचाराधीन है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये हैं कि हमारे देश में बने अखबारी कागज का मूल्य अन्य देशों में बने अखबारी कागज के मूल्य से इतना अधिक क्यों है और यदि इसका मूल्य घटाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं या उठाये जायेंगे, तो वे क्या हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : नेपा में बनाये जा रहे कागज के मूल्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है । अब अन्तर अधिक नहीं है । अब नेपा में बने अखबारी कागज का मूल्य 100 रुपये से कुछ अधिक है और आयात किए गये अखबारी कागज का मूल्य लगभग 880 रुपये है । यह एक छोटा सा कारखाना है लेकिन इसका धीरे धीरे विस्तार करके आशा है कि लागत में कमी होगी । इसमें अखबारी कागज का उत्पादन 30,000 टन से 75,000 टन हो जाएगा ।

श्री बासप्पा: क्या मैसूर की ओर से कोई औद्योगिक लाइसेंस अनिर्णीत पड़ा है और क्या उनको कोई लैटर आफ इन्टेट भेजा गया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह: : मैं अभी नहीं बता सकता ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में हुए उत्पादन से देश की आवश्यकतायें लम्बे समय तक पूरी नहीं हो सकेंगी और समाचारपत्र उद्योग की आवश्यकतायें बढ़ रही हैं क्या सरकार वर्तमान नीति में संशोधन करने पर विचार करेगी जिस से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक अखबारी कागज आयात किया जा सके ?

श्री त्रि० ना० सिंह : विदेशी मुद्रा की स्थिति कठिन होने के कारण मैं सब से और समाचारपत्र वालों से विशेष रूप से अपील करूंगा कि वे अपनी आवश्यकतायें इतनी ही रखें जितनी हम पूरी कर सकें ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई जांच की है कि हमारा देश उन देशों में से है जिनकी अखबारी कागज़ की प्रति व्यक्ति खपत संसार भर में सब से कम है और यदि हां, तो सरकार इस कमी को तब तक आयात द्वारा पूरा क्यों नहीं करती जब तक हमारे देश में उत्पादन हमारी मांग को पूरा करने योग्य नहीं हो जाता ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस में कोई सन्देह नहीं है कि अखबारी कागज़ हमारी आवश्यकताओं के लिये काफी नहीं है, परन्तु विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण हमें उतने ही पांव पसारने चाहियें जितनी चादर है ।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि हमारा देश उन देशों में से एक है जिन की कागज की प्रति व्यक्ति खपत सब से कम है ?

श्री त्रि० ना०सिंह : मैं, पत्रकार रहा हूं और मैं जानता हूं कि अखबारी कागज़ की हमारी आवश्यकता कहीं अधिक है .....(**अन्तर्बाधाएं**) मैं यह नहीं कह सकता कि हमारे यहां खपत सब से कम है, परन्तु इतना स्पष्ट है कि हमारा देश ऐसे देशों में से एक है जहां पर सब से कम अखबारी कागज इस्तेमाल होता है ।

युगोस्लाविया को लौह अयस्क का निर्यात

+

*283. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युगोस्लाविया को भारतीय खनिज लोहे के निर्यात करने के बारे में बातचीत करने के लिये खनिज और धातु व्यापार निगम के प्रधान के नेतृत्व में उसके अधिकारियों का एक दल हाल ही में वहां गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उस दल की युगोस्लाविया की यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल ने 1965 के वर्ष में युगोस्लाविया को 3.30 लाख टन लौह-अयस्क निर्यात करने के लिये संविदा किया है। इसमें खरीदारों की पसन्द के 30,000 टन भी सम्मिलित हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : देश में लौह-अयस्क के कितने ऐसे निक्षेप हैं जिनका पता है और क्या यह हमारी आवश्यकताओं तथा निर्यात के लिये काफी हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह हमारी आवश्यकताओं से फालतू हैं। हम इस का अधिक से अधिक निर्यात करते हैं ; और देश के लिये अपेक्षित मशीनों का आयात करते हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : लौह अयस्क के लिये क्या हमें भारतीय मूल्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मिल रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मिलता है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : यह जो हम अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये उच्च श्रेणी का लौह-अयस्क निर्यात करने जा रहे हैं, क्या इससे हमें कठिनाई न होगी जब हमें अपने कारखानों के लिये इसकी आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री मनुभाई शाह : भारत में किसी कारखाने में लौह-अयस्क की कमी नहीं है। देश में तो लौह-अयस्क की बहुलता है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : उच्च श्रेणी अयस्क की भी ?

श्री मनुभाई शाह : श्रेणीवार भी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the price w hich we have to pay for the iron ore which is being imported and the price of iron ore which we get from others?

Shri Manubhai Shah: It is being imported at the international price.

श्री अल्वारेस : युगोस्लाविया को कौनसी श्रेणी का अयस्क निर्यात किया जायेगा और मरमागोवा बन्दरगाह से कितना निर्यात किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : 3.30 लाख टन में से गोआ का 8 हिस्सा सबसे अधिक है। श्रेणी 65/65 का 1.00 लाख टन, श्रेणी 62/60 का 80,000 टन और श्रेणी 62/60 (गौण) का 1.20 लाख टन होगा।

श्री ल० ना० भंजदेव : क्या इस निर्यात में उड़ीसा का भी हिस्सा है ?

श्री वें० वैंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि लौह-अयस्क के उत्पादन पर ऊपरी खर्चा बहुत अधिक है जिससे हम दूसरे देशों से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और यदि हां, तो सरकार खान मालिकों को वित्तीय सहायता देने के अलावा पर्याप्त सुविधायें देने के सम्बन्ध में क्या प्रयत्न करना चाहती है जिससे ऊपरी खर्चे को कम किया जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : क्योंकि इस प्रश्न को इतना व्यापक बनाया जा रहा है, मेरे विचार में ऐसा ही एक और प्रश्न संख्या 291 आ रहा है जो लौह-अयस्क और मैंगनीज अयस्क से सम्बन्धित है। यदि आपकी इजाज़त हो तो हम इन दोनों प्रश्नों को इकट्ठा ले लें।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं, जबकि कई पूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न।

कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे

\+

*284. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हिम्मत सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **रेलवे** मन्त्री 27 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता सर्कुलर रेलवे योजना के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh: Why have the government kept such an important region backward? There are frequent traffic jams in Calcutta and it takes 6 hour before traffic is cleared, what is the reason for so much delay in having a circular railway there?

Shri Sham Nath: A committee has been constituted for this purpose which would examine the various alternatives. But the biggest question is: whether the construction of Matropolitan railway is our responsibility?

Shri Yashpal Singh: May I know the names of the numbers of the committee?

Shri Sham Nath: This Committee consists of a representative of Railways, a representative of the State Government and a representative of the Road Authority.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे की अत्यन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने इस लाइन को बनाने की नीति स्वीकार कर ली है ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल : सरकार ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया है। हां सरकार ने इस नीति को इस रूप में स्वीकार कर लिया है कि वहां कुछ न कुछ अवश्य करना पड़ेगा परन्तु कौनसा तरीका ठीक रहेगा यह एक विवादास्पद मामला है। सर्कुलर रेलवे का भी प्रश्न है परन्तु, वह कलकत्ता जैसे बड़े नगर के सम्बन्ध में अन्तिम हल नहीं है विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या वहां सर्कुलर रेलवे या भूमिगत रेलवे अथवा ट्यूब रेलवे बनाई जाये और इस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Have the Government of West Bengal given any suggestion in regard to circular railway that they would give their share of expenditure, whether this question is being considered in the light of this suggestion?

Shri S. K. Patil: This question of cost will arise later on. The real question at present is: whether we should go in for circular railway or not. Instead of a circular railway we can go in for an underground railway. Whether we should have it or not is different question. But you cannot do both. If we are to go in for an underground railway, the question of circular railway would not arise.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर से यह पता चलता है कि मामला अभी विचाराधीन है, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे बोर्ड के यातायात सम्बन्धी सदस्य, श्री कृपालसिंह ने निर्णय कैसे कर लिया जब उन्होंने कलकत्ता में 2 जनवरी को जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है, कहा कि सर्कुलर रेलवे पर 50 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा और भारत सरकार इतना खर्च नहीं कर सकेगी। यदि यह मामला अभी विचाराधीन है तो उन्होंने इस मामले में यह निर्णय पहले ही कैसे कर लिया ?

श्री स० का० पाटिल: इसमें निर्णय पहले ही करने की बात नहीं है क्योंकि रेलवे एक वाणिज्यिक संगठन है। जहां तक बोर्ड के सदस्यों का सम्बन्ध है, वे राजनीति की दृष्टि से बात नहीं कहते हैं। जो वे जानते हैं वही वे कहते हैं अर्थात् इस 50 करोड़ रुपये के खर्चे को कैसे जुटाया जायेगा। परन्तु यह मामला 50 करोड़ रुपये की बात पर ही नहीं अटका हुआ है क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार की सहायता से इस बात का उपाय ढूंढ निकाला जायेगा। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या सर्कुलर रेलवे बनाई

जाये अथवा भूमिगत रेलवे । मेरे विचार से तो यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर निर्णय किया जाना चाहिये ।

Shri Sarjoo Pandey: Have the Government any proposal to construct underground railways in other big cities also?

Mr. Speaker: Let it be run in Calcutta first, for other places it would be seen later on.

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मन्त्री ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि कलकत्ता में इस प्रकार की कोई चीज़ होनी चाहिये, क्या भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल की सहायता से सर्कुलर रेलवे अथवा भूमिगत रेलवे के निर्माण की जिम्मेदारी ले ली है, जिस पर अभी निर्णय किया जाना है, वित्तीय और अन्यथा जिम्मेदारी ले ली है ?

श्री स० का० पाटिल : मैंने कुछ समय पूर्व पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री को यह सुझाव दिया था कि यह समस्या बहुत जटिल और पेचीदा है क्योंकि कलकत्ता संसार के 10 बड़े नगरों में से एक है और यही नहीं, यह नगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सम्भव है कि कुछ ही समय में यह कई अन्य नगरों से भी अधिक प्रगति कर जायेगा। अतः उन विशेषज्ञों को, जो इन चीज़ों को जानते हैं, इस समस्या की जटिलता की आलोचनात्मक जांच करनी चाहिये कि इसे कैसे सुलझाया जाये । हमने यह निर्णय किया है कि ऐसा शीघ्र किया जाये और मेरा ऐसा करने का विचार है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या माननीय मन्त्री का ध्यान उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिन में कहा गया है कि माननीय मन्त्री ने कार्यकारिणी समिति के पश्चिमी बंगाल के एक सदस्य को पहले ही वचन दिया है कि सर्कुलर रेलवे आगामी योजना में बनाई जायेगी ?

श्री स० का० पाटिल : परन्तु यदि मैं केक देने की स्थिति में हूं तो रोटी के लिये कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । इससे मेरा आशय यह है कि यदि हम निर्णय कर लें कि भूमिगत रेलवे बनाना अच्छा है तो कोई भी व्यक्ति सर्कुलर रेलवे बनाने के लिये नहीं कहेगा जो कि इस समस्या का आधा अथवा अधूरा हल है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अतः, सर्कुलर रेलवे और भूमिगत रेलवे में से कोई न कोई तो बनाई जायेगी ।

श्री प्रिय गुप्त : क्या निकट भविष्य में, विशेषतया कलकत्ताकी मिट्टी की हालत के कारण, भूमिगत रेलवे बनाने की कोई सम्भावना है और क्या इस पर विचार करना केवल समय नष्ट करना होगा ? क्या सर्कुलर रेलवे बनाने की ओर वास्तव में ध्यान दिया जायेगा क्योंकि गत कई वर्षों से इसकी जांच की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री कहते हैं कि इसका अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री प्रिय गुप्त : इस की एक बार जांच कर ली गयी है और जांच के परिणामस्वरूप इसको बनाने से इंकार कर दिया गया है । भारत सरकार जानती है कि वहां पर भूमिगत रेलवे बनाना सम्भव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वे इस का अध्ययन कर रहे हैं ।

Shri Radhe Lal Vyas: Either a circular Railway is given or an underground railway is given by the Railway Board, may I know whether it would be a mono rail system or any other system?

श्री स० का० पाटिल : मोनो रेल भी इन में से एक है, परन्तु यह भूमि के ऊपर होती है नीचे नहीं।

सिंगरोली में कोयला निक्षेप

+

*285. **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान ब्यूरो के विस्तृत परीक्षण कार्यों के फलस्वरूप सिंगरौली खान क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग में कोयले के बहुत बड़े निक्षेप का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पट्टी में कितना और किस प्रकार का कोयला मिलने की आशा है ; और

(ग) इन क्षेत्रों से कोयला प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या): (क) जी हां।

(ख) श्रेणी I और श्रेणी II के कोयले का लगभग 1000 मिलियन मीटरी टन और श्रेणी III तथा अवर श्रेणी के कोयले का लगभग 1500 मिलिन मीटरी टन भण्डार प्रमाणित हुआ है।

(ग) एक खान अर्थात् झिनगुरदा परियोजना का विकास कार्य शुरू कर दिया गया है। इस क्षेत्र में दूसरी खान का विकास तभी किया जायगा जबकि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम दूसरी खान के उत्पादन के लिये उपभोक्ताओं से दृढ़ मांग प्राप्त करेगी।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को तीसरी योजना में कोयले के लक्ष्यों को तीन बार बदलना पड़ा क्या सरकार इन निक्षेपों की खुदाई से किस प्रकार सन्तुष्ट है और कोयले की कौनसी श्रेणी को सरकार उठा सकेगी जबकि खान के बाहर पहले ही कोयला काफी पड़ा है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : इसीलिये तो हम जल्दी से इस की खुदाई नहीं कर रहे हैं। जैसा कि उत्तर में कहा गया है। जब मांग बढ़ेगी हम इसकी खुदाई करेंगे। अभी तो भू-भौतिकीय सर्वेक्षण से केवल यह पता चला है कि कोयला वहां पर है। मांग के अनुसार हम इसकी खुदाई बाद में करेंगे। खेद है कि यह केवल श्रेणी 1 और श्रेणी 2 का तथा घटिया कोयला है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस भूतत्वीय सर्वेक्षण से, जो अब तक किया गया है, पूरे निक्षेपों का पता चल गया है अथवा क्या सर्वेक्षण अभी और आगे किया जा रहा है ?

श्री संजीव रेड्डी : जैसा कि उत्तर में बताया गया है, हमें हजारों मिलियन मीट्रिक टन कोयले का पता लगा है। इसलिये यह सर्वेक्षण तो न केवल यहां परन्तु सभी स्थानों पर जारी रहेगा। इस श्रेणी का कोयला हमारे पास काफी है। खेद इस बात का है कि हमें धातुकधार्मिक कोयला नहीं मिला है।

Shri Yashpal Singh: When the Government propose to set up a project?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi): The question of setting up a project does not arise at present as only survey has been done and since it is of inferior quality, it would be extracted when there would be demand for it.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस कार्य के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय किया है ?

श्री संजीव रड्डी : यह कार्य केवल राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा किया जायगा। उत्तर के भाग (ग) में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है।

Shri K. N. Tiwary: Inferior coal is being used for manufacture of Bricks and other purposes and it is in great demand. How the Government say that its demand is less?

Shri P. C. Sethi: The variety of coal which is used for manufacture of Bricks is already available in sufficient quantities. There is no shortage of that.

Shri Tulsidas Yadav: Dung is burnt for fire at a number of places. It has just been said that large quantities of coal are available at certain places but it is not being utilised. May I know what arrangements are being made by the Government to send it to all the parts of the country so that burning of dung is prevented and it could be used as manure?

Mr. Speaker: While coal is available under the ground the dung is available on the ground.

श्री विद्याचरण शुक्ल: मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर ऐसे पाये गये कोयले के कितने निक्षेप हैं और रेंड झील के तल में ऐसा कितना क्षेत्र है जिसमें कोयला पाया गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह क्षेत्र 2200 वर्ग किलोमीटर है। इस में से अधिकांश क्षेत्र सीधी और शहडोल जिलों में है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और रेंड झील में यह कोयला किस अनुपात में उपलब्ध है ?

श्री प्र० चं० सेठी : ग्रेड I का 10000 लाख टन और 15000 लाख टन—सभी मध्य प्रदेश में।

Shri R. S. Tiwary: It has been stated that both superior and inferior qualities of coal are available in an area of 900 sq. miles in Singrauli in large quantities and no effort is being made to lift the inferior quality of coal from those as a result of which there is apprehension of the mine being damaged in near future. May I know as to what arrangements are being made to lift the inferior quality of coal?

Shri P. C. Sethi: There is no question of its being lifted at present. It would be excavated when there is demand for it. So far as coal of grades I and II is concerned, there is no demand for it. The coal of grade III would be extracted if it is required by the power houses of Obera and Hindalko.

श्री कृ० चं० पन्त : क्या सरकार ने कोयले को भूमि के नीचे जला कर विद्युत् पैदा करने की सम्भावना पर विचार किया है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं। इस पहलू पर अभी विचार नहीं किया गया है ?

Shri Rameshwaranand: If we go on excavating the coal of superior quality at the present speed, for how long it would be available to meet our requirements?

Shri P. C. Sethi: There is a big reserve of this quality, and it would be sufficient for our requirements of 5,000 years.

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस स्थान पर बहुत ज्यादा कोयला है, क्या इस को पूरी तरह निकाल लेने पर उपभोक्ताओं के लिए यह मूल्य कुछ कम हो जायेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न मु ख्य प्रश्न से, जो एक विशिष्ट कोयले की पट्टी से है, नहीं उठता है।

रूई का भाव

*286. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने रूई खरीदने के संबंध में आत्मनियंत्रण अपनाने की एक योजना स्वीकार की है ;

(ख) मिल सरकार द्वारा नियत उच्चतम भावों पर या इस से कम पर रूई प्राप्त करने में कहां तक सफल रही हैं;

(ग) क्या संघ ने आश्वासन दिया है कि वह चालू सीजन के दौरान में विभिन्न किस्म की रूई को उन के उपयुक्त नियत उच्चतम भावों से 5 प्रतिशत कम पर खरीदने के लिये तैयार हैं; और

(घ) संघ के निर्णय का बाजार भाव पर क्या प्रभाव हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां। भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने अभी हाल ही में रूई को लगातार बढ़ती हुई कीमतों के कारण रूई खरीदने के सम्बन्ध में आत्म-नियंत्रण की एक योजना स्वीकार की है। ये कीमतें बहुत बार उपयुक्त उच्चतम भावों से भी अधिक हो गयी थीं जिस के कई कारण थे। इन में एक कारण सभी मिलों द्वारा एक साथ भारी खरीद शुरू कर देना भी था।

(ख) ये कीमतें, जैसा कि बताया गया है, उपयुक्त नियत उच्चतम भावों के आसपास ही रही हैं। कुछ किस्मों की कीमतें उच्चतम सीमा से अधिक हो गयी थीं। मिलों द्वारा अपने संभरण के लिये खरीद की जा रही है।

(ग) और (घ). जी, हां। इस का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है परन्तु व्यापारी उत्पादक यह देख कर आश्वस्त हुए हैं कि कीमतें इस सीमा से नीचे नहीं गिरेंगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या संघ ने सदस्यों को संघ द्वारा दिये गये डिलीवरी परमिट से अधिक फारवर्ड परचेज करने के लिये कहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : यह केवल उन्हीं स्थानों पर खरीदों पर लागू होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कच्चे माल का वितरण

*287. **महाराज कुमार विजय आनन्द** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे माल का समन्याय्य वितरण करने और कच्चे माल का उचित उपयोग करने के प्रश्न की जांच करने के लिये डा० पी० एस० लोकनाथन के सभापतित्व में स्थापित की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) तथा (ख). लोकनाथन समिति को अभी अपनी रिपोर्ट बनानी है। पिछले नवम्बर में इस ने ए क अस्थायी सुझाव दिया था कि चालू छमाई (अक्तूबर से मार्च, 1965) के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को विदेशी मुद्रा के नियतन में कोई कमी न की जाय चाहे विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने में कितनी ही कठिनाई क्यों न हो। समिति के सुझाव अन्तिम रूप में बाद में होते रहेंगे। भारत सरकार ने इस सुझाव पर काफी गम्भीरता से विचार किया है लेकिन विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में काफी कमी होने के कारण लघु उद्योगों को इस छमाई के लिए पिछली छमाही के समतुल्य विदेशी मुद्रा का नियंतन करना सम्भव नहीं हो सका।

फिर भी रसायन उद्योग को 1965 में कच्चे माल का नियतन उस के रु0 के रूप में भुगतान लेने वाले देशों से आयात होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में अधिक किया गया है।

लघु उद्योगों के लिए 50,000 टन रूसी कच्चा लोहा अतिरिक्त तदर्थ नियतन के लिए प्राप्त कर लिया गया है।

निर्यात प्रोत्साहन योजना

*288. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री राजदेव सिंह :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजना की क्रियान्विति का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि इस योजना से हमारे विदेशी मुद्रा के साधनों में सारवान वृद्धि नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त योजना की क्रियान्विति की जांच करने के लिये आगे कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का सरकार द्वारा सदैव ही पुनर्विलोकन होता रहता है। व्यापार बोर्ड की एक स्थायी समिति भी समय समय पर निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की कार्य प्रगति का पुनर्विलोकन करती है।

वास्तविक निर्यात उपार्जनों में बराबर वृद्धि होती रही है और वस्तुत: सभी वस्तुओं के परिमाण व मूल्य दोनों द्वारा ही पिछले कुछ वर्षों में अधिक निर्यात-उपार्जन हुआ है।

निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा अन्य कदम भी उठाये जा रहे हैं।

मोटर के पुर्जों के मूल्य

*289. श्री हेडा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सहायक उद्योग और मोटर बनाने वाले कारखाने मोटर के पुर्जों के अस्वाभाविक मूल्य ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) (क) मोटर निर्माताओं की इस आम शिकायत के अलावा कि सहायक पुर्जे बनाने वाले आयात किये गये इसी प्रकार के पुर्जों के मूल्य की तुलना में अधिक मूल्य ले रहे हैं, सहायक उद्योग द्वारा अत्यधिक मूल्य लिये जाने का कोई विशेष उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

(ख) कुछ महत्वपूर्ण सहायक पुर्जे बनाने वाले एककों के लागत मूल्यों की जांच इस बात का पता लगाने के लिये की जा रही है कि क्या इन के मूल्यों में कमी करने की कोई गुंजाइश है ।

इस्पात कारखाने

*290. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० दीक्षित :
श्री र० स० तिवारी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने संघ सरकार से कहा है कि सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस्पात कारखाने उन राज्यों में स्थापित किये जायें क्योंकि उन राज्यों में उत्तम किस्म का लौह अयस्क उपलब्ध है ;

(ख) क्या उनके प्रस्तावों की जांच कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार के प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नी० संजीव रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार ने पहले ही गोआ-होसपेट और बैलाडिला-विशाखापत्तनम क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में शक्यता प्रतिवेदन और नेवेली-सेलम क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र का विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन प्राप्त कर लिए हैं। ब्रिटिश अमेरिकन स्टीलवर्क्स फार इंडिया कन्सार्टियम से कहा गया है कि वे इन प्रतिवेदनों का अध्ययन करके सरकार को दो सम्भव स्थानों के लिये सिफारिशें पेश करे जिस से सरकार नया इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में निर्णय कर सके। इस मामले में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर उचित वचार किया जाएगा ।

लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात

*291. श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 1964 तक की अवधि में विदेशों से प्रत्येक को कितना और कितने मूल्य का लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क निर्यात करने के करार किये गये थे;

(ख) क्या सभी करारों को पूरा कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त अवधि में इन अयस्कों का कितना संभरण कम हुआ और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की आवश्यक जानकारी देने वाले दो विवरण सदन की मेज पर रखे जाते हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3922/65]

(ख) समय समय पर खरीदारों के साथ परस्पर सहमति से हुए नौभरण कार्यक्रमों के वायदों के अनुसार माल भेजे जा चुके हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Forward Trading in Foodgrains

*292. Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Kishen Pattnayak:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that forward trading in foodgrains is going on throughout the country in fictitious names and the Chairman of the Forward Markets Commission is also aware of the same as evidenced from the statements made by him in Bombay and some other places in January and February, 1964;

(b) whether it is also a fact that the Forward Markets Commission did not forward the complaints relating to illegal trading to local police authorities for investigation;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps Government propose to take to completely stop this illegal trading?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) There is a total blanket ban on forward trading in foodgrains. However, there were complaints of some illegal forward trading taking place in some of the pulses like gram, arhar, moong, peas etc. in the guise of free commodities like methi, arhar chuni, moong chuni, mustard oil cake. Government have, therefore, banned forward trading in some of the previous free commodities like methi, mustard oil cake, cor-tander seed, arhar chuni, moong chuni, tamarind seed, tamarind oil cake and other items last year. This has since checked much of such illegal trading.

(b) No, Sir. Since 1961, 63 complaints about illegal forward trading have been forwarded by the Forward Markets Commission to the concerned police authorities for investigation and necessary action.

(c) Does not arise.

(d) Necessary steps have been taken and some others are proposed to be taken to stop illegal forward trading by banning forward trading in some free commodities in the garb of which illegal trading in foodgrains was being carried on; by banning non-transferable specific delivery contracts in certain other commodities; by requesting the local police to launch intensive drive against pockets of illegal forward trading and by effecting in due course amendments to certain provisions of the Forward Contracts (Regulation) Act to plug loopholes.

कोयला खनन लागत

*293. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा निकाले जाने वाले कोयले की सामान्य खनन लागत प्रति टन कितनी आती है और गैर-सरकारी कोयला खानों की तुलना में वह कैसी है ;

(ख) राष्ट्रीय कोयला निगम द्वारा कोयला खनन लागत कम करने के लिये मितव्ययिता सम्बन्धी क्या उपाय किये गये है ताकि वह गैर-सरकारी कोयला खानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके; और

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने वास्तविक आवश्यकता से अधिक कर्मचारी रखे हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नी० संजीव रेड्डी): (क) उत्पादन की लागत हर खान की भिन्न होती है और कई कारणों पर निर्भर है जो लागत पर असर डालते हैं जैसे कि विचित्र भौमिकी दशाएं, इस्तेमाल किए गए खनन के तरीके और कुल उत्पादन, इनमें से अन्तिम बात बाजार की हालत से भी सम्बन्धित है। इसलिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के उत्पादन की लागत की गैर-सरकारी खानों के साथ सही तुलना करना संभव नहीं है जो बेशुमार हैं और जिन के वित्तीय परिणाम बिल्कुल अलग अलग हैं। 1963-64 के दौरान में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की औसतन लागत 23.21 रु० प्रति मीटरी टन थी।

(ख) गैर-सरकारी खानों से तुलना का प्रश्न कुछ भी क्यों न हो, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम फालतू कर्मचारियों को कम करने तथा मशीनों और उपकरणों का अच्छा प्रयोग करने आदि उपायों को बचत करने के लिये ले रही है।

(ग) जी नहीं, कर्मचारियोंकी संख्या मूलत: राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के विकास कार्यक्रम के अनुरूप थी लेकिन बाद में बाजार में मंदता के कारण उत्पादन कम करना पड़ा और अनेकों नई योजनायें धीमी करनी पड़ीं। परिणामत: आज बहुत से कर्मचारियों की अधिकता है। इस अतिरेक को कम करने के लिये धीरे धीरे कदम उठाये जा रहे हैं।

अवैध इस्पात का पकड़ा जाना

*294. { श्री वारियर :
श्री दाजी :

क्या इस्पात और खान मंत्री 18 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 31 अक्तूबर, 1964 को दिल्ली में, मोतियांखान बाजार से पकड़े गये निषिद्ध इस्पात के बारे में जांच पड़ताल पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामलों की अभी जांच की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का आवंटन

*295. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री प० ह० भील :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री व० क० रामस्वामी :
श्री चांडक :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री चुनी लाल :
श्री महेशदत्त मिश्र :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने आदेश जारी किये हैं जिन के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों और मोटर साइकिलों के आवंटन के लिये उच्चतर वेतन-सीमा निश्चित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस आदेश से सरकारी कर्मचारी सरकारी कोटे से आवंटन प्राप्त करने से वंचित हो गये हैं और बाजार से भी, क्योंकि वे सरकारी कोटे के भरोसे रहे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार कम आय वाले वर्ग के कर्मचारियों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही कर रही है विशेषतया उन कर्मचारियों की सहायता के लिये जिन के स्कूटरों के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र मंत्रालय के पास एक साल से अधिक समय से पड़े हुए हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). सरकारी कर्मचारियों की मांग और स्कूटरों की वास्तविक उपलब्धता के भारी फर्क को नजर में रखते हुए स्कूटर के नियतन के लिए वेतन की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी गई है ।

(ग) तथा (घ). केन्द्रीय सरकार के स्कूटर कोटे का प्रमुख उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना है । स्कूटर देने का सर्वप्रथम आधार यह है कि उस का नियतन सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यपालन के लिए आवश्यक है या नहीं तथा दूसरे वह स्कूटर खरीदने और रखने में भी समर्थ है या नहीं । स्वभावतः प्रार्थना पत्र भेजने वाले हर सरकारी कर्मचारी को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर नहीं मिल सकता । सरकारी कर्मचारी को प्राथमिकता पर स्कूटर के नियतन के लिए जब देर हो तो वह बजाय केवल सरकारी कोटे पर निर्भर रहने के बाजार में सामान्य रूप से अपना आर्डर बुक करा सकता है । स्कूटर के नियतन के लिए आवेदन देने वाले हर कर्मचारी को उस का नियतन करने का कभी भी विचार नहीं रहा ।

भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार करार

*296. श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-श्रीलंका व्यापार करार में रूपभेद किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रूपभेद किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख) .जी, नहीं । फिर भी, श्रीलंका के अधिकारियों से हुई वार्ता के फलस्वरूप 1965 के लिये व्यापार व्यवस्था का आधार पिछले वर्षों के समान ही, भारत-श्रीलंका व्यापार करार के ढांचे के अन्तर्गत रखा गया है ।

रेलवे चिकित्सा अधिकारी

*297. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे चिकित्सा अधिकारियों से अधिक अच्छे पारिश्रमिक और स्तर की मांग के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सहायक सर्जनों की ओर से समय समय पर इस आशय के अभ्यावेदन मिलते रहे हैं कि उनके वेतन-मान में सुधार किया जाये, उन्हें प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (non-practising allowance), तरक्की के मौके और गजटेड ओहदे दिये जायें । सरकार ने इस मामले पर फिर से विचार किया है और उनकी सेवा की शर्तों को उस हद तक उदार बना दिया है जिस हद तक उचित समझा गया, जैसा कि नीचे बताया गया है :—

(1) इन पदों के लिए 335–20–475–25–575 कु० रो० 25–650 रुपये का वेतन-मान नियत किया गया है, जो दूसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 340–475 रुपये के निर्धारित वेतन-मान के समकक्ष से अधिक है ।

(2) वेतन के 20 प्रतिशत की दर से प्रतिबन्धित प्रक्टिस बन्दी भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन भत्ते की यह रकम 125 रुपये प्रति मास से कम न होगी ।

(3) 5 वर्ष की सेवा-अवधि पूरी कर लेने पर सभी सहायक सर्जनों को अवैतनिक गजेटेड पद का ओहदा दे दिया जाता है ।

(4) सहायक मेडिकल अफ़सरों के नियमित गजेटेड संवर्ग (375–25–500–30–590 कु० रो० 30–800 कु० रो० 30–830–35–900 के ग्रेड) में 300 और जगहों का सृजन करके तरक्की के मौके में सुधार किया गया है ।

औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया

*298. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० क० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के पंजीयन और लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उपायों पर विचार करने के लिये हाल में भारत सरकार के अर्थ मंत्रालयों के सचिवों की एक बैठक बुलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). उद्योगों को लाइसेंस देने और उनका पंजीकरण करने के कार्य को और गति देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

कोयला खान मजदूरों द्वारा हड़ताल की धमकी

***299. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि बिहार के हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लगभग 45,000 कोयला खान मजदूरों

में सरकारी क्षेत्र में कोयले के उत्पादन को कम और निर्बन्धित करने की नीति और लाभांश आयोग की सिफारिशों के अनुसार मजदूरों को न्यूनतम लाभांश देना अस्वीकार करने के विरुद्ध मार्च, 1965 के पहले सप्ताह में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और हड़ताल को रोकने तथा उनकी शिकायतों की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीवारेड्डी): (क) और (ख) ऐसा पता चला है कि गिरदीह में कोयला कर्मचारी संघ ने हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला खानों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल की सूचना दी है । यदि 28 फरवरी, 1965 तक कुछ मांगें पूरी नहीं की गई। हड़ताल की धमकी पर किसी भी मांगों के मान लेने का सवाल नहीं है। कोयले की मांगों में कमी के कारण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कोयला उत्पादन की रोकथाम करनी पड़ी और कुछ परियोजनाओं के विकास को धीमा किया गया । बोनस देने का सवाल इस विषय पर प्रस्तावित विधान से सम्बन्धित है। जो इस समय सरकार के विचाराधीन है। तथापि निगम कर्मचारियों की किसी भी उचित परिवेदना पर विचार करने के लिए तैयार है बशर्ते कि ऐसे मामलों की विहित प्रक्रिया का पालन किया जाय ।

कपड़ा उद्योग

*300. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 दिसम्बर, 1964 को भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा मिल मजदूर संघ द्वारा पारित संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार से देश में कपड़ा उद्योग के कुप्रबन्धित एककों तथा "अलाभप्रद" होने के कारण बन्द कर दिये गये उपक्रमों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय बन्द मिलों की समस्या अपने सीमान्त पर है, क्योंकि केवल 9 मिलें ही बन्द हैं और यह संख्या पिछले दशक और उससे भी कुछ अधिक अवधि में सब से कम रही है। इनमें से भी 3 या 4 मिलों के इस वर्ष में चालू हो जाने की आशा है ।

फिर भी, सरकार देश की कपड़ा मिलों पर जिनमें "कुप्रबन्धित" और "अलाभप्रद" मिलें भी सम्मिलित हैं कड़ी देखरेख रखती है और आवश्यकता होने पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 18'क' के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

दक्षिण मध्य रेलवे खंड

*301. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
डा० लक्ष्मीलल्ल सिंघवी :
श्री अ० प्र० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित दक्षिण-मध्य रेलवे खंड बनाने में जिसका प्रधान कार्यालय सिकन्दराबाद में होगा, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : दक्षिण-मध्य नामक एक नयी क्षेत्रीय रेलवे, जिसका मुख्यालय सिकन्दराबाद में होगा, के निर्माण के सम्बन्ध में जिस विनिश्चय की घोषणा संसद् में 23 दिसम्बर, 1964 को की गई थी, उस पर अमल किया जा रहा है।

इस क्षेत्र का कार्य सुचारू ढंग से चलाने के निमित्त कार्यालय और निवास के लिए कई इमारतें बनानी होंगी। इमारतों के लिए ज़मीन की ख़रीद की व्यवस्था कर ली गयी है। जमीन खरीदने और इमारतों के बनाने की इस योजना पर 3.20 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसकी व्यवस्था बजट की मांगों में शामिल कर ली गई है, जो संसद् में पेश है। इमारतों का वास्तविक निर्माण संसद् द्वारा रकम की स्वीकृति मिलने के बाद शुरू होगा। फिलहाल नक्शे बनाने, टेण्डर-अनुसूचियां तैयार करने और अन्य प्रारम्भिक कामों को हाथ में लिया गया है।

इस नये क्षेत्र का निर्माण कार्य-कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है; इसलिए इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसकी स्थापना के कारण रेल परिचालन में यथासंभव कम से कम बाधा पड़े। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि मुख्यालय की स्थापना करने और उसके काम शुरू करने से पहले इमारतों की कम से कम व्यवस्था कर ली जाये। स्थान की योजना के साथ ही साथ कर्मचारियों की योजना भी बनायी जा रही है। मध्य और दक्षिण दोनों रेल प्रशासन इस बात की जांच कर रहे हैं कि नये क्षेत्र बनने से उनके कार्यभार में जो कमी होगी उसके फलस्वरूप वे कितने कर्मचारी छोड़ सकते हैं ताकि वे कर्मचारी सिकन्दराबाद के मुख्यालय में लगाये जा सकें।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस नये क्षेत्र में वस्तुतः काम चालू होने से पहले बहुत से प्रारम्भिक काम और प्रबन्ध करने हैं। आशा है कि इन प्रारम्भिक कामों में मोटे तौर पर लगभग एक साल लग जायेगा।

चौथी योजना के लिए इस्पात का लक्ष्य

651. **श्री राम हरख यादव :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में इस्पात उत्पादन की सही सही स्थिति क्या होगी और चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ;

(ख) उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जायेंगे ;

(ग) क्या चौथी योजना की अवधि में और दो नए इस्पात कारखाने चालू किये जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1965–66 में लगभग 73 लाख मीटरी टन धातु-पिण्डों के उत्पादन की संभावना है। चौथी योजना के कार्यक्रम में कुल 165 लाख मीटरी टन इस्पात पिण्डों की क्षमता तथा 1970–71 तक 145 लाख मीटरी टन इस्पात पिण्डों के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

(ख) तीसरी योजना अवधि में उत्पादन में कमी के मुख्य कारण भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के विस्तार कार्यक्रम तथा बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित करने में हुई देरी है। इन कामों को शीघ्रता से करने के लिए कदम उठाए गए हैं। चौथी योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्तमान इस्पात संयंत्रों का और अधिक विस्तार करने तथा कम से कम एक नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का विचार है। इस दिशा में शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) और (घ). चौथी योजना अवधि में बोकारो में सरकारी क्षेत्र में एक इस्पात कारखाना लगाने का फैसला किया गया है। चौथी योजना अवधि में बोकारों के अतिरिक्त कम से कम एक और नया इस्पात कारखाना लगाने की संभावना है । इस कारखाने के स्थान––निर्धारण के बारे में ब्रिटिश अमेरिकन स्टील वर्क्स फार इंडिया कन्सार्टियम के साथ एक करार किया गया है। कन्सार्टियम से गोआ-होस्पेट और बैलाडिला विशाखापत्तनम क्षेत्रों के शवयता-प्रतिवेदनों तथा नैवेली-सेलम क्षेत्र के एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन का अध्ययन करने और मई, 1965 तक दो सम्भव स्थानों के बारे में सिफारिशें देने को कहा गया है। इसके पश्चात् सरकार नये इस्पात कारखाने के स्थान के बारे में फैसला करेगी

राजस्थान में उद्योगों का विकास

652. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिये प्रोत्साहन देने के बारे में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

कालीन बनाने के कारखाना

653. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **वाणिज्य** मंत्री 14 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 207 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान में कालीन बनाने के कारखाने स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : सितम्बर, 1965 के अन्तिम सप्ताह में राजस्थान की एक पार्टी को एक 'विचार पत्र' प्रेषित किया गया था जिसमें यह सूचना दी गई थी कि पार्टी ने कोटा में 16,000 वर्ग गज प्रति मास कालीन तैयार करने का लाइसेंस दिये जाने के लिये जो आवेदन पत्र दिया था उस पर सरकार विचार करने को तैयार है । यह विचार पत्र 6 महीने के लिये वैध था । शर्त यह लगाई गई थी कि इस सम्बन्ध में जो शर्तें निश्चित की गई हैं उन्हें पार्टी स्वीकार कर ले । पार्टी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह उपर्युक्त 6 महीने की अवधि में मशीनें आयात करने की व्यवस्था, विदेशों में कालीन बेचने इत्यादि के बारे में अपने स्थिर प्रस्ताव प्रस्तुत करे । पार्टी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

उत्तर रेलवे में यात्रियों के लिए सुविधायें

654. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर बीकानेर तथा सदूलपुर के बीच स्टेशनों पर यात्रियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 1963–64 में कितनी राशि उपलब्ध की गई ;

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई ; और

(ग) उस वर्ष इन सुविधाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 26,000 रुपये ।

(ख) स्टेशनों पर निम्नलिखित सुविधाएं देने के सम्बन्ध में लागत के एक अंश को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई थी :—

स्टेशन	सुविधा के काम
बीकानेर	विश्राम-गृह और जल-पान गृह की व्यवस्था ।
रतनगढ़	यात्री प्लेटफार्म पर छत लगाना ।
चुरू	मुसाफिरखाने का विस्तार और फ्लशदार शौचालयों की व्यवस्था ।
चुरू	यात्री प्लेटफार्म पर छत लगाना ।

सात रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों, तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों और स्टेशन की इमारत में बिजली लगाना ।

(ग) 7,000 रुपये ।

बीकानेर-दिल्ली मेल

655. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बीकानेर-दिल्ली मेल में अत्यधिक भीड़ के कारण जनता को बहुत असुविधा होती है जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि बीकानेर और दिल्ली के बीच जब कि यातायात की आवश्यकता बीकानेर मेल से पूरी नहीं होती विशेषतः सप्ताह में रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को एक और सीधी गाड़ी चलायी जाये क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई गाड़ी नहीं है; और

(ख) क्या सरकार को एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बीकानेर डाकगाड़ियों में कुछ खण्डों पर कुछ भीड़ होती है ।

(ख) जी हां; दिल्ली-रेवाड़ी खण्ड पर लाइन क्षमता उपलब्ध न होने के कारण एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना सम्भव नहीं हो सका है । चूंकि बीकानेर डाकगाड़ियां पूरे भार के साथ चल रही हैं, इसलिये यह भी सम्भव नहीं है कि उनमें डिब्बों की वर्तमान संख्या बढ़ाई जाय ।

Lister Truck Drivers of Jamalpur Workshop

656. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Lister Truck Drivers of Jamalpur Workshop sent a complaint to the Secretary, Railway Board, regarding the non-inclusion of their category into the category of skilled workers as has been done in the case of workers of similar categories by Pay Commission; and

(b) If so, the action taken thereon?

The Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, to the Eastern Railway.

(b) Lister Truck Drivers have been classified as semi-skilled category by the Railway Workers' Classification Tribunal after assessing their duties. As such there is no justification for revising their classification from semi-skilled to skilled category.

गंधक तथा राक फासफेट का आयात

657. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गंधक तथा राक फासफेट का आयात करने की वर्तमान प्रणाली क्या है; और

(ख) क्या लाभप्रद मूल्य पर अपेक्षित मात्रा में इनका आयात करने में कोई कठिनाई अनुभव की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) शोधित गन्धक आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है । अन्य सभी वर्गों के गन्धक का आयात केवल अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऋण के अन्तर्गत अमरीका से करने की अनुमति दी जाती है । अनुसूचित उद्योगों की कुल आवश्यकता के लिए म० सल्फर एक्स्पोर्ट कारपोरेशन आफ़ न्यूयार्क के एजेन्टों की मार्फत आयात होता है तथा इसका वितरण सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्यों पर महानिदेशालय तकनीकी विकास द्वारा किये गये नियतनों के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को किया जाता है । अमरीका से इसका आयात संस्थापित आयातकों द्वारा अ० अ० वि० ऋण के अन्तर्गत भी किया जाता है । इससे अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूर्ति की जाती है । चालू वर्ष में कोलम्बो योजना व्यवस्थाओं के अधीन कनाडा से भी थोड़े परिमाण में गन्धक का आयात करने की व्यवस्था की गई है । ये आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाते हैं ।

राक फास्फेट का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है और उपभोक्ताओं के मध्य इसका वितरण महानिदेशालय तकनीकी विकास द्वारा किये गये नियतनों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

माल गाड़ी में चोरी

658. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हिम्मतसिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 फरवरी, 1965 की रात को पूर्व रेलवे के ग्रांड कार्ड सेक्शन पर गंजख्वाजा रेलवे स्टेशन से कुछ मील दूर रामपुर गांव के निकट एक चलती मालगाड़ी को रोक कर काफी मात्रा में माल की चोरी की गई ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे को लगभग कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 5-2-1965 को गाड़ी नं. जी. एम. पी. 006 डाउन मुगलसराय डाउन प्रस्थान यार्ड से 20.00 बजे रवाना हुई । होज़ पाइप जुड़े न रहने के कारण यह गाड़ी एक बार पूर्वी फ्लाई ओवर केबिन और गंजख्वाजा स्टेशनों के बीच 20.25 बजे से 20.45 बजे तक और फिर गंजख्वाजा और चंदोसी मजवार स्टेशनों के बीच 21.00 बजे से 21.45 बजे तक रुकी रही । जब यह गाड़ी 21.55 बजे चंदोसी मजवार स्टेशन पर पहुंची, तो रेलवे सुरक्षा दल और गाड़ी के गार्ड ने मालडिब्बा नं. 67516 का दरवाजा खुला पाया । यह डिब्बा मुगलसराय से डाल्टेनगंज के लिये बुक था । इस मालडिब्बे को फिर मुहबन्द किया गया और डाल्टेनगंज स्टेशन पर 13-2-1965 को जब उसके माल की जांच की गई, तो उसमें 6 पैकेज कम पाये गये । मुगलसराय की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और वह उसकी

जांच कर रही है। प्रभावित क्षेत्र में तलाशी लेकर रेलवे सुरक्षा दल ने मोटे कपड़े की 23 जोड़ी साड़ियां और लोहे की क्लिपों का एक गुच्छा बरामद किया है जिनकी कीमत 260 रुपये है।

(ग) लगभग 1,800 रुपये।

"वंसधारा" नदी पर रेलवे पुल

659. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के वालटेयर-हावड़ा सेक्शन पर "वंसधारा" नदी पर दूसरा रेलवे पुल बनाने का कार्य कब प्रारम्भ होगा ;

(ख) क्या उसके लिये कोई योजना तथा प्राक्कलन तैयार किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) पलासा और विजयानगरम् के बीच दोहरी लाइन बिछाने की योजना के अंग के रूप में "बंसधारा" नदी पर एक दूसरा पुल बनाया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित दूसरे पुल में 80–80 फीट के 18 स्पैन होंगे और इसकी अनुमानित लागत 45.34 लाख रुपये हैं। यह पुल वर्तमान पुल के पास बनाया जा रहा है।

चुराया गया रेलवे सामान

660. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 फरवरी, 1965 को गोरखपुर जिले के पिपराइच कस्बे में एक व्यापारी के पास से कई हजार रुपये के मूल्य का रेलवे का चुराया गया माल तथा तांबे का तार बरामद हुआ ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त माल का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस मामले में किसी रेलवे कर्मचारी का भी हाथ था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 9-2-1965 को बाबूलाल, पुत्र, विश्वनाथ, निवासी ग्राम सिधौलिया, पुलिस स्टेशन पिपराइच, जिला, गोरखपुर नाम का एक अपराधी रामकोला स्टेशन पर एक्सल ब्रास की चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद बाबूलाल ने रेलवे के चुराये गये सामान की बिक्री और उन्हें लेने वाले व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिये, जिनके आधार पर गोरखपुर के रेलवे सुरक्षा दल ने गोरखपुर की सरकारी रेलवे पुलिस और पिपराइच की सिविल पुलिस के सहयोग से 10-2-1965 को एक छापा मारा। इस छापे में पिपराइच के मेसर्स रामजस राय जूठामल फर्म के यहां से पीतल, तांबे और

एल्युमिनियम के कई सामान बरामद किये गये, जिनमें से अधिकांश पर रेलवे का चिह्न था। बरामद सामान की कीमत लगभग 20,000 रुपये है।

(ग) पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। केवल पिपरिया निवासी जूठामल के पुत्र श्री राधेश्याम को सरकारी रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

वेदारण्यम् रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारी

661. **श्री थेनगौडर**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थानजाबूर के जिला कलक्टर ने वेदारण्यम् (कोडिक्करे) रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे की तिरूच्चिरापल्ली डिवीजन) के रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध वहां हुए हाल ही के महोदयम उत्सव के लिए जुटाई गई अपर्याप्त सुविधाओं तथा उनके आपत्तिजनक व्यवहार के बारे में शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है. अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता

Catering on Stations and Trains

662. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether he has received complaints regarding catering on some stations and trains specially on the Central, Western and Northern Railways, since the introduction of departmental catering; and

(b) if so, whether any efforts are being made to make improvements in this regard and the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) Constant endeavour is being made to improve departmental catering, the more important of the measures that have been/are being taken being as follows:—

(i) Giving special training to supervisory staff, such as inspectors and managers as also to all cooks and bearers.

(ii) Laying down schedules for various preparations.

(iii) Ensuring supply of good quality material.

(iv) Extension of the use of refrigeration/insulation equipment, such as refrigators, thermoses, insulated tea/coffee urns, hot boxes for keeping hot food/beverages etc.

(v) Greater use of stainless steelware for serving food etc.

(vi) Increase in the scale of uniforms particularly in respect of staff employed in mobile establishments.

(vii) Appointment of Catering Advisory Committees at Zonal and Station levels, to advise administration.
(viii) More intensive supervision.
(ix) Construction of a bigger type of B.G. Dining Car providing for larger room in the kitchens, pantries, storage, dining hall and for staff.
(x) Standardisation of meals.

केरल में रबड़ की खेती

663. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सरकार से केरल में रबड़ की खेती की अनुमति न देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केरल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारी की हत्या

664. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 दिसम्बर, 1964 को शाहपुर पटोरी स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे के एक कर्मचारी की हत्या हो गई ;

(ख) यदि हां, तो हत्या के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या वह अधिकारी दूसरी श्रेणी के महिला डिब्बे में यात्रा कर रहा था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पुलिस द्वारा अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि इसका वास्तविक कारण क्या था ।

(ग) जी नहीं । मृतक पहले दर्जे के डिब्बे में सफर कर रहा था ।

मशीनी औजार बनाने वाले उद्योगों का विकास

665. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० क० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार नये खोले गये भारतीय औद्योगिक बैंक के परामर्श से एक योजना बना रही है जिसका ध्येय यह है कि मशीनी औजारों तथा अन्य मशीन बनाने वाले

उद्योगों के विकास की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूंजी निरन्तर और दीर्घकालीन आधार पर प्राप्त होती रहे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). ऐसी कोई भी विशेष योजना तैयार नहीं की जा रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों के आधार पर मशीन बनाने वाले उद्योगों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में प्रत्येक आवेदन-पत्र पर अलग अलग विचार करती है। यह उनकी हिस्सा पूंजी के हामीदारी के रूप में तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन उद्योगों को दिये गये ऋणों की पुनः वित्त व्यवस्था करके उनकी सहायता करता है।

Light Railway Companies

666. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri R. S. Tiwary:
Dr. Saradish Roy:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Light Railway Companies in the country have outlived their utility; and

(b) if so, whether Government have under consideration any proposal to nationalise them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Many of the Light Railways provide a transport service to areas which would otherwise be badly served for transport, and traffic on some of these Railways is quite heavy.

(b) Whenever the option for purchase of one of these branch lines falls due under the contract, the case is considered on its own merits. All relevant factors, financial and other, are considered in deciding whether the option of purchase should be exercised or not. The efficiency of management of the line, the quality of service rendered to the public, its existing pattern of management, its financial remunerativeness, the amount of any annual subsidy paid, and the desirability of devoting part of the limited financial resources to acquiring a line which is already serving the public under the present arrangements, are some of the considerations which weigh in the decision.

रेलवे के फाटकों पर दुर्घटनायें

667. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में भारतीय रेलवे के फाटकों पर (जोनवार) कितनी दुर्घटनायें हुईं तथा 1963 और 1962 के तत्स्थानीय आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कम या अधिक हैं ;

(ख) प्रति वर्ष बिना चौकीदार के कितने फाटकों पर (एक) चौकीदारों को रखा गया ; और (दो) स्वचालित संकेत व्यवस्था की गई तथा कितने फाटक अभी बिना चौकीदार के हैं; और

(ग) भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शेष फाटकों पर चौकीदारों तथा उचित संकेतों की व्यवस्था करने के बारे में क्या कार्यक्रम है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 1962, 1963 और 1964 में भारत की सरकारी रेलों में समपारों पर घटित कुल दुर्घटनाओं की संख्या (अलग-अलग क्षेत्रों में) इस प्रकार है :—

रेलवे	1962	1963	1964
मध्य	14	5	6
पूर्व	13	9	15
उत्तर	27	28	14
पूर्वोत्तर	25	23	19
पूर्वोत्तर सीमा	33	26	34
दक्षिण	30	29	28
दक्षिण-पूर्व	14	15	15
पश्चिम	23	25	15
जोड़	179	160	146

(ख) (1) 1962 से 1964 तक बिना चौकीदार वाले 410 समपारों पर चौकीदार तैनात किये गये। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1962	16
1963	143
1964	251

(ख) (2) 1963 में दो समपारों पर चेतावनी घंटियां लगायी गयीं जो गाड़ियों के गुजरने के समय अपने आप बजने लगती हैं। ये घंटियां केवल परीक्षणार्थ लगायी गई थीं।

इस समय भारत की सरकारी रेलों में बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या लगभग 20,000 है।

(ग) जिन महत्वपूर्ण समपारों पर चौकीदार रखने का औचित्य है, उन पर राज्य सरकारों के परामर्श से चौकीदार रखने के सम्बन्ध में एक क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है।

जिन समपारों पर इस तरह चौकीदार रखे जायेंगे, उन पर सिगनलों की व्यवस्था करने के बारे में उन समपारों के साथ ही विचार किया जायेगा जिन पर पहले से ही चौकीदार तैनात हैं ।

माल का लाना ले जाना

668. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने माल की ढुलाई के लिए प्राथमिकता सूची बना रखी हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा ब्यापारियों के खाद्यान्नों की ढुलाई को कौन सी सापेक्ष प्राथमिकता दी जाती है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और ब्यापारियों के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई की सापेक्ष प्राथमिकता इस प्रकार है :—

(1) केन्द्रीय सरकार के लिए रेल बोर्ड द्वारा अनुमोदित खाद्यान्न, जिसमें गेहूं से बने 'पदार्थ', जैसे आटा सूजी और रवा शामिल हैं, की ढुलाई—प्राथमिकता "बी"

(2) राज्य सरकारों या संघीय प्रदेशों द्वारा प्रायोजित और रेलों द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार खाद्यान्न की ढुलाई— प्राथमिकता "सी"

(3) ब्यापारियों के लिए गेहूं और गेहूं से बने पदार्थों की अन्तर्राज्यीय और राज्य के अन्दर ढुलाई— प्राथमिकता "डी"

(4) ब्यापारियों के लिए बिना कण्ट्रोल वाले चावल, धान और उनसे बने पदार्थों की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई— प्राथमिकता "डी"

(5) उपर्युक्त मदों में जो यातायात नहीं आते उनकी ढुलाई तरजीही यातायात अनुसूची (Preferential Traffic Schedule) की मद 'ई' के अन्तर्गत की जाती है जिसमें खाद्यान्नों और कुछ दूसरी वस्तुओं के लिए अलग-अलग वस्तु कोटा दिये गये हैं ।

करताल--कमासन और झांसी-मानिकपुर रेल सम्पर्क

669. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बुन्देलखण्ड के लोगों से करताल और कमासन क्षेत्र को झांसी-मनिकपुर लाइन के साथ मिलाने के बारे में जिस का 1929 में ही सर्वेक्षण हो चुका था, सामग्री इकट्ठी की जा चुकी थी और सीमांकन हो गया था, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) (क) और (ख). करताल से कामासिन तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं। पहले की (1926 से 1938 के बीच की गई) जांच से पता चला था कि यह लाइन अलाभप्रद होगी। उस समय इस लाइन की जो लागत आंकी गई थी उससे वर्तमान लागत संभवतः बहुत अधिक होगी और इस कारण यह प्रायोजना और अधिक अलाभप्रद होगी। नयी लाइनों के निर्माण के लिए उपलब्ध सीमित रकम और साधनों को देखते हुए निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण की संभावनाएं बहुत कम हैं।

रेलवे कर्मचारी

670. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1960 की हड़ताल के पश्चात् सेवामुक्त किये गये कुछ रेलवे कर्मचारियों को पुनः नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे खण्ड में ऐसे कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) क्या सरकार उनके मामलों पर अभी तक विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) पदच्युत किये गये / नौकरी से हटाये गये 61 और बर्खास्त किये गये 12 रेल कर्मचारियों को फिर से ड्यूटी पर नहीं लगाया गया

(ख) रेलवे	उन रेल कर्मचारियों की संख्या जिन्हें पदच्युत किया गया नौकरी से हटाया गया और फिर से ड्यूटी नहीं लगाया गया ।	उन रेल कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बर्खास्त किया गया और फिर से ड्यूटी पर नहीं लगाया गया ।
मध्य . .	27	
उत्तर . .	11	3
पूर्वोत्तर . .	1	..
दक्षिण . .	5	..
दक्षिण-पूर्व . .	2	2
पश्चिम . .	11	7
सवारी डिब्बा कारखाना	4	..
	61	12

(ग) जी नहीं ।

बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग

671. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1964 से 31 दिसम्बर, 1964 तक की अवधि में उत्तर रेलवे के दिल्ली खण्ड में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या क्या है और उनसे जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये यात्रियों की कुल संख्या 261,288 थी जिनसे किराये, अधिप्रभार और जुर्माने के रूप में क्रमशः 5,59,021 रुपये, 2,28,460 रुपये और 18,888 रुपये वसूल किये गये ।

लोहे की भाड़े की दरें

672. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मंत्री द्वारा भारतीय लोहा और इस्पात कबाड़ संस्था को दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए लोहे और इस्पात के कबाड़ को तटदूर केन्द्रों में इकट्ठा करने को प्रोत्साहन देने के लिए उनके रेलवे भाड़े की दरें कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रियायत देने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). रद्दी लोहे और रद्दी इस्पात की भाड़ा-दरों में आम कमी करने की प्रार्थना पर विचार किया गया है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया है। सच बात तो यह है कि बजट प्रस्तावों में इस रद्दी माल की भाड़ा-दर बढ़ा दी गई है ।

वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से इस प्रश्न पर आगे विचार किया जा रहा है कि निर्यात किये जाने वाले रद्दी लोहे और रद्दी इस्पात की भाड़ा-दरों को घटाना व्यावहारिक है या नहीं।

व्यापार विशेषज्ञों का अन्तर्राष्ट्रीय दल

673. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 18 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यापार विशेषज्ञों के अन्तर्राष्ट्रीय दल का प्रतिवेदन मिल गया है, जो हमारे निर्यात प्रयत्नों का अध्ययन करने के लिए भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने उनके बारे में क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). जी, नहीं। सरकार को प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है।

पठानकोट में रेल के एक डिब्बे में लड़की के शव का पाया जाना

674. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1964 के अन्तिम सप्ताह में पठानकोट स्टेशन पर रेल के एक डिब्बे में एक सन्दूक में एक जवान लड़की की लाश पाई गयी थी ;

(ख) यदि हां तो क्या लाश पहचान ली गई थी ; और

(ग) क्या इस बीच अपराधी गिरफ्तार कर लिये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां जब पठानकोट एक्सप्रेस पठानकोट स्टेशन पर पहुंची तो उसके तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में पड़े एक सन्दूक में एक युवती की लाश पायी गयी ।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा भरसक कोशिश किये जाने के बावजूद भी लाश पहचानी न गयी ।

(ग) अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

दीवा-पन्वेल रेल सम्पर्क

675. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीवा-पन्वेल रेल सम्पर्क को मंगलौर तक बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). पन्वेल-आप्ता सेक्शन बनाने का काम चल रहा है । इस लाइन का विस्तार डालगांव/रत्नगिरि तक करने की संभावना अर्थक्षमता की अभी जांच की जा रही है। इस लाइन को और आगे मंगलौर तक बढ़ाने के बारे में तत्काल कोई विचार नहीं हैं ।

सीमेंट निगम

676. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री हेमराज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मधु लिमये :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री 19 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की नई स्थापित सीमेंट निगम के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या निगम के सभापति तथा निदेशक बोर्ड की नियुक्तियों के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) सीमेंट निगम के उद्देश्य व लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

(1) देश में सीमेंट ग्रेड के चूने के पत्थर का सर्वेक्षण उसकी खोज तथा उसे प्रमाणित करना ।

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्भावित सीमेंट उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक क्षमता स्थापित करना ।

(3) सीमेंट उद्योग तथा विशेषज्ञता के विकास के लिए सभी संबंधित तथा सहायक कार्य करना ।

(ख) तथा (ग) : संचालक बोर्ड में कार्य एक अवैतनिक अध्यक्ष, एक पूरे वेतन पर संचालक जो प्रबन्ध संचालक तथा प्रमुख कार्याधिकारी होगा और सात अंशकालिक संचालक होंगे, जिनमें से दो गैर-सरकारी होंगे ।

बन्दरों का निर्यात

677. **श्री महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से बन्दरों के निर्यात में दक्षिण -पूर्वी एशिया के देशों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण काफी कमी होती जा रही है जिनकी पोलियो का टीका बनाने के लिए अमरीका में भारी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए फिर से निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) और (ख) : बन्दरों का कुल निर्यात इधर कम होता गया है । किन्तु 1963–64 में अमेरिका को होने वाले निर्यात में वृद्धि हो गई और 47065 बन्दर भेजे गये जबकि 1961–62 में 41082 और 1962–63 में 42466 भेजे गये थे । बन्दर कोई वाणिज्यिक वस्तु नहीं है इसलिये इनके निर्यात का संवर्द्धन करने के लिये कोई उपाय नहीं किये जाते ।

इंडियन चलचित्र निर्यात निगम

678. **श्री महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चल चित्र निर्यात निगम को निर्यात अधिकार बेचने के लिए प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को क्या-क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ! और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा उन प्रतिभाशाली रंगीन चलचित्र निर्माताओं को रंगीन कच्ची फिल्में आयात करने के लिये लाइसेंस देने की सिफारिश की जाती है, जो कि उन चल चित्रों के निर्यात अधिकार निगम को बेच देते हैं । इस प्रकार से निर्माताओं को देश में न मिल सकने वाले कच्चे माल की उपलब्धि अग्रिम रूप में हो जाती है तथा उन्हें विदेशी फर्मों से पक्के आर्डर भी नहीं लेने पड़ेंगे ।

यह सुविधा अभी हाल ही में लागू की गई है, इसलिये इस के परिणामों का आकलन अभी नहीं किया जा सकता ।

फोटो सम्बन्धी सामान का आयात

679. **डा० लक्ष्मी मल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराने आयातकों को फोटो सम्बन्धी सामान के आयात करने के लिये 1956 तथा 1964 में कुल कितने कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये ;

(ख) 1964 से 1965 तक की अवधि में "लिबरल लाइसेंसों" के उपयोग के आधार पर फोटो सम्बन्धी सामान के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितनी फर्में हकदार हुई और इस प्रकार कुल कितनी राशि के लाइसेंस दिये गये ; और

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न फर्मों को अब भी काफी लाइसेंस दिये जा रहे हैं क्योंकि उन पुराने आयातकों को जिन्होंने घोषित नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 1955-56 से पहले कोई आयात नहीं किया, लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार नहीं है

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1956 में 196.29 लाख रुपये मुल्य के दिये गए लाइसेंसों के मुकाबले में चालू अवधि के दौरान, अर्थात् अप्रैल 64—मार्च 65 (5-12-64 तक) कुल 31.70 लाख रुपये के मूल्य के लाइसेंस पुराने आयातकों को दिये गए ।

(ख) 1954—56 तक की अवधि में "लिबरल लाइसेंसों" के उपयोग के आधार पर फोटो सम्बन्धी सामान के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितनी फर्में हकदार हुई इसका कोई अलग लेखा नहीं रखा जाता । इसलिये इन फर्मों की संख्या बताना संभव नहीं है ।

(ग) जी, नहीं । पुराने आयातकों को घोषित नीति के अनुसार मूल अवधि जो कि वित्तीय वर्ष 1955-56 तक बढ़ा दी गई थी में हुए उनके व्यापार के आधार पर लाइसेंस दिये जाते हैं ।

रेलवे प्लेटफार्मों पर भीख मांगना

680. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेलवे प्लेटफार्मों पर और चलती गाड़ियों में बड़े पैमाने पर लोग भीख मांगते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्लेटफार्मों और चलती गाड़ियों से इस आपत्तिजनक काम को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सरकार को मालूम है कि कुछ स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर और कुछ चलती गाड़ियों में लोग भीख मांगते हैं ।

(ख) एक बयान साथ नत्थी है जिसमें यह बताया गया है कि भीख मांगने वालों का उत्पात रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

विवरण

रेलवे में भीख मांगने वालों का उत्पात रोकने के लिए किये गये उपाय

इस सम्बन्ध में रेलों में जो उपाय हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(i) खासतौर पर बड़े -बड़े स्टेशनों पर रेलवे पुलिस की सहायता से विशेष अभियान चलाये जाते हैं।

(ii) इस बुराई को दूर करने के लिए चल-टिकट परीक्षकों और रेल सुरक्षा दल के सैनिकों के विशेष दस्ते बनाये जाते हैं।

(iii) पोस्टर लगाकर और लाउड स्पीकर पर एलान आदि के जरिए जनता का सहयोग प्राप्त किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि जनता भीख मांगने वालों को भीख न दे।

(iv) कुछ खण्डों पर गाड़ियों में सादी पोशाक में चल-टिकट परीक्षक तैनात किये जाते हैं।

(v) दीर्घकालिक उपाय के रूप में पुराने किस्म के सवारी डिब्बों की जगह ऐसे डिब्बे चलाने की व्यवस्था की जा रही है जिनमें केवल दरवाजे पर पायदान होते हैं ताकि भीख मांगने वाले चलती गाड़ी में एक कक्ष से दूसरे कक्ष में न आ-जा सकें।

Aligarh Railway Station

681. { **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the office of the local Station Master, Aligarh Railway Station was raided by some officers of the Central Intelligence Bureau and Railway authorities on the 15th December, 1964 and certain secret documents seized;

(b) if so, whether the matter has since been investigated; and

(c) the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railway (Dr. Ram Subhag Singh): (a) On 7th December, 1964 the office of the Station Master was raided by the Vigilance Squad of Northern Railway with the assistance of Special Police Establishment and certain official documents were seized, which were not of secret nature. The Station Master was found to have drawn money against fictitious names enrolled by him as parcel porters.

(b) and (c). The case has been handed over to Special Police Establishment for further investigations which are in progress.

Bharat Darshan Tours

682. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:
Shri Chandak:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government incur heavy expenditure every year on Bharat Darshan Tours;

(b) if so, the number of trains run for the purpose during 1964-65 and the expenditure incurred thereon; and

(c) the names of the Stations from where such trains are started?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to c. Accounts are not separately maintained for individual trains to indicate the expenditure thereon.

During the financial year 1964-65 so far, 18 special trains have been run for pilgrims, kisans, tourists etc., as under:—

Station from	No. of specials.
Anklav	1
Bombay Central	2
Miyagam	1
Ballard Pier	3
Cambay.	1
Gajharia.	2
Nana.	1
Jawai Bandh	1
Rani	1
Howrah	1
Dhanbad	1
New Delhi	1
Amritsar.	1
Jagadhri	1
	18

Cement and Engineering Industries in Nepal

683. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a twelve-member delegation from Nepal visited India in the middle of December, 1964 and negotiated with the Government of India regarding the establishment of cement and engineering industries in Nepal; and

(b) if so, the result of these negotiations?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibundhendra Misra): (a) No such delegation from Nepal visited India in the middle of December, 1964.

(b) Does not arise.

रूस के साथ व्यापार

684. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **वाणिज्य** मंत्री 18 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 583 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस बारे में निर्णय कर लिया है कि दोनों देशों के बीच हुए व्यापार करार के अन्तर्गत रूस से क्या-क्या तथा कितनी मात्रा में वस्तुएं मंगाई जायेंगी तथा रूस को क्या-क्या तथा कितनी मात्रा में वस्तुएं भेजी जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) रूस के साथ हाल ही में हुए व्यापार करार के अनुसार 100-125 करोड़ रुपये मूल्य तक की वस्तुओं का सन्तुलित आधार पर परस्पर आदान-प्रदान किया जा सकता है । रूप से आयात होने वाली वस्तुओं तथा रूस को भेजी जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख उस व्यापार करार की संलग्न अनुसूचियों में किया गया है जिस पर 10 जून, 1963 को हस्ताक्षर किये गये थे ।

प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बों में सीढ़ियां

685. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों से सीढ़ियां हटा दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जिन यात्रियों को ऊपर की बर्थ दी जाती है, उनकी सुविधा के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) शुरू में पहले दर्जे के कुछ गलियारेदार डिब्बों के कक्षों में सीढ़ियों की व्यवस्था की गयी थी लेकिन अब पायदानों (footstep) की व्यवस्था की गई है जो ऊपर की शायिकाओं पर चढ़ने में सिढ़ियों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त पाये गये हैं । इसलिए पहले दर्जे के कक्षों में सीढ़ियों की बजाय पायदान लगाये जा रहे हैं ।

Steel Plant in Bastar

686. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish a steel Plant in Bastar;

(b) if so, the estimated capital outlay on the project; and

(c) the name of the foreign collaborator and the amount of foreign exchange required for the project?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) The decision about location of a new steelworks in the Fourth Five Year Plan period would be taken on receipt of the recommendations of the British Americain Steelworks for India Consortium who have been asked to study the feasibility reports for steelworks in the Bailadila-Visakhapatnam, and the Goa-Hospet regions as well as the Detailed Project Report on a steelworks in the Neyveli-Salem region, and to recommend two possible sites for consideration of the Government. The recommendations are expected by May, 1965.

(b) and (c). Does not arise.

इस्पात परियोजनाओं में विनियोजन

687. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, भिलाई, और रूरकेला, के इस्पात कारखानों में से प्रत्येक में इन मदों पर कितनी-कितनी राशि विनियोजित की गई है :—

(1) संयंत्र

(2) सहायक सेवाओं को मिलाकर नगर,

(3) यदि ऐसी कोई विविध मद है तो वह जो उपरोक्त मदों में शामिल नहीं है, और

(ख) संयंत्र के निर्माण और परिचालन-अवस्था के दौरान लागत नियन्त्रण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों पर 31 मार्च, 1964 तक दिया गया पूंजीगत व्यय ।

	10 लाख टन क्षमता का कारखाना (दस लाख रुपये)	विस्तार
राउरकेला		
संयंत्र	2210.4+	331.6
बस्ती और खानें . . .	260.5	40.5
भिलाई		
संयंत्र	1506.0†	487.0
बस्ती और सहायक काम . .	.511.0†	69.0
दुर्गापुर		
संयंत्र	1579.52	76.88
बस्ती और सहायक काम . .	369.99	38.02

*उर्वरक संयंत्र और पाइप संयंत्र पर व्यय भी सम्मिलित है ।

†भिलाई में 10 लाख टन के कारखाने और बस्ती और सहायक कार्यों का वितरण अनुमानित आधार पर है ।

(ख) संयंत्र निर्माण

निर्माण लागत पर सतत निगरानी रखने के लिए निर्माण कार्यकारी मुख्य इंजीनियरों के अधीन लागत नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं । जहां तक संभव होता है कारखाने के उत्पादों का निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है । उदाहरणार्थ धमन भट्टियों के धातुमल को सड़कें बनाने और रेल-पथों की भराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है । इसी प्रकार मिलों से निकलने वाले रद्दी इस्पात को जंगले , सीढ़ियां आदि बनाने के लिए काम में लाया जाता है ।

उत्पादन लागत पर नियंत्रण

उत्पादन लागत पर सतत निगरानी रखी जाती है और इसके लिए कारखानों में मासिक बैठकों में नियमित रूप से लागत का पुनरीक्षण किया जाता है । उत्तम परिचालन प्रविधियों के प्रयोग अधिकतम उत्पादन रद्दी माल के अच्छे पुनर्लाभ से जिससे इस्पात पिघलाने के कारखानों में इस्तेमाल करने के लिए रद्दी माल के क्रय में कमी करने, धमन भट्टियों में कोक की दर में कमी करने के लिए विशेष प्रयत्नों, पुनर्वेलन मिलों में पुनर्वेलन के समय का अधिकतम उपयोग करने से उत्पादन में कमी की जाती है ।

व्यापार प्रतिनिधि मंडल

688. श्री दलजीत सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1964 से आज तक कितने विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भारत आये और कितने भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को गये ; और

(ख) इसी अवधि में किन देशों के साथ व्यापार समझौते हुए ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सितम्बर, 1964 से 1965 के फरवरी मास के अन्त तक चार विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भारत आये और 12 सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को भेजे गये।

(ख) इस अवधि में पाकिस्तान, श्री लंका और पूर्व जर्मनी से व्यापार करार/व्यवस्थाएं की गयीं । जोर्डन और इराक के साथ हुए करारों को वैधता की अवधि बढ़ाने के लिये संलेखों पर हस्ताक्षर किये गये। व्यापार विनिमय के लिये संयुक्त अरब गण-राज्य जोर्डन और ईराक से नई व्यवस्थाएं भी की गयीं ।

उत्तर रेलवे में सहकारी ऋण समितियां

689. श्री दलजीत सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी सहकारी श्रम समितियों और कितने सहकारी उपभोक्ता स्टोर इस समय उत्तर रेलवे पर काम कर रहे हैं ; और

(ख) चौथी योजना के दौरान ऐसे कितने स्टोर खोले जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) सहकारी ऋण समितियों की संख्या . .	5
मौजूदा चालू सहकारी उपभोक्ता भंडारों की संख्या	35
(ख) सहकारी ऋण समितियों की संख्या	कोई नहीं
सहकारी उपभोक्ता भंडारों की संख्या	8

जवानवाला शहर और गूलर के बीच रेलवे लाइन

690. श्री दलजीत सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री 2 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट और जोगिन्दर नगर सेक्शन पर जवान वाला शहर और गूलर स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन बिछाने सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) जी अभी नहीं । मई, 1964 में प्रायोजना की रिपोर्ट को पहले-पहल अन्तिम रूप दिया गया था। बाद में व्यास प्रायोजना के अधिकारियों ने जलाशय (Reservoir) की सतह के बारे में कुछ संशोधित आंकड़े दिये । इसलिए इसका फिर से सर्वेक्षण करना जरूरी हो गया । फिर से सर्वेक्षण करने का काम अक्टूबर, 1964 में शुरू किया गया और यह काम अभी हो रहा है । आशा है जून, 1965 तक नई प्रायोजना रिपोर्ट तैयार हो जायेगी ।

सीमेंट का नियतन

691. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री उइके :
श्री राधेलाल व्यास :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63 और 1963-64 में मध्य प्रदेश सरकार को सीमेंट का कितना कोटा नियत किया गया था; और

(ख) इसी अवधि में वस्तुतः कितना सीमेंट उस सरकार को दिया गया ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश को राज्य के कोटे में से नियत किया गया और संभरण किया गया सीमेंट नीचे के आंकड़ों में दिखाया गया है :—

वर्ष	नियतन (मी० टनों में)	संभरण (मी० टनों में)
1962-63	194,250	175,591
1963-64	277,510	202,371

राजस्थान में मशीनी औजार कारखाना

692. **श्री सुबोध, हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री कर्णी सिंह जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में राजस्थान में एक मशीनी औजार कारखाना खोला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राज्य क्षेत्र में होगा या केन्द्रीय क्षेत्र में; और

(ग) कारखाने में किस प्रकार की मशीनी औज़ार बनाने का विचार है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ग). केन्द्रीय क्षेत्र में चैकोस्लोवाक सोशियालिस्ट गणतंत्र की सहायता से दो मशीनी औज़ार बनाने के कारखाने स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है । इनमें से एक 5,000 टन वार्षिक क्षमता का मध्यम आकार के भारी मशीनी औजार बनाएगा। तथा दूसरा 3,000 टन वार्षिक क्षमता का ग्राँइंडिंग मशीनी औज़ार बनायेगा। इस सम्बन्ध में एक चैक दल से बातचीत प्रगति कर रही है । राजस्थान उन राज्यों में से एक है जिनमें इन दो कारखानों की स्थापना करने पर विचार हो रहा है ।

मोटर गाड़ियों का निर्माण

693. **श्री द० जी० नायक :** क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार निर्माण की लागत कम करने के लिये मोटर-गाड़ियों की बाडी बनाने के लिए प्रमापीकरण योजनायें लागू करने का है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधन्द्र मिश्र) : मोटर-गाड़ियों की बाडियों का मानकीकरण करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है ।

भिलाई में सीमेंट कारखाना

694. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने के कचरे को उपयोग में लाने के लिये भिलाई में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या कोई विस्तृत योजना बनाई गई है ;

(ग) क्या यह देशी साधनों से स्थापित किया जायेगा ; और

(घ) क्या इसको तीसरी योजना की अवधि में स्थापित किया जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ) भिलाई इस्पात संयंत्र के धातु के कचरे (स्लैग) का उपयोग करके सीमेंट कारखानों की स्थापना करने की तीन योजनाओं के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है। धातु का दानेदार कचरा (स्लैग) लगभग 950,000 मीट्रिक टन उपलब्ध हो जाने की आशा है।

(1) हिन्तुस्तान स्टील लिमिटेड को भिलाई में लगभग 300,000 मीट्रिक टन धातु का कचरा (स्लैग) इस्तेमाल करके 600,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में एक आशय-पत्र दे दिया गया है। हिन्दुस्तान स्टील लि० सोवियत विशेषज्ञों के परामर्श से एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर रही है। इस योजना के चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में पूरी हो जाने की आशा है।

(2) मे० एसोसियेटेड सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जमुल में एक कारखाना स्थापित किया जा चुका है जिसकी सीमट स्लैग तैयार करने की वार्षिक क्षमता 290,000 मी० टन है। यह कारखाना लगभग 145,000 मी० टन दानेदार कचरे का इस्तेमाल करेगा। इस वर्ष के अन्त तक जमूल स्लैग सीमेंट कारखाने को क्षमता दुगनी हो जाने की आशा है। 500,000 मी० टन अतिरिक्त क्षमता का और विकास करने के लिये भी स्वीकृति दी जा चकी है जिसके लगभग दो-तीन वर्षों में कार्यान्वित हो जाने की संभावना है।

(3) लगभग 150,000 मी० टन स्लैग का इस्तेमाल करके भिलाई के निकट सिलयारी में 330,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाले एक स्लैग सीमेंट का कारखाना लगाने की मेसर्स कोहली फाइनेन्स लिमिटेड की योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और जिसके तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि के अन्त से पहले शुरू किये जाने की संभावना नहीं है।

हावड़ा-पंचकुरा खण्ड में पुलों का निर्माण

695. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा-पंचकुरा उपनगर खंड में तीसरी लाइन पर कितने पुलों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय होगा ;

(ग) क्या निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है अथवा ठेकेदारों द्वारा ; और

(घ) क्या श्रमिकों तथा सामान की कमी से निर्माण कार्य की प्रगति म बाधा पड़ रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 65 पुल बनाये जा रहे हैं लेकिन किसी पुल को दुबारा नहीं बनाया जा रहा है।

(ख) लगभग 490 लाख रूपये।

(ग) ये काम ठेकेदारों के ज़रिये कराये जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

बरसुआं-तलचर रेलवे लाइन

696. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बरसुआं से तलचर सम्पर्क लाइन के द्वारा रूरकेला को सीधे कटक से मिलाने के लिये रेलवे लाइनों का निर्माण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

पंजाब में भारी उद्योग

697. **श्री हेम राज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने चौथी योजना की अवधि में पंजाब में कितने और किन किन भारी उद्योगों को स्थापित करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इनमें से किन किन उद्योगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) चौथी पंच वर्षीय योजना पर अपने प्रारम्भिक ज्ञापन में पंजाब सरकार ने बड़े उद्योगों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रायोजनाओं को चौथी पंच वर्षीय योजना में सम्मलित करने का सुझाव दिया है ।

प्रायोजना का नाम

1. सीमलैस ट्यूब मिल
2. पिग आयरन प्लांट
3. स्टेनलैस स्टील प्लांट
4. हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट
5. फोर्ज प्लांट
6. कृषि ट्रैक्टर तथा कृषि मशीनें
7. कोक ओवन प्लांट
8. ओसिलोस्कोप फैक्ट्री
9. मशीन टूल प्लांट
10. अखबारी कागज़ तथा सीमेंट का कारखाना

राज्य सरकार द्वारा दिए गए ज्ञापन की अभी योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है तथा इस पर निर्णय राज्य सरकार के साधनों और राज्य की योजना आदि पर विचार करने के बाद ही किया जायेगा । पंजाब सरकार ने चौथी पंच वर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली निम्नलिखित प्रायोजनाओं के लिए स्थानों के लिए भी सुझाव दिया है :

(1) बाल तथा रोलर बियरिंग प्रायोजना;

(2) हैवी पम्प तथा कम्प्रैसर प्रायोजना;

(3) भारी विद्युत उपकरणों के लिए एक नया कारखाना

इन में से किसी भी प्रायोजना के स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

उत्तर रेलवे के लेखा विभाग में भ्रष्टाचार

698. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बूटा सिंह :
श्रीहुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ह० भील :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1964 से 31 दिसम्बर, 1964 तक केन्द्रीय जांच विभाग तथा विशेष पुलिस विभाग द्वारा उत्तर रेलवे लेखा विभाग के कुल कितने गजेटेड तथा नान-गजेटेड कर्मचारियों के विरुद्ध कदाचार तथा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की गई ; और

(ख) कितने मामलों में जांच पूरी हो चुकी है तथा कितनों म संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस अवधि में विशेष पुलिस सिव्बन्दी (Special Policc Establishment) ने उत्तर रेलवे के विभिन्न डिवीजनों के लेखा विभाग में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न तरह के आरोपों के नौ मामले दर्ज किये हैं। ये आरोप नकद रकम का दुर्विनियोग, आमदनी के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियों को रखने, खजाने में कम पैसा जमा करने, बेईमानी से मकान किराया-भत्ता लेने आदि से सम्बन्धित हैं।

(ख) तीन मामलों मैं जांच पूरी हो गयी है और विभागीय कार्रवाई के लिए ये तीनों मामले इस प्रशासन को वापस भेजे गये हैं । विभागीय कार्रवाई की जा रही है ।

दिल्ली डिवीजन खोमचा ठेकेदार

699. **श्री बूटा सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में दिल्ली डिवीजन के उन खोमचा ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिन पर जनता की शिकायत पर रेलवे प्रशासन ने तीन अथवा तीन से अधिक बार जुर्माना किया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में 19 ऐसे ठेकेदार हैं जिन्हें 1949 से अब तक जनता की शिकायतों पर तीन या इससे अधिक बार जुर्माना किया गया ।

एक विवरण संलग्न है जिसमें इन ठेकेदारों के नाम बताये गये ।

विवरण

1. श्री मनोहर, दिल्ली ।
2. मेसर्स हंसराज एण्ड सन्स, सहारनपुर ।
3. श्री केदारनाथ, शाहदरा ।
4. मेसर्स विक्रेता सहकारी समिति, गाजियाबाद ।
5. मेसर्स के० दीप चन्द एण्ड सन्स, दिल्ली ।
6. श्री हरबंस लाल, मेरठ सिटी ।
7. मेसर्स दीवान चन्द एण्ड सन्स, रोपड़ ।
8. मेसर्स करतार सिंह एण्ड सन्स, सहारनपुर ।
9. मेसर्स फकीर चन्द अमीर चन्द, दिल्ली ।
10. मेसर्स काले खां वलीमुहम्मद, सहारनपुर ।
11. मेसर्स अमोलक चन्द राम अवतार, गाजियाबाद ।
12. श्री अमोलक राम, सरहिन्द ।
13. मेसर्स धरम देवी राम चन्द, मेरठ सिटी ।
14. श्री राम चन्द, सोनीपत ।
15. मेसर्स जय राम एण्ड सन्स, जाखल ।
16. मेसर्स दौलत राम एण्ड सन्स, भटिण्डा ।
17. श्री इकबाल नाथ, भटिण्डा ।
18. श्री किशन लाल, भटिण्डा ।
19. मेसर्स सन्तराम रोशन लाल, पानीपत ।

[LT 3]

सस्ते केमरों का निर्माण

70 { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 3 अक्टूबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 550 क उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सस्त कैमरों के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सहयोगकर्ताओं के साथ बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र : (क), से (ग). अभी बातचीत चल रही है ।

मध्य प्रदेश में खनिज निक्षेप

701. **श्री अब्दुल गनी गोनी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में लोहे तथा कोयले के निक्षेपों सम्बन्धी कोई खनिज सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) उक्त खनिज कितनी मात्रा में मिलने की सम्भावना है तथा उन्हें निकालने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नी० संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसा कि क्षेत्रीय भौमिकी मान-चित्रण से पता चला है कच्चे लोहे के भण्डार का अनुमान अब तक 2,000 मिलियिन मीटरी टन क्रम का है तथा कोयले के भण्डार 36,000 मिलियन मीटरी टन क्रम का है ।

वेलादिला कच्चे लोहे का भण्डार का राष्ट्रीय खनिक विकास निगम द्वारा जापान भेजने के लिये विकास किया जा रहा है तथा राजहारा के भण्डार भिलाई इस्पात प्लांट के लिये हिन्दुस्तान इस्पात लि० द्वारा निकाले जा रहे हैं ।

जहां तक कोयला भण्डारों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम निम्नलिखत क्षेत्रों का विकास कर रही है :

(1) कुरसिया
(2) सोनावानी
(3) दामन पहाड़ी
(4) विसरामपुर
(5) बांकी
(6) सुराकाचार
(7) कोरबा (रामसागर)

(8) भास्कर पारा
(9) पाथेखेडा
(10) चुरचा
(11) सिंगरौली— (झिंगुरदा)
(12) चमुना
(13) कोरिया
(14) बिजुरी
(15) कुटकोना
(16) मानिकपुर

Bridge over Godavari near Rajahmundry

702. Shri Bade: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a contract has been awarded for the construction of a railway bridge over Godavari near Rajahmundry;

(b) whether it was proposed to be constructed as a rail-cum-road bridge and tenders were invited accordingly;

(c) if so, whether the contract now given is only for the construction of a railway bridge;

(d) whether Government propose to construct a road bridge at the said site; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Contract for foundations and substructure of the bridge has been awarded.

b) No tenders were invited only for rail bridge.

(c) Yes.

(d) and (e). A road bridge at the site, if constructed would fall on a State Highway. As such the State Government is responsible for provision of the road bridge. The possibility of incorporating a road decking in the rail bridge was examined on the insistence of the State Government and other interests. The cost of this was put at Rs. 215 lacs. The State Government offered to contribute only Rs. 100 lacs; the Transport Ministry regretted their inability to contribute the balance, they having already constructed two road bridges on the National Highway, about twenty miles down stream, on the branches of the river. Since any further delay in the construction of the rail bridge was likely to seriously affect the transport capacity on the section, the construction of the rail bridge has commenced.

सिंगरेनी कोयला खान

703. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स सिंगरेनी कोयलरीज कं० लिमिटेड को 1965-66 के लिये कितनी विदेशी मुद्रा देने का विचार है ; और

(ख) क्या उस धनराशि में वह व्यय भी शामिल है जो गोदावरी खानी रामागुडम में स्थापित किये जाने वाले तापीय संयंत्र पर होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नी० संजीव रेड्डी) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि 1965-66 में सिंगरेनी खान कम्पनी को मशीनों तथा उपकरणों के आयात के लिये करीब 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । भारत सरकार को पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने की शर्त पर कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार विदेशी मुद्रा समय समय पर प्रदान की जायगी ।

(ख) जी, नहीं । 1.29 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा गोदावरी खानी रामागुन्डम में बनाए जाने वाले विद्युत् केन्द्र के लिए पहिले ही अलग से स्वीकृत की जा चुकी है ।

भोजदीह में ऊपरी पुल

704. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोजदीह (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में ऊपरी पुल बहुत पहले टूट गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुल को फिर से बनाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो असाधारण बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). जून 1964 में एक दुर्घटना में भोजूडीह का ऊपरी पैदल-पुल क्षतिग्रस्त हो गया था । एक नये ऊपरी पैदल-पुल के लिए इस्पाती ढांचा अब तैयार कर लिया गया है और उसे भोजूडीह के लिए रवाना कर दिया गया है । आशा है, नये ऊपरी पैदल-पुल को बनाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जायेगा ।

इटावा के पास रेलगाड़ी की टक्कर

705. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जनवरी, 1965 को एक मालगाड़ी की उत्तरी रेलवे के शिकोहाबाद-इटावा सेक्शन के कौरारा स्टेशन पर खड़ी हुई एक दूसरी मालगाड़ी से सीधी टक्कर हो गई ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शामनाथ) : (क) यह दुर्घटना भूदान और कौरारा स्टेशनों के बीच ब्लाक सेक्शन में हुई।

(ख) 415 अप सीधी मालगाड़ी भदान स्टेशन से गुजरने के बाद, कुछ तकनीकी खराबी के कारण, भदान और कौरारा स्टेशनों के बीच ब्लाक सेक्शन में रुक गयी। इसी बीच, 175 अप शंटिंग मालगाड़ी भदान स्टेशन पार कर के किलोमीटर 1298/8 पर 415 मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गयी। इस दुर्घटना में तीन व्यक्ति मर गये और चार को चोटें आयीं।

(ग) और (घ). रेलवे अफसरों की जिस समिति ने दुर्घटना की जांच की है उसने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

ड्रम तथा बैरल बनाने का कारखाना

706. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी में गैर-सरकारी क्षेत्र में ड्रम तथा बैरल बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता क्या होगी ; और

(ग) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). बरौनी में 4,000 बैरल प्रतिदिन की क्षमता का लगभग 10 लाख रु० की लागत से एक कारखाना लगाने का एक निजि पार्टी का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

अनारा जंक्शन पर ऊपरी पुल

707. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनारा रेलवे जंक्शन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर कोई ऊपरी पुल नहीं है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। प्लेटफार्म के पूर्वी सिरे से लगभग 400 फीट के फासले पर एक ऊपरी पैदल-पुल मौजूद है। यह पुल कस्बे से आने वाली पहुंच-सड़क को स्टेशन-प्लेटफार्म से मिलाता है।

(ख) इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1960 में एक अभ्यावेदन मिला था।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

दालों तथा बनस्पति तेल का निर्यात

708. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात में वृद्धि करने के लिये दालों तथा वनस्पति तेल जैसी खाद्य की अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस से देश में इन वस्तुओं की कमी हो गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). खाद्य वनस्पति तेलों के निर्यात की अनुमति 11 जुलाई, 1964 से नहीं दी जा रही है । दालों का निर्यात भी बहुत ही कम परिमाण में किया गया है और देश में दालों की सम्भरण स्थिति पर इसका कोई प्रभाव इस लिये नहीं माना जा सकता कि लगभग 120 लाख मैट्रिक टन के अनुमानित कुल वार्षिक उत्पादन का यह लगभग 0.1 प्रतिशत भाग ही है ।

सोनगढ़ में लुगदी बनाने का कारखाना

709. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में सोनगढ़ में 5 करोड़ रुपये की लागत से लुगदी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). गुजरात राज्य के सोनगढ़ नामक स्थान में "सेंट्रल पल्प मिल्स लि०" के नाम से 22,500 मी० टन प्रति वर्ष लुगदी तैयार करने के लिए एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने के लिए एक प्राइवेट पार्टी को लाइसेंस दिया गया है, । परियोजना की अनुमानित लागत, कार्यकारी पूंजी को मिलाकर, लगभग 6.46 करोड़ रु० है । मिल को एक्जिम बैंक ऋण से संयंत्र और मशीनों का आयात करने के लिये 325 लाख रु० का एक आयात लाइसेंस भी 15 जनवरी, 1965 को मंजूर कर दिया गया है । इस परियोजना के अन्तर्गत 1967-68 से उत्पादन होने लगेगा ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

710. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964-65 में अब तक रूरकेला इस्पात कारखाने ने उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों के विक्रय द्वारा कितनी राशि प्राप्त की ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : अप्रैल, 1964 से जनवरी, 1965 की अवधि में सत्तावन करोड़ तीस लाख रुपये (573 मिलियन रुपये) ।

तटीय नौवहन द्वारा कोयले की ढुलाई

711. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964-65 में तटीय नौवहन तथा जलमार्ग द्वारा कुल कितने टन कोयला ढोया गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जनवरी, 1965 के वास्तविक निष्पादन तथा फरवरी और मार्च 1965 के अन्तःकालीन अनुमान के आधार पर यह आशा की जाती है कि 1964-65 के दौरान कोयले का रेल तथा समुद्र के रास्ते (समुद्रतटीय नौवहन) तथा जलयान द्वारा वहन लगभग 1.59 मिलियन मीटरी टन होगा ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

712. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये ; और

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1-4-1964 से 31-12-1964 की अवधि में 1,595 कर्मचारी नियुक्त किये गये ।

(ख) 171 अनुसूचित जातियों के ।

36 अनुसूचित आदिम जातियों के ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

713. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1964 को दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने मामले लम्बित थे और ये किस प्रकार के थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

मामलों की संख्या	191
भ्रष्टाचार के ढंग	
(1) अवैध रिश्वत लेना . . .	21
(2) झूठी घोषणा और झूठे प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी और तरक्की पाना . .	16
(3) छल-कपट से पास और सुविधा टिकट आदेश प्राप्त करना और उनका दुरुपयोग करना .	14
(4) रेलवे रोकड़ और सामान का दुर्विनियोग . .	44
(5) झूठे मस्टर रौल रखना, सरकारी अभिलेखों में परिवर्तन करना और फर्जी तौर पर यात्रा-भत्ता लेना आदि	33
(6) झूठे प्रमाण-पत्र देकर शिक्षा सहायता की मांग करना .	2
(7) सेवा, आचरण नियमों और विभागीय प्रक्रिया आदेशों का उल्लंघन	13
(8) किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नौकरी प्राप्त करना .	1
(9) झूठे प्रमाण-पत्र पेश कर के मकान किराया भत्ता लेना .	3
(10) आमदनी के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक परिसम्पतियां रखना . . .	17
(11) जाली जेल वारंटों पर रेल टिकट लेना	1
(12) निर्धारित विशिष्टियोंसे निम्न स्तर पर काम करना या अधिक सामान जारी करना या अधिक मजदूरों को काम पर लगाना	7
(13) विविध .	19
जोड़ . .	191

नमक उद्योग

714. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में देश में नमक उद्योग को ऋण अथवा अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) जिनको लाइसेंस दिये गये उन के नाम क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). 1964-65 (जनवरी, 1965 तक) में स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

नमक लाइसेंसधारी का नाम	ऋण की राशि
	रुपये
1. श्रीमती लक्ष्मी विष्णु पाटिल, करनजा साल्ट फैक्टरी (महाराष्ट्र) .	15,000
2. श्री के० सूर्यनारायणन नायडू, एम० ई० आफ एक्सटेंशन आफ साल्ट लाइसेंसी आफ भीमलीपटम फैक्टरी, आन्ध्र प्रदेश .	15,000
3. श्री सत्य नारायणन मूर्ति, नं० 65 आफ गुरुजनापल्ली फैक्टरी, आन्ध्र प्रदेश	3,500
4. मे० वेंकटा सत्यनारायण राव, एम० ई० 4, पुंडी साल्ट फैक्टरी, आन्ध्र प्रदेश	15,000
5. मे० कोन्टाई साल्ट एण्ड इन्डस्ट्रीज कं० (प्राइवेट) लिमिटेड, पं० बंगाल .	18,500
योग	66,500

नमक के किसी भी लाइसेंसधारी को कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

Licences for New Industries

715. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) the criterion in selecting the entrepreneurs for granting licences for starting new industries;

(b) whether Government lay stress that entrepreneurs should be experienced and should have technical qualifications; and

(c) the state-wise number of licences issued after the independence?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) and (b). Licences for establishment of new industrial undertakings are granted in accordance with the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, and the rules made thereunder. While examining the soundness of a project the ability of the entrepreneur to implement the scheme, if licensed, is also taken into account.

(c) The Industries (Development and Regulation) Act, 1951, came into force from the 8th May, 1952. A State-wise list of licences issued from that date to the 31st December, 1964, is attached. [Placed in Library. *See* No. LT-3923/65].

Price of Cloth

716. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have received reports to the effect that several cotton textile mills sell their cloth through their authorised agents at a price lesser than that which they would have got had they encouraged competition;

(b) whether Government have also received any report that managing agents or managing directors of such mills secure for them a share in the profit accrued to these agents on the sale of mill products; and

(c) if so, the measure proposed to be taken to check these irregularities and to safeguard the interests of shareholders?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): (a) and (b). No. Sir.

(c) Does not arise. If any such concrete facts or defects are brought to the notice of Government, we would certainly investigate the same.

मसाला सम्बन्धी गोष्ठी

717. **श्री फ० गो० सेन :**
श्री राम सेवक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मसाला निर्यात संवर्धन परिषद तथा भारतीय विदेशी व्यापार संस्था ने फरवरी, 1965 के दूसरे सप्ताह में एक मसाला सम्बन्धी गोष्ठी का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो गोष्टी की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। "मसालों का निर्यात" विषय पर एक गोष्ठी 8 से 10 फरवरी, 1965 तक बंगलौर में, मसाला निर्यात सवर्द्धन परिषद और भारतीय विदेशी व्यापार संस्था के संयुक्त तत्वावधान में की गयी।

(ख) गोष्ठी का पूर्ण प्रतिवेदन, प्रायोजक अधिकारियों से सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। गोष्ठी में जिन विषयों पर मोटे तौर पर वार्ता हुई वे हैं उत्पादन, गवेषणा, मसालों की किस्म में सुधार करना, भंडारण, मूल्यों का स्थिरीकरण, किस्म नियन्त्रण और लदान-पूर्व जांच, पैकेजिंग, निर्यात वित्त, बाजार का अध्ययन, प्रचार तथा बाजारी दाव-पेंच सम्बन्धी विभिन्न समस्याएं।

उत्तरी क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण

718. {श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में तांबे, सीसे, सुर्मे (एंटिमोनी) तथा मैंगनीज के खनिज निक्षेपों का पता लगाने का कार्य कर रहा है;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के सर्वेक्षण किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनका क्या परिणाम निकला है और इन संसाधनों का और अधिक प्रयोग करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) जी हां, तांबे की अन्वेषण खेतरी, दरीबा और प्रतापगढ़ (राजस्थान); मेलाराम-येलायवईलू, खम्माम (आंध्र प्रदेश); रोम सिधेश्वर, राखा, तांमापहाड़, राजदाह, रामचन्द्र पहाड़, तांम:-डुगरी और महूलडीह (बिहार); कुंदाटकिरा (मध्यप्रदेश); कलयादी (मैसूर); तांबा-सिक्का-जस्ता के लिये अग्निगुंडल वेलापल्ली. चेलिया, और वारी गत आंध्र प्रदेश में, बड़ौदा, खंडिया, गुजरात में, मद्रास में मामन्दुर, महाराष्ट्र, गोविंदपुर, चन्दा और नागपुर, उड़ीसा में मयूरभंज, सिक्का-जस्ता के लिये—राजस्थान में जवार, मैंगनीज के लिये मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, बिहार, उड़ीसा, गुजरात और आंध्र प्रदेश में किये जा रहे हैं।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों के भण्डारों के सम्बन्ध में काम करने योग्य संचय नहीं मिले हैं। इसलिये विदोहन का प्रश्न पैदा नहीं होता। भारत के दूसरे भागों के विषय में खेतरी में विस्तृत अन्वेषण किये गये और इनसे वाणिज्य खनिज की उपयोगिता का पता चला। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एक सरकारी क्षेत्र को अनुदेश दिया गया है कि तांबा तथा दूसरे उपपदार्थों के उत्पादन के लिये एक खान और प्रतावक स्थापित करे। आवश्यक कार्य जारी है।

दूसरे क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य जारी है।

Guntur Railway Accident

719. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any enquiry has been conducted into the Guntur Railway Accident which occurred on the 3rd January, 1965;

(b) if so, the result thereof; and

(c) if not, when it is likely to be conducted?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). The Additional Commissioner of Railway Safety, Bangalore held a statutory enquiry into the derailment of Train No. 225-Up Guntur-Dronachellam Passenger which occurred on 3rd January, 1965 between Gajjalakonda and Markapur Road Stations of Southern Railway. He has not submitted his final report so far.

Narrow-Gauge Railway Lines

720. Shri Chandak: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total mileage of narrow-gauge railway lines in the country (zone-wise); and

(b) whether Government have under consideration any proposal to convert them into broad-gauge or metre-gauge during the Fourth Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) A statement is attached.

STATEMENT

Route Kilometres of Narrow Gange line as on 31-3-1964

Government Railways	Kms.	**Non-Government Railways.**	Kms.
Central	1,167	Anmadpur Katwa	52
Eastern	27	Arran-Sasaram Light	105
Northern	260	Bankura-Damodar River	97
Northeast Frontier	84	Burdwan-Katwa	52
Southern	154	Dehri-Rohtas Light	67
South Eastern	1,406	Futvah-Islampur	43
Western	1,223	Howrah-Amta Light	70
		Howrah-Sheakhala Light	27
		Shahdara (Delhi) Saharanpur Light	149
Total :	4,321	Total :	662
Total all Railways	—	4,983	

(b) No proposal for wholesale conversion of narrow-guage lines to metre or broad-gauge during the 4th Plan is under consideration. Howeer, conversion of any individual section is not ruled out if justified on financial or operational considerations.

बरहन-एटा लाइन

721. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे की बरहन-एटा लाइन, जो कुछ वर्ष पहले बनाई गई थी, घाटे पर चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

Unauthorised Structures near Allahabad Railway Station

722. Shri Balmiki: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some unauthorised shops and huts have been constructed on the city side of the Allahabad Railway Station;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the steps being taken to remove them?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). The Municipal Board have erected certain shops on land, the ownership of which is under dispute.

(c) The issue has been referred to the Additional Commissioner of Allahabad Division, who has been appointed as an arbitrator to settle the title over the land.

जस्ते का आयात

723. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को 10,000 टन जस्ता देने के लिये राजनोइम्पोर्ट के प्रतिनिधियों तथा भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बीच एक समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । ये संविदा मान्य शर्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को आधार मान कर किये गये हैं ।

(ख) विवरण बताना निगम के व्यापारी-हित में नहीं होगा ।

कच्चालोहा

724. **श्री प्र० चं० बरुआ**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामचद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 और 1964 में उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्यवार कच्चे लोहे की मांग तथा उपलब्धि क्या थी ; और

(ख) इस अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) कच्चे लोहे की ठीक राज्यवार मांगें उपलब्ध नहीं हैं । संशोधित योजना के अनुसार, जो 1-4-1963 से लागू हुई थी, विभिन्न राज्यों को उन के परिरक्षण में ढ़लाई के कारखानों को कच्चे लोहे का वितरण पिछले तीन वर्षों (जब कच्चे लोहे के वितरण पर नियंत्रण कोई नहीं था) में से उस वर्ष के प्रेषण के आधार पर किए जाते हैं जिसमें सब से अधिक प्रेषण हो । तकनीकी विकास के निदेशालय के परिक्षण

में ढलाई के कारखानों के लिए कच्चा लोहा निदेशालय द्वारा निर्धारित क्षमताओं के आधार पर दिया जाता है । 1963 और 1964 में कच्चे लोहे की कुल उपलब्धि लगभग 12 लाख मीटरी टन थी जबकि इस के मुकाबले में मांग 20 लाख मीटरी टन से ऊपर थी । 1963 और 1964 में कच्चे लोहे के राज्यवार प्रेषणों का ब्यौरा सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) कच्चे लोहे की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए कई दीर्घकालीन तथा अल्प-कालीन उपाय किए गए हैं ।

(1) यथासम्भव मात्रा में कच्चे लोहे का आयात किया जाता है ।

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना में उनके और अधिक विस्तार की प्रत्याशा में भिलाई और दुर्गापुर में अतिरिक्त धमन भट्टियां लगाई जा रही हैं ।

आरम्भिक अवधि में ये केवल फाउण्ड्री ग्रेड कच्चे लोहे का ही उत्पादन करेंगे । कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिए कम्पलेक्स (मिश्रित) कारखाने स्थापित करने के लिए शक्यता अध्ययन किए जा रहे हैं। फिर भी यह सब उपाय 1967–68 से पहले फलित नहीं होंगे ।

(3) सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र में 25 लाख मीटरी टन की क्षमता की मंजूरी दी है । चूंकि कुछ इकाइयों को हाल ही में इन्टेंट पत्र दिए गए हैं इसलिए उनके चौथी योजना के उत्तार्ध में ही फलित होने की आशा है, यद्यपि जिन योजनाओं को पहले लाइसेंस दिये गये हैं वे चौथी योजना के पूर्वार्ध में ही फलित हो सकतीं हैं ।

Train-Truck Collision near Banaras

725. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Mugalsarai-Faizabad Passenger train hit a truck standing along railway line near West Lehrtara at some distance from Varanasi cantonment station on the 2nd January, 1965;

(b) if so, the number of persons who died and also injured as a result thereof; and

(c) the result of the enquiry, if any, made into the causes of this accident?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes.

(b) As a result of the accident, two persons were killed and one injured.

(c) The accident was caused due to the truck having been parked infringing the railway track unauthorisedly. The truck driver has been arrested by the police and a case has been registered.

कोयले पर स्वामित्व

726. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में कोयले पर स्वामित्व को समान दर निर्धारित करने के लिये सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) 1949 से पहले दिये हुए पट्टों तथा, 1949 के बाद दिये गये पट्टों पर राजशुल्क की दरों को समान बनाने के प्रश्न पर गत वर्ष विचार किया गया था और तब यह निर्णय किया गया था कि राजशुल्क की दरों को समान न बनाया जाय ।

स्कूटरों का अब आवंटन

727. श्री वीरभद्र सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री व० क० रामस्वामी :
श्री चांडक :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री चुनी लाल :
श्री महेश दत्त मिश्र :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देने के लिये प्रत्येक मेक के स्कूटरों, मोटर साइकिलों का कितना त्रिमासिक कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) निम्नलिखित वेतन श्रेणियों के अन्तर्गत 5 फरवरी, 1965 को कितने आवेदन पत्र शेष थे :

(एक) 200 से 300 रुपये

(दो) 301 से 350 रुपये

(तीन) 351 से 400 रुपये

(चार) 401 से 499 रुपये

(पांच) 500 तथा अधिक ;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कितने आवेदक ऐसे हैं जो मंत्रियों (संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के) अधिकारियों के "पर्सनल स्टाफ" के रूप में काम कर रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि स्कूटरों के आवंटन के लिये बनाए गए नये नियमों में "पर्सनल स्टाफ" के मामले में कुछ ढील बरती गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) हर किस्म के स्कूटरों/मोटर साइकिलों का वर्तमान त्रैमासिक कोटा जिसका नियतन संसद् सदस्यों, केन्द्रीय सरकार के विभागों/प्रतिष्ठानों तथा उनके कर्मचारियों, रक्षा कर्मचारियों और विदेशी नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है निम्न-लिखित हैं :—

स्कूटर

लैम्ब्रैटा	500
वैस्पा	500
फैन्टेबुलस	60

मोटर साइकिल

रायल एन्फील्ड	100
राजदूत	250

(ख) तथा (ग) प्रार्थना पत्रों को गजेटिड तथा नान गजेटिड श्रेणियों में बांट दिया जाता है और दोनों श्रेणियों की अलग अलग प्रतीक्षक सूचियां रखी जाती हैं। विभिन्न वेतन-क्रमों के आधार पर तथा मंत्रियों/अधिकारियों (संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर) के निजि विभागों के कर्मचारियों के लिए कोई अलग सूची नहीं बनाई जाती है ।

5-2-1965 को इस मंत्रालय में अनिर्णीत प्रार्थना पत्रों की कुल संख्या नीचे दी जा रही है ।

गजेटिड अधिकारियों के प्रार्थना पत्रों की संख्या . .	6281
नान गजेटिड अधिकारियों के प्रार्थना पत्रों की संख्या .	11431
कुल	17712

इसके अतिरिक्त इसी तारीख को लगभग 17000 अनिर्णित प्रार्थना पत्र रक्षा मंत्रालय में थे ।

(घ) तथा (ङ) मंत्रियों के निजि विभागों से सम्बद्ध कर्मचारियों तथा संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के लिए उन के अनिश्चित ड्यूटी के समय कारण नए नियमों में ढील कर दी गई है ।

स्कूटरों का आवंटन

*728. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों, संसद्-सदस्यों तथा विदेशी राष्ट्रजनों को पृथक्-पृथक् रूप से सरकारी कोटे में से कितने स्कूटर/मोटर साइकिल दिये गये ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के लिये किस आधार पर आवंटन किया जाता है ; और

(ग) 5 फरवरी, 1965 तक उपरोक्त श्रेणियों के किस किस तारीख तक के आवेदन-पत्रों पर स्कूटर/मोटर साइकिल दिये जा चुके थे ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 1-1-1963 से 31-12-1964 की अवधि में केन्द्रीय सरकार के कोटे में से विभिन्न श्रेणियों को आवंटित स्कूटरों की संख्या नीचे दी गई है :—

1. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	4,602
2. सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी	428
3. संसद सदस्य	73
4. विदेशी राष्ट्रजन	126

इस अवधि में केन्द्रीय सरकार का मोटर साइकिलों का कोई भी कोटा नहीं था।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को स्कूटरों का आवंटन उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की अनिवार्यता और उनकी सरकारी हैसियत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नीचे बताई गई तारीखों तक उन लोगों के जितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उन्हें 5-2-65 तक स्कूटर आवंटित कर दिये गये थे :—

अधिकारियों की श्रेणियां	तारीख जिस तक लम्ब्रैटा स्कूटरों के आवेदन पत्रों पर स्कूटर आवंटित कर दिये गये	तारीख जिस तक वेस्पा स्कूटरों के आवेदन पत्रों पर स्कूटर आवंटित कर दिये गये
1. रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी .	28-5-62	21-8-62
2. राजपत्रित अधिकारी जिनका वेतन क्रम 1250 रु० तक जाता है	31-12-63	31-1-64
3. अन्य राजपत्रित अधिकारी		
एक्जीक्यूटिव	30-9-63	29-2-64
नान-एक्जीक्यूटिव . . .	30-11-62	30-11-63
4. अराजपत्रित अधिकारी :		
एक्जीक्यूटिव	31-12-62	31-3-64
नान-एक्जीक्यूटिव. . . .	13-10-62	31-9-63

संसद् सदस्यों और विदेशी राष्ट्रजनों को स्कूटरों का आवंटन उनके आवेदन-पत्र प्राप्त होते ही कर दिया जाता है । इस समय उनकी कोई प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की जाती है । विदेशी राष्ट्रजनों को अपने आवेदन-पत्रों के साथ इस आशय का एक

प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना पड़ता है कि वे स्कूटर खरीदने के लिये सामान्य बैंक व्यवस्था के जरिए उन्होंने पर्याप्त विदेशी मुद्रा भारत को भिजवा दी है । उन्हें एक यह भी आश्वासन देना पड़ता है कि वे स्कूटर को खरीदने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक उसे नहीं बेचेंगे ।

मैंगनीज और लौह-अयस्क की खानें

729. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में मैंगनीज़, लोहे और क्रोमाइट की खानों में कितनी पूंजी लगी हुई है और इन खानों में राज्यवार कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ; और

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में मैंगनीज़, लोहे तथा क्रोमाइट की खानों में कितनी पूंजी लगी हुई है और इन खानों में राज्यवार कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और जल्दी से जल्दी सदन के सामने रखी जायगी ।

खनन पट्टे

730. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न राज्यों द्वारा 1957 के अधिनियम 67 के अन्तर्गत खान पट्टों के, अवधि तथा अन्य बातों के बारे में, नवीकरण के सम्बन्ध में किस नीति का पालन किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : सम्बन्धित राज्य सरकारें खनन-पट्टे का नवीकरण खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 8(2) के अनुसार करती है बशर्ते कि पट्टा-धारी ने पट्टा-धारण के नियमों को भंग न किया हो तथा वह क्षेत्र सरकारी-क्षेत्र द्वारा विदोहन के योग्य न समझा गया हो । अधिनियमन की धारा 8(2) के अनुसार कोयला, कच्चा लोहा, या स्फोदिज निकालने के लिये पट्टे की नवीकरण की अवधि 30 साल तक तथा दूसरे खनिजों के लिये 20 साल तक है । परन्तु किसी पट्टे के नवीकरण से सम्बन्धित परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार अधिनियम में दी हुई अधिकतम अवधि से कम अवधि के लिये पट्टों का नवीकरण कर सकती है । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की पहली अनुसूची में दिये गये खनिजों के पट्टे के नवीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार का पहले अनुमोदन लेना आवश्यक है जैसा कि अधिनियम की धारा 8(2) के अनुबन्ध में दिया हुआ है ।

इस्पात और कच्चे लोहे के कारखाने

731. **श्री जसवंत मेहता** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) पिछले दो वर्षों में देश में कच्चे लोहे तथा इस्पात का उत्पादन करने के लिए कारखाने स्थापित करने के बारे में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

	1963*	1964
प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए	36	37
लाइसेंस दिए गए	3	शून्य
इन्डेंट-पत्र जारी किए गए .	7	2
अस्वीकार किए गए	23	18
विचाराधीन	शून्य	17

टिप्पणी :—शेष तीन प्रार्थना पत्रों में से, एक पार्टी को कहा गया था कि योजना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । दूसरी फर्म से कहा गया है कि वे ठीक फार्म में आवेदन करें । तीसरे में केवल लोहा और इस्पात नियंत्रक की अनुज्ञा चाहिए थी जो दे दी गई थी ।

ढले हुए लोहे के ढांचे

732. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के इस्पात कारखानों में बनाए गये ढले हुए लोहे के ढांचों के विक्रय और वितरण पर कोई नियंत्रण है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस्पात कारखानों द्वारा उपभोक्ताओं को उनका वितरण करने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है ; और

(घ) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को उनका वितरण करने के लिये किसी आधार का संकेत दिया हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सितम्बर, 1962 से ढले हुए रद्दी लोहे के ढांचों के विक्रय और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ढले हुए रद्दी लोहे के ढांचे ऐसी फर्मों को बेचती है जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस्तेमाल कर सकती है । उसके बाद का वितरण क्रय करने वाली फर्मों पर छोड़ दिया है । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने ढले हुए रद्दी लोहे के ढांचों को तोड़ने और इस्तेमाल करने का काम दो फर्मों को सौंपा हुआ है जिनमें एक फर्म वास्तविक उपभोक्ता है और दूसरी फर्म माल को विधायन के पश्चात् इंडियन फाउण्ड्री एसोसिएशन के सदस्यों में

बांट देती है । हिन्दुस्तान स्टील लि० अपने ढले हुए रद्दी लोहे को प्रमाणिक ढलाई के कारखानों को उनके साइज़ के अनुसार दो से लेकर बारह डिब्बों (वैगन) तक देता है । ढलाई के कारखानों का साइज़ उनको दिए गए कच्चे लोहे के आर्डरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है । वे इंडियन फाउण्ड्री एसोसिएशन इत्यादि के सदस्यों को भी यथासम्भव मात्रा में माल देते हैं । बहुत सा माल विभिन्न राज्यों के लघु उद्योग निगमों को भी दिया गया है ।

(घ) सरकार ने ढले हुए रद्दी लोहे के ढांचों, जो एक अनियंत्रित वस्तु है, के वितरण का कोई आधार निश्चित नहीं किया है । ढले हुए रद्दी लोहे का उपयोग करने वाले ढलाई के कारखानों द्वारा उत्पादित ढले लोहे की वस्तुओं की कीमतों पर भी कोई नियंत्रण नहीं है ।

चावल के निर्यात के लिए माल डिब्बे

733. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को अन्य राज्यों को चावल भेजने के लिये प्रति वर्ष कुल कितने माल-डिब्बों की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या अपेक्षित संख्या में मालडिब्बे उपलब्ध किये जा रहे हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) 1964–65 में वस्तुतः कुल कितने डिब्बे उपलब्ध किये गये ; और

(ङ) उड़ीसा सरकार को इस सम्बन्ध में 1965–66 में अनुमानतः कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ङ) उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई अग्रिम कार्यक्रम नहीं मिला है जिस में यह बताया गया हो कि उड़ीसा से दूसरे राज्यों को चावल निर्यात करने के लिए उसे प्रति वर्ष कितने मालडिब्बों की ज़रूरत होती है। विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर जब और जैसी मांगें दर्ज करायी जाती हैं, माल-डिब्बों की सप्लाई की जाती है ।

1964–65 के वर्ष में (20–2–1965 तक) केवल राज्य सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा स्थित रेलवे स्टेशनों से दूसरे राज्यों में स्थित गन्तव्य स्टेशनों के लिए बड़ी लाइन के 774 माल-डिब्बों में चावल लादा गया ।

नारियल का निर्यात

734. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में अब तक भारत से नारियल का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) किन-किन देशों में भारतीय नारियल की भारी मांग है ; और

(ग) उक्त अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). 1964–65 में (दिसम्बर 1964 तक) भारत से रु० 75,000 मूल्य के 1,89,000 नारियल निर्यात किए गए । बहरीन द्वीप, ईरान, इराक, कुवैत, तुर्की तथा कत्तार तथा सन्धि ओमान में भारतीय नारियल की मांग है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जीवन बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा हड़ताल करने का निश्चय

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है । अब ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को लिया जायेगा । श्री कछवाय ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I want to raise a point of order regarding a privilege motion about which I had given a notice.

Mr. Speaker: I am sorry that this is happening daily in the House. He gave me a privilege notice yesterday which I have placed at 4A. I will take it but I cannot stop the proceedings to take it up.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): This case is going on for the last 3 days.

Mr. Speaker: It may be going for 10 days. But I have rejected it.

Dr. Ram Manohar Lohia: We raised a question of privilege. If the Prime Minister has corrected himself then it is against him but if he has not corrected himself then it is against Press Trust and the Ministry of Information and Broadcasting. You called us in your chamber and the matter was discussed. But if you are pleased to say this in this way then no course will be left for us.

Mr. Speaker: I am telling you this from Direction No. 2 where the arrangement of business is given. I will read the list of business.

"शपथ या प्रतिज्ञान, प्रश्न (अल्प सूचना प्रश्नों समेत), निधन सम्बन्धी उल्लेख, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, राज्य-सभा से सन्देश सुनाना, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना, सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी, नजरबन्दी अथवा रिहाई के बारे में मजिस्ट्रेटों अथवा अन्य प्राधिकारियों की सूचनायें, समितियों के प्रतिवेदन का उपस्थापन, साक्ष्य का रखा जाना..... याचिकाओं का उपस्थापन, विशेषाधिकार-भंग सम्बन्धी प्रश्न" ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

> "Reported decision taken by the officers of the Life Insurance Corporation to go on strike from the 9th March, 1965." [*Interruptions*].

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह बहुत बड़ा वक्तव्य है, क्या मैं इसे पढ़ूं ?

श्री प्रिय गुप्त : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । सभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार सभा में जो भी हो रहा हो, स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ना चाहिये । अतः यह इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिये कि सुनाई भी पड़े और समझ में भी आ जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह इतनी जोर से पढ़ा गया है कि उनके अतिरिक्त सभी ने सुना है ।

श्री प्रिय गुप्त : मैंने नहीं सुना है ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : हमने इतनी दूरी से इसे सुना है ।

अध्यक्ष महोदय : वह जान बूझ कर सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं वह सभा से बाहर चले जायें ।

Shri Priya Gupta: You have violated the rules of the House.

(इसके पश्चात् श्री प्रिय गुप्त सदन से बाहर चले गये)

(Shri Priya Gupta then left the House)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी (केन्द्रपाड़ा) : जैसा कि आपको पता है माननीय सदस्यों ने सभा की कार्यवाही आरम्भ करने में भी बाधा पहुंचाई है फिर भी आपने उन्हें बहस करने के लिये समय दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही सूची में था इसलिये मुझे उन्हें समय देना पड़ा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह केवल अपनी कठिनाई बता रहे थे । उनका दोष केवल यह था सदन में बैठे हुए इस रूप में शोर कर रहे थे कि वह कह रहे थे कि मैं विरोध करता हूं । ऐसा तो इस कि वह अक्सर होता है । मेरे विचार में यह दण्ड बहुत कठोर है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जब आपने श्री कछवाय को बोलने के लिये कहा तो यद्यपि वह बहुत जोर से बोल रहे थे, कुछ अन्य अवाजें भी इसके साथ आ रही थीं । हम सभा में अनुशासन-हीनता नहीं चाहते । हम अध्यक्ष की अवहेलना करने को बड़ाई का कार्य नहीं समझते । उन्होंने केवल यह कहा कि अन्य आवाजों के कारण वह स्पष्ट रूप से नहीं सुन सके श्री प्रिय गुप्त को सभा से बाहर जाने के लिये नहीं कहा जाना चाहिये था ।

Dr. Ram Manohar Lohia: The hon. member has said certain things which are directly related to us.

Mr. Speaker: It is correct that what the hon. member has stated relates to your party, and I am happy that the House is prepared to support me if action is taken for the defiance of Chair. I can assure that I will not fail in this. If such things go on then I will be forced to take action.

Dr. Ram Manohar Lohia: If a member is be having according to the rules then he has the right to have his say.

Mr. Speaker: Who will decide that he is not violating the rules?

Several hon. Members: You will decide.

Shri Maurya: I want to submit that you have got the power and you can use it at any time but it would be much better if you use it with discretion. If an hon. member is not able to hear then it is his right to know what is happening in the House.

Mr. Speaker: If anything is read in the House and some hon. member says that he couldn't hear that, then it is repeated. But what Shri Kachhavaiya was reading was there on the agenda. He could have read it from the agenda which was there before him.

Now the hon. Minister may reply.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि श्री प्रिय गुप्त को सभा में आने दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह बहुत ही कठोर दण्ड है और माननीय सदस्य को इस प्रकार सदन से बाहर जाने के लिये कहना उचित नहीं है । हम आपसे सहयोग के लिये सदैव तैयार हैं । परन्तु जो दण्ड दिया गया है वह अनुचित है और अपना विरोध प्रकट करने के लिये हम सभा से बाहर जा रहे हैं ।

(इसके पश्चात श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी और कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये) ।

(Shri Surendranath Dwivedy and some other hon. Members then left the House.)

Shri Maurya: I also feel the same.

(इसके पश्चात श्री मौर्य सदन से बाहर चले गये)

(Shri Maurya then left the House)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमें यहां कार्य के संचालन में बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं हर रोज़ बाधायें की जाती हैं । परन्तु इस मामले में मेरा आपसे निवेदन है कि श्री प्रिय गुप्त के साथ थोड़ी सी रियायत की जाय । । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने आदेश वापस ले लें ।

अध्यक्ष महोदय : यह तुरन्त नहीं किया जा सकता ।

Shri Rameshwaranand (Karnal): I will also request you to re-consider your decision.

Mr. Speaker: All right.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जीवन बीमा निगम ने 22 फरवरी, 1965 को प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के वेतन के सम्बन्ध में संशोधित शर्तों की घोषणा की जिसके अनुसार दो सर्वोच्च ग्रेडों को छोड़ कर सब प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया गया प्रथम श्रेणी के अन्य अवर दर्जे के अधिकारियों को महंगाई भत्ते में भी वृद्धि करके उनके वेतन को इसी स्तर के केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को मिलने वाले कुल वेतन के बराबर कर किया । इस के अतिरिक्त इन अधिकारियों को मिलने वाले मकान के किराया सम्बन्धी भत्ते को भी केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को मिलने वाले इस प्रकार के भत्ते के बराबर कर

दिया गया इसके अतिरिक्त इन अधिकारियों की प्रथम श्रेणी के दर्जों में पदोन्नति हो जाने पर, पदोन्नति होने से पूर्व की उपलब्धियों सहित महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और बोनस तुल्यांक का सुरक्षण किया गया। ये लाभ 1 अप्रैल, 1964 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ दिए गए। निगम अपने अधिकारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी लाभों की योजना भी परिपूर्ण कर रहा है और उनको अन्य सुविधायें देने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है जो सरकारी अधिकारियों को नियमानुसार दी जाती है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से सम्बन्धित संशोधित शर्तों की घोषणा की प्रतीक्षा किए बिना ही जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संगठन के अध्यक्ष और भारत के बीमा के क्षेत्र-कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष ने 19 फरवरी, 1965 को प्रेस को दिए संयुक्त वक्तव्य में 1 मार्च, 1965 से देश भर में विरोध प्रदर्शन सम्बन्धी रैलियां, भूख हड़ताल और इसी प्रकार के अन्य शक्तिशाली रूपों सहित आन्दोलन आरम्भ करने की घोषणा कर दी ।

22 फरवरी, 1965 को निगम द्वारा की गई संशोधित वेतन दरों की घोषणा के बाद दोनों अध्यक्षों ने प्रेस में पुनः वक्तव्य जारी किया कि प्रथम तथा दूसरी श्रेणी के दोनों प्रकार के अधिकारी सारे भारत भर में, वेतन दरों में संशोधन, नकद वार्षिक बोनस, अच्छे प्रोत्साहन, उपभोक्ताओं के मूल्य इंडेक्स के हिसाब से महंगाई भत्ता, मकान किराया और अधिकारियों तथा उन के परिवारों के चिकित्सा सम्बन्धी लाभों आदि की मांग करते हुए संयुक्त रूप में आन्दोलन आरम्भ करेंगे ।

जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ के प्रधान ने 25 फरवरी, 1965 को निगम के अध्यक्ष को पत्र द्वारा सूचित किया था कि अपनी मांगें पूरी कराने के लिए 9 मार्च, 1965 से "औजार छोड़ो" हड़ताल से अपना संघर्ष प्रारम्भ कर देगा। संघ का 24 घंटे का अनशन, जो कि 6 मार्च को 2 बजे से लेकर 7 मार्च, 1965 को 2 बजे दोपहर तक रहेगा, का निश्चय भी साथ ही सूचित कर दिया गया था । इसके साथ ही संघ के प्रधान ने यह भी प्रकट कर दिया था कि उनके विचार में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की मांगें उचित तथा तर्क संगत हैं ।

अब मैं सदन को जीवन बीमा निगम द्वारा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों यानी डेवलपमेंट आफिसरज की मांगें पूरी करने में किए गए प्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण दूंगा । यह कोई एक वर्ष से कम की बात है, याने लगभग 10 मार्च, 1964, जब निगम ने इस संघ से एक समझौता किया था जिसके द्वारा विकास अधिकारियों (डेवलोपमेंट आफिसर्ज) के वेतन, महंगाई भत्ते तथा सवारी भत्ते की दरों में परिवर्तन किया था । वेतन वृद्धि देने की क्रियाविधि का प्रश्न आगे बातचीत के लिए उठा रखा था । इस विषय में मैं यह बताना चाहूंगा कि यह विकास अधिकारी दफ्तर से बाहर के काम के लिए रखे जाते हैं । और इनका काम ही ऐसा होता है कि न तो इनके कार्य स्थान ही निश्चित हैं न ही समय सो इनके काम का सही अन्दाजा कुछ मानक स्तरों या आदर्शों से ही लगाया जाता है । निगम का विचार है कि इनके निष्पादन को देखे बिना इन्हें ऐसे ही वेतन वृद्धि देना उचित तथा सम्भव नहीं है । निगम और संघ के प्रतिनिधियों के मध्य जब बातचीत जारी थी तो यह स्वीकार किया गया था कि विकास अधिकारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जायेगा, इससे पूर्व कि उसकी वार्षिक वृद्धि रोकी जाये, और उसको क्षेत्रीय प्रबन्धक

को अपील करने का भी अधिकार दिया। संघ के प्रतिनिधियों के कहने पर, कार्य-प्रासामान्य के प्रश्न को, संघ के प्रतिनिधियों के कहने पर, 6 तथा 7 फरवरी, 1965 को होने वाली संघ की परिषद् की गोष्ठी के बाद विचारने के लिए छोड़ दिया गया जिससे कि वे अपने साथियों से विचार-विमर्श कर सकें। ऐसा होते हुए भी, संघ परिषद् ने सारे विकास अधिकारियों के लिए 1 जनवरी, 1965 से सामान्य वेतन वृद्धियां और 1964 के वर्ष के लिए बिना शर्त वेतन वृद्धियों की निर्मुक्ति का निर्णय कर लिया। परिषद् की बैठक के बाद, संघ ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि यदि उनकी मांगें निगम द्वारा न मानी गई तो संघ मार्च में आन्दोलन आरम्भ कर देगा जिससे अन्य बातों के साथ साथ "कोई नया कार्य नहीं करो" कार्यक्रम भी शामिल होगा। 1 फरवरी 1965 को निगम ने संघ के अध्यक्ष से बातचीत की और उसको संघ की मांग बिना शर्त के वेतन वृद्धियों के अनुदान की अनुपयुक्तता के सम्बन्ध में आरोपित किया। निगम ने यह भी आरोपण किया कि मार्च, 1965 में विचारे गये आन्दोलन, विशेष रूप से——कोई नया कार्य न करो——का कार्यक्रम स्पष्ट रूप से निगम को दबा कर अपनी मांगें मनवाने के लिए है। निगम ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वह निष्पक्ष रूप से उसके सुझावों पर विचार करे।

निगम को बड़ा दुख है कि संघ ने "कोई नया कार्य न करो" का आन्दोलन चलाने का निर्णय किया है जो कि न केवल उस संस्था के हितों के विरुद्ध होगा, जिसमें वे नौकरी कर रहे हैं अपितु एजेन्टों को और सामान्य लोगों को, जो संरक्षण के लिए भी बीमा करवाते हैं, के हितों के विरुद्ध होगा।

जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संगठन और भारत के बीमा क्षेत्र कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के अपनी शिकायतों के उपचार हेतु आन्दोलन के आरम्भ करने का निर्णय अशुभ है, विशेषकर जब कि निगम ने उनके प्रथम श्रेणी के अधिकारियों और विकास अधिकारियों की जायज मांगें पूरी करने के लिए वह सब कुछ कर दिया है जितना हो सकता था। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जीवन निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का पारिश्रमिक सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बराबर है और उनको अन्य सुविधायें जैसे कुछ स्तरों पर बहुत अधिक चिकित्सा सम्बन्धी लाभ देने का प्रश्न निगम के विचाराधीन है। जहां तक विकास अधिकारियों का सम्बन्ध है,——विकास अधिकारी की उपयोगिता पूर्णतः उन द्वारा किए गए कार्य (बिज़नैस) जो उस निगम को लाकर देता है, पर निर्भर करती है। बिना कार्य-कुशलता दिखाए सामान्य रूप से वेतन वृद्धि की स्वीकार्यता निगम और पालिसी होल्डरों के हितो के प्रतिकूल होगा।

इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगा कि बीमा अधिनियम के अधीन निगम के खर्च के नवीयन का अनुपात संवैधानिक सीमाओं द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत रखना पड़ता है। निगम और तृतीय तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के संगठन के मध्य हुए करार और इस करार को अमल में लाने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त खर्च 1964–65 के दौरान नवीयन खर्च का अनुपात 13.64 प्रतिशत और 1965–66 में 14.27 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा। वेतन दरों में संशोधन और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को मकान किराया सम्बन्धी भत्ते देने से, खर्च का नवीयन अनुपात और भी आगे बढ़ जायेगा।

सदन इस बात को अवश्य समझेगा कि जैसा संधिान में निर्देश किया गया है, कि निगम को व्यापारिक सिद्धान्तों पर कार्य करना है और इसलिए खर्च के नवीयन के अनुपात पर लगातार नियन्त्रण रखना पड़ता है ताकि वह अपनी संवैधानिक सीमाओं से बढ़ न जाये। जहां पर मैं

अधिकारियों की जायज मांगों को सहानुभूति की दृष्टि से देखता हूं वहां मैं आन्दोलन की निन्दा किए बिना नहीं रह सकता क्योंकि यह आन्दोलन न केवल संस्था (निगम) के हितों के प्रतिकूल है जिसमें वे नौकरी करते हैं अपितु लोक हितों के भी विरुद्ध है। मेरा विश्वास है कि संघ गम्भीरता से विचार करके फिर से बातचीत प्रारम्भ कर देगा तथा यह आन्दोलन बन्द कर देगा। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि निगम अपने अधिकारियों के प्रति न्यायोचित व्यवहार करना चाहता है और केवल निगम तथा इसके पालिसी होल्डरों के स्थायी हितों को बिना हानि पहुंचाए, वह सब कुछ करने के लिए उत्सुक है जिससे इन अधिकारियों के उचित हितों तथा इच्छाओं का संरक्षण हो सके। मेरा विश्वास है कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी तथा विकास अधिकारी अपने बर्ताव पर पुनः विचार करके इस कार्यक्रम को त्याग देंगे। यदि इन प्रथम श्रेणी के अधिकारियों तथा विकास अधिकारियों ने अपने "औज़ार छोड़ो" तथा "कोई नया काम नहीं" के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया तो सरकार उचित कठिनाइयों तथा शिकायतों के प्रति सहानुभूति का बर्ताव रखते हुए भी निगम को पूरा सहयोग देगी जिससे न तो काम में अड़चन पड़े और न ही निगम के अथवा इसके पालिसी होल्डरों के हितों की हानि हो।

मैं यह और कहना चाहता हूं कि हाल में केन्द्रीय सरकार के एक अधिकारी को, जिसको केन्द्रीय सरकार की नीतियों और प्रशासन का काफी अनुभव है, इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। इन दोनों संयंत्रों के प्रतिनिधियों को यह बताना चाहता हूं कि वह इस अधिकारी से इस विषय पर बातचीत करें और मुझे विश्वास है कि वह उनकी बात सहानुभूति से सुनेंगे और कर्मचारियों के दृष्टिकोण तथा निगम के हित तथा कल्याण को ध्यान में रखेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: All those restrictions which are applicable to the regular employees of the Corporation are also applicable to the Development Officers. Then what is the reason that they are not treated as regular employees? Is the Government prepared to have the same agreement with the union of development officers which it has reached with the union of regular employees?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने सभा को पूरी सूचना देदी है मैंने सुझाव दिया है कि दोनों वर्गों के अधिकारियों के प्रतिनिधियों को यह सुझाव दिया है वह नये अध्यक्ष से बातचीत करे और अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करे।

Shri Madhu Limaye: I may be permitted to ask two questions.

Mr. Speaker: You cannot ask two questions. This is the rule for a long time.

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister has mentioned the agreement reached with second group of officers. I want to know whether an assurance has been given to the Union that they will be given an incremental scale under the terms of the agreement. If so, why is it not being implemented

Mr. Speaker: Your question ends here.

Shri Madhu Limaye: The other question is about dearness allowance. Is it a fact that a letter was written to the president of the union that their case will be taken up after a decision has been taken about paying increased dearness allowance to class III and class IV employees.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है ।

मार्च, 1964 में कुछ समझौते हुए थे जिनमें वृद्धि के प्रश्न को छोड़ दिया गया था । अब स्थिति यह है कि यह निश्चय करने के लिये कि वह वृद्धि के अधिकारी हैं कि नहीं सभी प्रकार के परित्राणों की व्यवस्था की गई है ; यदि इसलिये वृद्धि रोक दी गयी है कि कम कार्य किया गया है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक को अपील की जा सकती है ।

मुख्यत: दो प्रश्न यह हैं । विकास अधिकारी यह चाहते हैं कि चाहे वह पूरा कार्य करें या न करें उनको वृद्धि मिलनी चाहिये । और प्रथम श्रेणी के अधिकारी कुछ इस प्रकार के वेतन चाहते हैं जो सरकारी अधिकारियों को भी नहीं मिलते । अब यदि यह निर्णय करना हो कि कितना कार्य करने के पश्चात् वृद्धि मिलनी चाहिये और यदि इस प्रश्न पर विचार करना हो कि अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन मिलना चाहिये कि नहीं तो बातचीत की जा सकती है ।

Shri Madhu Limaye: My question has not been replied properly.

Mr. Speaker: You please sit down he has replied to your question. I cannot permit you to ask further questions.

Shri Madhu Limaye: You please see as to what reply he has given to my question.

Mr. Speaker: You are obstructing the proceedings. You please sit down.

श्री स. मो. बनर्जी : माननीय मंत्री ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि नये अध्यक्ष की कर्मचारियों की मांगों के प्रति सहानुभूति है ; तो क्या माननीय मंत्री जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को आवश्यक आदेश जारी करेंगे कि यह दोनों संगठनों से फिर से बातचीत करें और यदि बातचीत असफल रहे तो क्या वह उसे मध्यस्थ-निर्णय के लिये निर्देशन करने को तैयार हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष, मंडल के भी अध्यक्ष हैं । और जो कुछ भी वह करेंगे मंडल के परामर्श से करेंगे । अत: सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने और आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि समझौता न हुआ तो क्या वह उनसे मध्यस्थ निर्णय के लिये निर्देशित करने को तयार है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने कहा इस विषय पर अध्यक्ष और मंडल ही निर्णय ले सकते हैं । जब मामला सरकार के पास आयेगा तो वह इसपर विचार करेगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जीवन बीमा निमग और दोनों संगठनों के बीच जो समझौता हुआ था क्या उसमें यह स्पष्ट रूप में लिखा था कि :

"जीवन बीमा निगम संघ से सहमत हैं कि वेतन श्रेणी में नियमित वार्षिक वृद्धि लागू करना व्यवहार्य है क्योंकि इससे विकास आदि अधिकारियों में सुरक्षा की भावना आ जायेगी ।" माननीय मंत्री का समझौते में इस पंक्ति का क्या उत्तर है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे पास जो सूचना है मैंने सभा के सामने रख दी है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह तो प्ररूप समझौता है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे पास जो सूचना है मैंने दे दी है । मैं वास्तव में इस संगठन का प्रशासन नहीं कर रहा ।

Shri Bagri: Sir, I want to raise a point of order. When a question concerning his Ministry is asked, the hon. Minister says he doesn't have the information; then how can he give information to the House?

Mr. Speaker: The rules which govern the questions also govern the calling attention notice. If he doesn't have the information he can say he doesn't have the information.

Dr. Ram Manohar Lohia: It is a point of order. You kindly see the Directions by the Speaker and the business of the House.

Mr. Speaker: Here the calling attention notice has been mentioned lower in the list, but when I said that calling attention notice should be taken before adjournment motion, it is being taken first since then.

Dr. Ram Manohar Lohia: At no. 12 are privilege motions and at no. 14 are calling attention notices. That means I was right.

Mr. Speaker: This is what I was telling you that because we do not want many adjournment motions here as they relate to calling attention notice, we decided to take then first. First of all question hour then adjournment motion and then calling attention notice will be taken up. This is the decision of the House and things will be taken in this order.

Dr. Ram Manohar Lohia: Then why not incorporate this change in relevant publication.

Mr. Speaker: I will get it done.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 अन्तर्गत अधिसूचनायें

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. ३९२०/६५]**।

(एक) दिनांक 23 जनवरी, 1965 की अनिसूचना संख्या जी० एस० आर० 140 में प्रकाशित खनिज रियायत (पहला संशोधन नियम), 1965

(दो) दिनांक 23 जनवरी, 1965 का एस० ओ० 261

(तीन) दिनांक 23, जनवरी, 1965 का एस० ओ० 329 काफी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी) : मैं कहवा अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत, दिनांक 23 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 139 में प्रकाशित, कहवा (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल.टी.** 3803/65]।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मनीराम बागड़ी का विशेषाधिकार प्रस्ताव लेता हूं ।

Shri Bagri (Hissar): On 2nd March when the hon. Prime Minister was speaking in the House, Dr. Ram Manohar Lohia made a submission that the Prime Minister was speaking in English while his mother tongue was Hindi. Shri Shastri replied, "I am speaking in English now and I will speak in English but in future I will speak in Hindi." But P.T.I. P.I.B. and the 'Statesman' reported it as "Hindi too", meaning thereby in Hindi as well as in English. It's meaning in this context was thus, changed. It has created an unfortunate impression. We have received 7 or 8 letters from non-Hindi States wherein have been given threat of murder. The reason for it is out of 14 reporting agencies, about 8 are pro-English and want to keep it to the forefront. I submit that in order to stop such things which creat misunderstanding and disorder in the country, it should be referred to the Priveleges Committee.

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधान मंत्री इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं ।

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): When I said that I would speak in Hindi in future that didn't mean that I would not speak in English. I will speak in Hindi alright, but I will speak in English also, as the occasion demands. But I didn't mean that I would not speak in English.

Dr. Ram Manohar Lohia: I want to say something on what the Prime Minister has said.

Mr. Speaker: Dr. Ram Manohar Lohia has been persistently interrupting the proceedings of the House (*Interruptions*).

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : क्या हम यह समझें कि कुछ सदस्य इस विशेष स्थिति में हैं कि वह सभा की कार्यवाही में बाधा डालते रहें और देश का समय नष्ट करते रहें । और जब कुछ सदस्य बाहर निकाल दिये जाते हैं तो अन्य सदस्य जान बूझकर आपकी अवहेलना करते हैं और उनको दण्ड नहीं दिया जाता क्योंकि वह अध्यक्ष पर अनुचित दबाव डाल सकते हैं । और यदि यह चीजें इसी प्रकार चलती रहीं तो किसी के लिये बोलना संभव नहीं रहेगा । हम चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय सभा में व्यवस्था बनायें रखें और सभा के नेता को भी उनकी सहायता करनी चाहिये । आप कुछ सदस्यों को जो कुछ वह चाहते हैं करने देते हैं ।

Shri Rameshwaranand: We are the elected representatives of the people here. If we do not speak then the people ask us why don't we protest. But if we try to speak, then you don't let us speak. I am very sorry. I leave the House for the day.

(इसके पश्चा तश्री रामेश्वरानन्द सदन से बाहर चले गये ।)

(Shri Rameshwaranand that left the House.)

Dr. Ram Manohar Lohia: Words like 'black mail' have been used here. If you don't let me speak now, then when will you allow me to speak.

Mr. Speaker: I have asked you to sit down time and again. I now ask you to leave the House.

(इसके पश्चात डा० राम मनोहर लोहिया सदन से बाहर चले गये)

(Dr. Ram Manohar Lohia then left the House)

Mr. Speaker: This is a privilege question that Shri Shastri said "I am speaking in English to-day but I will speak in Hindi....". The question is not about what Shri Shastri said but that the press has reported it as "I will speak in Hindi too". A motion has been presented that it is a breach of the privilege. Even without listening to Shastriji, I had rejected the motion when I received it. If some newspaper has added "too", it is not a matter of such importance that any privilege has been violated. He says it has got an adverse effect, which is another question. As far as the press is concerned, if they have used the word "too", then it cannot be concluded that they have used it malafide or that they wanted to project some notice. That is why I rejected the notice when I received it first. The hon. member met me again and gave the notice. Then I asked Shri Shastri to give his opinion. After listening to the clarification of Shri Shastri, I am of the opinion that it is not such a case where a committee should be appointed and the House should take notice of it. These things can be ignored. As such I do not give consent that it should be discussed further.

Shri Madhu Limaye: You have to see whether it is according to rules 222, 223, 224, 225 and 226. We want to know your decision.

Mr. Speaker: There are two things. First of all I have to give the consent and then refer it to the Committee. I can withhold my consent even in the chamber; I can also give reference in the House and then withhold the consent. First of all I withheld the consent in the chamber but the hon. member was not satisfied and he gave a notice and met me. Therefore, after giving a reference here, I am not giving my consent that we should proceed further in the matter.

Shri Madhu Limaye: I want to read the relevant rules. You please give your decision after seeing the rules.

Mr. Speaker: I don't want to listen further. I ask Shri Madhu Limaye to leave the House.

(इसके पश्चात श्री मधू लिमये सदन से बाहर चले गये)

(Shri Madhu Limaye then left the House)

Mr. Speaker: I am taking a serious view of it. Even before a member had said that my decision was wrong; to-day also a member has said that my decision is wrong. It is a disrespect to the Chair and I will not allow such things to take place here.

Shri Ram Sewak Yadav: I have been watching this thing since the last session that whenever a member wants to give some clarification or wants to quote some rule, the Chair feels that he is show-

ing disrespect to the Chair. In such circumstances nothing reasonable can be done in this House. Whenever anybody says anything, you turn him out as has been done in the case of Shri Priya Gupta, Dr. Ram Manohar Lohia and Shri Madhu Limaye. I want you to think over it.

Mr. Speaker: You please sit down.

Shri Ram Sewak Yadav: I don't consider your decisions just, as such I walk out of the House.

(इसके पश्चात श्री राम सेवक यादव सदन से बाहर चले गये)

(Shri Ram Sewak Yadav then left the House)

Mr. Speaker: Shri Patil.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1964-65

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1964-65.

रेलवे मंत्री (श्री स. का. पाटिल) : मैं वर्ष 1964-65 के आय-व्ययक (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि 8 मार्च, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :-

(1) 1965-66 के लिये रेलवे आय-व्ययक पर आगे चर्चा ।

(2) निम्न अनुदानों पर चर्चा तथा मतदान:-

वर्ष 1965-66 के लिये रेलवे अनुदानों की मांगें ।

वर्ष 1964-65 के लिये रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगें ।

(3) सशस्त्र सेना (विशेषशक्तियां) जारी रखना विधेयक, 1965 पर विचार तथा पास करना ।

(4) गुरूवार 11 मार्च को सायंकाल 4 बजे महामान्य महाराजा प्रताप केशरी देव के प्रस्ताव पर पीकिंग समर्थक साम्यबादियों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों और तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिये उनकी तैयारियों सम्बन्धी गृह-मंत्री के वक्तव्य पर जो कि 18 फरवरी, 1965 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार ।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि समान्य आय-व्ययक पर आम चर्चा सोमवार 15 मार्च, 1965 से आरम्भ होगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : मुझे तीन बातें कहनी हैं । पहली तो वामपक्षी साम्यवादियों के बन्दी बनाये जाने के बारे में है । इस के बारे में श्री प्र० के० देव को प्रस्ताव की अनुमति दे दी गई है । यह प्रस्ताव सरकार की ओर से प्रस्तुत होना चाहिये था ।

दूसरी बात श्री कामत द्वारा प्रस्तुत की गई केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के बारे में है । इस प्रश्न को लेकर देश में सभी स्तरों पर उत्सुकता पैदा हो गई है और लोगों को चिन्ता हो रही है । मैं चाहता हूं कि इस पर इसी सप्ताह चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पर चर्चा नहीं हो सकती । यदि इसे सरकार पेश करे तो चर्चा हो सकती है । आप इस दस्तावेज को और मौके पर प्रयोग में ला सकते हैं । जैसे बजट पर समान्य चर्चा के समय ।

श्री स० मो० बनर्जी : तीसरी बात यह है कि बोनस आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के बारे में ही कहना चाहता हूं । यह अन्यंत महत्व का विषय बन गया है । आप इस को केवल पारिभाषिक दृष्टि से ही न लें । यह ठीक है कि इसे एक गैर-सरकारी सदस्य ने प्रस्तुत किया है परन्तु इस के महत्व को देखा जाना चाहिये । इस चर्चा के लिये पूरा दिन नियत किया जाना चाहिये । सरकार को पूरे तथ्य सभा में पेश करने चाहिये । इस से देश को पता चलेगा कि दोषी कौन है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि हमें इस प्रश्न पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये । "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने अपने सम्पादकीय लेख में इन (उड़ीसा के नेताओं) को दोषी कहा है । मेरा निवेदन है कि इस चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाये ।

श्री सत्यनारायण सिंह : जहां तक एक गैर-सरकारी सदस्य का किसी चीज़ के पटल पर रखने का प्रश्न है इस की अनुमति आपको देनी है । मैं ने दलों के नेताओं को उस दिन की बैठक में बता दिया था कि अब तक यह प्रथा रही है कि वित्तीय कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् ही "अनियत दिन वाले प्रस्तावों" पर चर्चा होती है । यह भी मैं ने बता दिया था कि यदि इस पर चर्चा की भी गई तो पूरे समय में से इस का समय घटाना पड़ेगा । नहीं तो और कोई चारा नहीं ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota): A summary of the controversial C.B.I. Report has been placed on the table of the House after such a great demand. But now the hon. Minister wants to postpone a discussion on this report. I request that it should be discussed immediately.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं । इस को गैर-सरकारी सदस्य ने सभा-पटल पर रखा है और उन्हींने प्रमाणित किया है कि यह एक सच्चा दस्तावेज है । मैंने इस में से उद्धरण देने की आज्ञा भी दी है । परन्तु जब तक इस की सच्चाई को सरकार स्वीकार नहीं करती इस पर चर्चा नहीं हो सकती । इस में से उद्धरण पढ़े जा सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने श्री कामत की रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखने की अनुमति दी है और उन्हींने प्रमाणित किया कि यह सच्ची है । अब सरकार न तो इस का खण्डन करती है और न ही इसकी पुष्टि । ऐसी स्थिति हमारे लिये बहुत अजीब है । अतः आप सरकार को आदेश दें कि वह इस को सभा पटल पर रखे ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मेरा निवेदन है कि आप इस को केवल परिभाषिक दृष्टि से न लें। श्री कामत द्वारा रिपोर्ट रखे जाने पर सम्पूर्ण देश में हलचल मच गई है। सरकार ने इस बारे में चुप्पी साध ली है। एक दस्तावेज कि जिसने इतनी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है पर विचार नहीं करने दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे तदर्थ विषयों पर चर्चा के के लिये कुछ प्रथाएं बनायें ताकि संसद् में उचित चर्चा की जा सके।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इतने अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा न होना बहुत अनुचित बात होगी। इस पर अवश्य ही चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा का अब अन्त होना चाहिये।

Shri Bagri: Mr. Speaker, I do not want to obstruct the proceedings. It has been said in regard to my group that it is indulging in black mailing. I want to clarify, but you are not prepared to listen to me even.

Mr. Speaker: It was not proper for Shri Mukerjee to say like that but it does not mean that hon. member should stand up and start speaking without my permission. Now you are obstructing. I will have to take action. I want that Shri Bagri should go out.

Shri Bagri: I will not go out.

Mr. Speaker: You are defying the direction of Speaker and obstructing. I want to convey to the House that I have named him and asked him to go out of the House, but he is flouting the authority of the Speaker.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री बागड़ी को आज के दिन की शेष अवधि के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाय।"

श्री मुत्याल राव : मैं इस प्रस्ताव के स्थान पर स्थानापन्न प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री बागड़ी को सत्र की शेष अवधि के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री बागड़ी को सत्र की शेष अवधि के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाये।"

श्री रंगा : मैं सुझाव देता हूं कि "सत्र की शेष अवधि" के स्थान पर "दिन की शेष अवधि" कर दिया जाय। ऐसी बातें आज और भी हो चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा की इस बात को मानना पड़ेगा कि यदि एक के बाद एक सदस्य मेरी अनुमति के बिना खड़ा होता रहे और सदन की कार्यवाही में बाधा डालता रहे तो मेरे लिये मुश्किल हो जाता है।

(इस समय श्री बागड़ी सदन से बाहर चले गये)

(*Shri Bagri then left the House*)

Mr. Speaker: If the House so desires, this matter may be left here.

Some Hon. Members: Yes Sir.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: We should always try to maintain the dignity of the House. The members who cause excitement in this manner want publicity. I suggest that these things should not go on record.

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा--(जारी)

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं उन कर्मचारियों का अप्रत्यक्ष रूप से दण्ड देने की बात कर रहा था जिन्होंने 1960 की हड़ताल में भाग लिया था। इस सम्बन्ध में 90 से 98 प्रतिशत लोग सेवा में वापिस ले लिये गये हैं परन्तु कुछ लोगों के मामले अभी भी चल रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इन के मामलों पर पुनर्विचार किया जाय। इन लोगों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। दक्षिण-पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ के दो प्रतिनिधि श्री एन० चक्रवर्ती और ए० लक्ष्मीनारायण के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्यवाही के आरोप पर कार्यवाही की गई है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह इन मामलों में स्वयं देखें कि क्या वास्तव में उन्होंने कोई तोड़ फोड़ की कार्यवाही की है।

नैमित्तिक मज़दूरों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इन हजारों कर्मचारियों की छंटनी न की जाय और उन को नियमित रुप से कार्य दिया जाये। उनको केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिये जायें। एक समिति नियुक्त की जाये जो यह जांच करे कि रेलवे बोर्ड के आदेशों को कहां पर कार्यान्वित नहीं किया गया है।

अब मैं छोटी लाईनों की गाड़ियों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आपको किराये बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती यदि इनको सरकार अपने नियन्त्रण में ले लेती। इनके कार्यवहन में बहुत त्रुटियां हैं। इन रेलों पर बड़ बड़े पूंजीपतियों का नियन्त्रण है, इसी लिये सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर रही है। परन्तु वर्तमान रेलवे मन्त्री तथा उनके मन्त्रालय में सहयोगी यह साहसपूर्ण निर्णय कर सकते हैं।

सियालदाह से प्रशिक्षण स्कूल को धनबाद स्थानान्तरित किया जा रहा है। मैं इसके विरुद्ध हूं। वहां पर सभी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। धनबाद का भवन आप बोकारो इस्पात कारखाने के लिये प्रयोग में ला सकते हैं। माननीय मन्त्री को इस ओर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय के आयुध कारखानों से जो अधिकारी रेलवे प्रशासन में कार्य पर आते हैं उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I welcome and support the Budget presented by hon. Railway Minister. There is a decrease in the freight earned during current year. It is because people prefer

to send their goods by road transport. The Railway Minister should see that people's confidence in Railways is restored. We are going to increase fares. Side by side we should also see that amenities are also increased. Both the Railway Ministers were Ministers of Food and Agriculture previously. They are well aware of the difficulties of farmers of the country. The freight charges on the articles which are used by farmers, should not be increased. I would suggest that there should not be any freight charges on those articles.

Our Government has tried to abolish Zamindari. Constitution was amended to facilitate this. The Wheeler has been given monopoly to have book stalls on all railway stations. If we want to establish socialistic pattern of society, these things will have to be stopped.

A train accident took place recently in my constituency and about 20 or 25 persons were killed. Railway Minister should look into this matter and help the survivors of those who were killed.

There is no Railway Public Service Commission in my State. The candidates have to go either to Calcutta or to Allahabad. It causes great inconvenience.

A road bridge is under construction at Dumaria Ghat on Gandak river. I suggest that this bridge may be made road-*cum*-rail bridge. It will link Punjab with Assam. I request the hon. Minister of railway that a bridge must be constructed at Dumarighat. Our district is on the border of Nepal and that country is adjacent to China. In this way our district has a very strategic position. Keeping this in view a road from Samastipur to Narkatia Ganj *via* Muzafarpur may be constructed.

The other thing which I want to say is about catering at Railway stations. These days our Ministers do not travel by trains, but they travel by aeroplanes. Thus they remain ignorant about the prevalent conditions at railway stations. I request that proper care should be taken to ensure sanitation and security at railway stations.

Shri R. S. Pandey (Guna): Mr. Speaker, Sir, I would like to begin by congratulating the hon. Railway Minister, his colleagues and the Railway Board for their creditable performance. Our Railways are a very large establishment in the Public Sector and it is a matter of pleasure that they are able to cater to increased passenger and goods traffic in our country. I hope that we will be able to develop and modernise our Railways.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

I would emphasise the need to reduce the third class railway fares and provide some more facilities to the passengers travelling in that class. Today the overall traffic has grown in the country and a large proportion of it is going to the road transport because the road transport has acquired a better efficiency which includes better service, quick delivery and saving of time of passengers, hence it has developed as a formidable competitor with the railways.

Today there is a great need to develop and modernise our railways which include quick delivery, economic service, better service and

[Shri R.S. Pandey]

safe delivery. We need faster mail and passenger trains in the country with a view to save a lot of man hours and time of passengers to reach their destinations. There are countries like England, Japan etc., which have developed their railways and introduced fast running trains and they have achieved creditable operational efficiency in their railways. We should, therefore, tackle this problem with a scientific approach to develop, modernise and re-equip our railways with scientific device and designs. I may also submit that we need to manufacture more locomotives and increase the number of trains so that the railways may be able to cater to increased passenger and goods traffic in the country. It will also help eliminate overcrowding and relieve congestion in the trains. I would also like to refer that the allocation of funds made for the railways during the fourth five year Plan are insufficient for their development and modernisation. It is a matter of regret that the Railways authorities have not paid due attention to Madhya Pradesh which is economically backward and seriously lagging behind in development. There are only three trains namely G.T. Railway—from Calcutta to Bombay, and one from Delhi to Madras and the third one—the Punjab Mail which go *via* Madhya Pradesh. There are various mineral deposits in our State but there is no transport and traffic facility provided to this State. It is absolutely necessary to construct new lines and connect various places of this State by linking lines with a view to achieve and promote economic, social and cultural development which is today considerably dependent on the development of and the facilities provided by the railways. Though some new lines are being opened in our State yet an area of 200 miles causing Kurawai—Sironj, Lateri, Madhusudangarh is even today totally deprived of the railway service. So it is necessary to conduct survey and lay new lines there which is the pressing need of the State today. So far as catering on railways is concerned, a departmental catering system has been introduced there. I may, therefore, suggest that a spirit of competition should be developed there so that the passengers may get better and cheap meals.

I may urge upon the Finance Minister to exempt the Railways from import levy or import surcharge on imported components. I may make one more suggestion regarding abolition of the third class compartment and the facilities provided to the second class compartment may be extended to the third class compartment. Besides, class III and class IV employees should be given good-mannerly treatment and arrangements should also be made for their residential accommodations.

With these words, I support the Railway Budget.

श्री ज० र० मेहता (पाली) : मैं अपना भाषण आरम्भ करने से पहिले रेलवे मन्त्री, उनके सहयोगियों तथा रेलवे बोर्ड को उनके प्रशंसनीय कार्यों के लिए बधाई देता हूं। यह कहा गया है कि हमारी रेलगाड़ियां देश की यात्री और सामान-यातायात की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में सफल हुई हैं। यह सन्तोषजनक बात है। आज देशकी विकासशील अर्थव्यवस्था में, यात्री और सामान यातायात दोनों की ही मांग अत्यधिक बढ़ती जा रही है। किन्तु मैं यह बात अधिक बल देकर कह सकता हूं कि आज सड़क यातायात में वृद्धि हो रही है और लोगों का झुकाव भी उसी यातायात की तरफ है क्योंकि

सड़क-यातायात में पर्याप्त विकास हो गया है और उसमें यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा दी जा रही हैं। अतः वह रेलवे के साथ प्रतिस्पर्धा की होड़ में सफल हो रहा है। इस स्थिति में रेलवेज को चाहिए कि अपनी सेवाओं को कम खर्चीला तथा अधिक सुविधाजनक बनायें और सामान के गन्तव्य स्थान में पहुंचाने की सुरक्षित तथा शीघ्र व्यवस्था करें और यात्रियों के साथ नम्रतापूर्ण एवं शिष्ट व्यवहार करें।

यह हर्ष की बात है कि हमारी यात्री गाड़ियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मुझे यकीन है कि रेलवे द्वारा अत्यधिक भीड़ को कम करने के उपाय भी किये जायेंगे। इसके लिए मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि जहां सम्भव हो, नई रेल-लाइनों को बिठाकर अन्य रेल लाइनों से जोड़ दिया जाये जिससे कि यात्रा दूरी कम हो जायेगी और यह कदम रेलों में भीड़ कम करने में भी सहायक होगा; इसके साथ-साथ यात्रियों का समय व्यर्थ नष्ट होने से भी बच जायेगा।

यह हर्ष का विषय है कि राजस्थान में, जहां सड़क-परिवहन का अधिक विकास सम्भव नहीं है और जो स्वतः भी एक एक अविकसित क्षेत्र है, उदयपुर–हिम्मतनगर रेल-लाइन शीघ्र ही खुलने वाली है। मेरा एक सुझाव यह भी है कि चित्तौड़गढ़ को कोटा से एक रेल-लाइन द्वारा मिला दिया जाये जो कि चम्बल परियोजना वाले क्षेत्र के विकास में भी सहायक होगा। इस सम्बन्ध में हमें रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री डा० राम सुभग सिंह जी ने भी आश्वासन दिया हुआ है।

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : कोटा से चित्तौड़गढ़ तक एक नई लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण को मांगों में शामिल किया गया है।

श्री ज० र० मेहता : मेरा यह भी अनुरोध है कि दिल्ली से जोधपुर तक एक नई रेलगाड़ी चालू की जाये। जोधपुर मेल के समय में भी, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर, कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि हाल ही में रेलवे मन्त्री ने दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों (ज़ोन्स) के बीच में एक नई क्षेत्र की स्थापना के बारे में घोषणा की है, किन्तु उत्तर में भी एक क्षेत्र बनाने की बहुत आवश्यकता है। कुंजरू समिति और प्राक्कलन समितियों ने भी उत्तर में एक अतिरिक्त क्षेत्र की स्थापना के बारे में जोरदार सिफारिश की है। मेरे विचार में यह मामला रेलवे मन्त्री और रेलवे मन्त्रालय के विचाराधीन होगा।

अन्य विभागों अथवा मन्त्रालयों में जहां वर्ग 1 के पदाधिकारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें समान हैं, पदोन्नति-क्षेत्र की तुलना में रेलवे मन्त्रालय के वर्ग 1 के पदाधिकारियों को पदोन्नति के अवसर बहुत कम मिलते हैं। अतः उनमें असन्तोष एवं उदासीनता की भावना है। इसलिए रेलवे मन्त्रालय ने इस शिकायत और भेद-भाव को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए जो कि संविधान के अनुसार भी उचित है। मेरा यह भी सुझाव है कि दास आयोग की सिफारिशों के अनुसार 600 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले पदाधिकारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

Shri Gulshan (Bhatinda): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Railway Ministry have provided facilities to the country and have laid new lines in NEFA and Assam. It is a commendable performance. But it would be a matter of more credit to them if they make some efforts to provide more facilities to the passengers travelling in the third class compartments and eliminating over-crowding in the trains. Today when there are increased prices of commodities, and still the

[Shri Gulshan]

the prices are persistently increasing, the railway labour is meted out a discriminatory treatment as he gets the same wages which he used to get ten years ago. So there is a pressing need to revise the policy regarding their wages.

I would also like and request the Railway Ministry to fill up the quota in the Railway services reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Their cases regarding appointment should also not be kept pending for year after their selection. Several cases have been brought to my notice where candidates were selected but they were not given appointment letters by the Railway Ministry or departments concerned.

It is a matter of regret that there is a large scale corruption in various wings of the Railway Administration. We see ourselves and know from the press reports also that high ranking officials are generally involved in the cases connected with corruption. But it is a magic show to the utter surprise of every one that the persons concerned often go scot free even after holding a departmental enquiry. It is true that the Ministry have succeeded in minimising the railway accidents but the corruption in creeping in day by day in every level among officials and other employees. There are cases of open bribery also. It is, therefore, absolutely necessary to take stringent steps so as to eradicate corruption. Cases of nepotism are also not rare in the Railway Departments.

Bhatinda is the biggest junction on the Northern Railway. But the condition of the residential accommodations allotted to the Railway employees there is very miserable. There are many platforms on that junction but there is no adequate arrangement made for the passengers to protect themselves from the scorching heat and torrential rains. There is also not proper and adequate arrangement made at the railway level-crossing; the gates are generally closed there which causes much inconvenience to the local farmers.

Chandigarh is the Capital of Punjab and the Government have not so connected it by railway lines. In Amritsar also, the traders have to despatch there goods by the road transport. It is necessary to connect Amritsar with Bhatinda by a new line *via* Tarantaran and Monga. I would also suggest that the Upper Indian Express from Howrah to Delhi may be extended to Firozepure.

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं रेलवे मंत्रालय के तीनों मंत्रियों अर्थात् श्री पाटिल, डा० राम सुभग सिंह और श्री शाम नाथ को बधाई देता हूं । मुझे इस बात से भी सन्तोष है कि मंत्रालय का काम सम्भालने से पूर्व श्री पाटिल विदेशों का दौरा भी कर आये हैं जिससे उनका अनुभव और बढ़ गया है । विदेशों से वापिस आकर उन्होंने एक वार्ता में तकनीकी तथा विज्ञान में प्रगति करने वाले देशों की बहुत बातें बताई थीं । हमें हर्ष है कि सभी दिशाओं में काफी प्रगति हुई है । शिकायतों की संख्या भी कम हो रही है । कारखानों में भी काफी प्रगति हुई । श्री पाटिल अपने विचारों को कहां तक कार्यान्वित करेंगे, इस पर आशा है कि वह सदन में प्रकाश डालेंगे ।

इस पर भी मैं कुछ बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करूंगा । मेरा निवेदन यह है कि तकनीकी तथा उच्च यांत्रिक शिक्षा के मामलों में हमने विशेष रूप से प्रगति नहीं की है । मेरा आग्रह है कि इस दिशा में अपने प्रविधिज्ञों के प्रशिक्षण के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए । यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है । इसके अतिरिक्त कि रेलवे सुविधाओं में एक यह भी होनी चाहिए कि रेलवे स्टेशनों पर जल की व्यवस्था की जाय । छोटे छोटे स्टेशनों पर जल की व्यवस्था न होने के कारण गर्मियों में विशेष रूप से यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है । अतः मेरा निवेदन है कि ग्रीष्म ऋतु में छोटे स्टेशनों पर जल की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए । इस बात का भी प्रयाण किया जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अच्छे होटल की व्यवस्था की जाय ।

रेलवे के वे कर्मचारी जो कि वाणिज्यिक कार्यों में लगे हैं बहुत ही योग्य तथा शिक्षित हैं । उनका उत्तरदायित्व भी काफी है । परन्तु खेद की बात ह कि इन लोगों को बहुत ही कम वेतन मिलता है । मेरा निवेदन यह है कि उनकी स्थिति पर विचार किया जाय । मुझे इस बात का भय है कि यदि उनकी दशा पर उचित ध्यान न दिया गया तो उनके अनुचित प्रभाव में आ जाने का खतरा है ।

एक अन्य बात भी देखने की है कि रेलवे में माल यातायात का काम निरन्तर कुछ वर्षों से कम होता जा रहा है । इस का एक कारण यह भी लगता है कि कर्मचारियों पर काम का बहुत बोझ है । सुरक्षा कर्मचारी भी लगभग नहीं के बराबर हैं । इस पर भी उन्हें बड़े बड़े गोदामों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है । उन गोदामों में लाखों रुपयों का माल पड़ा हुआ है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए ।

मेरा निवेदन यह है कि तीन भारमापक यंत्रों पर एक ही वस्तु के विभिन्न भार दृष्टिगोचर हो रहे हैं । यदि आपकी इच्छा जनता का विश्वास प्राप्त करने की है तो यह बहुत जरूरी है कि कर्मचारियों को कार्य करने की पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहिएं । इसके बिना कोई सफलता नहीं मिल सकती । इसी तरह यह भी जरूरी है कि रेलों में बढ़ रही भीड़ भाड़ को कम करने के लिए और गाड़ियां चलाई जानी चाहिएं । तोसरे दर्जे में यह बहुत आवश्यक है । अच्छा हो यदि तीसरे दर्जे के डिब्बों के साथ अतिरिक्त डिब्बे जोड़ दिये जायें ।

सेना अधिकारियों और सेना के अन्य श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों का विशेष कोटा होना चाहिए । गाड़ी में स्थान न मिलने के कारण उन्हें प्रायः प्लेट फार्मों पर ही ठहरना पड़ता है । मेरा विनम्र आग्रह है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस बारे में अपेक्षित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

सत्तावनवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से जो 3 मार्च, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से जो 3 मार्च, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Motion was adopted.

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

(धारा 14 का संशोधन)

HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 14)

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मंत्रियों के वेतन तथा भते (संशोधन) विधेयक

(धारा ६ का संशोधन)

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 6)

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the salaries and Allowances of Ministers Act, 1952".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

Shri Yashpal Singh: Sir, I introduce the Bill.

अधिवक्त (संशोधन) विधेयक

(धारा 24 और 55 का संशोधन)

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Sections 24 and 55)

श्री पाराशर (शिवपुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

The Motion was adopted

श्री पाराशर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक

(धारा 24 का संशोधन)

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 24)

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरा§:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

Shri Yashpal Singh: I introduce the Bill.

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् विधेयक

ALL INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL

श्री अ० त्रि० शर्मा (चित्रपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् के गठन, समस्त भारत के लिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् के गठन, समस्त भारत के लिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्री अ० त्रि० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : गला विधेयक, राम सेवक यादव ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 109 का हटाया जाना)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL.

(Omission of Section 109)

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): The Bill further to amend the code of criminal procedure, 1898 was to be moved by Dr. Ram Manohar Lohia, but as he has not been able to attend the sitting today, for some reasons. I move the Bill as hope that the House after discussing this Bill would accept it. I may tell the House that in this country lakhs of people have been put behind the bar under section 109 of the criminal Procedure Code. The objects of the section are definitely against the fundamental rights provided in the constitution. Poor people have been prey to this legal weapon. I shall try to put the facts before the House and impress upon the House to accept this amendment.

In this section, there is a provision to arrest three categories of persons. Persons who are concealing their presence in any case, in which they are wanted by the Police. Second category is of those persons who have no ostensible means of livelihood. And the third type is of the persons who give unsatisfactory replies on being interogated. As regards the first category of persons, the question arises, who will decide this issue, whether the accused person is actually concealing his presence. As far as the second category is concerned.

we find today that in this vide country there are rores of people who have no means of livelihood. They have no employment and no land to till. How will you decide the ostensibility of livelihood. As for the third type, there are cases where people are challaned out of sheer vindictiveness. In such cases, we have many times discovered that the Police are often in league with jagirdars, rich men and influential people of the area concerned.

In this connection, I may state that person who refused *begar* or who raised their voice against any injustice were caught hold of under the section. Generally we find the Police is unable to trace out the real culprits in many cases, they take advantage of the section for showing their vigilance and increasing the number of challans. Most of the people are arrested under this section for the purpose of carrying out certain services in the jails. Both high and low caste people are required in the jails for various services, such as cooking, sanitation, etc., this Section 109 is generally used as an instrument for providing the required men. During the British regime and even after this thing has been going on.

Many cases registered under Section 109, are even today still based on the posession of a stick, a candle and a match box. This has been the general practice during the British regime. Even today the same articles are being used again and again. False evidence is brought up and the same witnesses are produced again and again. The Police adopt many other underhand means also to trouble and haul up poor and innocent people. And in this way abuse this section, In this way poverty has come to them as a great curse. There is no remdy from this curse, no legal safeguard.

When the innocent people are kept in jail like this taking advantage of this section, the result is that by coming in contact with criminals, they also become criminal. In this way this section has been responsible for the increase of crime. Even if we consider this matter keeping in view the Fundamental Rights conferred by our constitution as also the Human Rights enumerated in U.N. charter, Section 109 should be omitted from criminal procedure code.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दंड प्रक्रिता संहिना 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे 1 अगस्त 1965 तक परिचारित किया जाय ।"

श्री उ. मू. त्रिवेदी (मंदसौर) : यह अधिक अच्छा होता यदि वर्तमान विधेयक में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाता जिससे धारा 107 (ख) धारा 115 में बदल दिया जाता । बात केवल धारा 109 की ही न रह जाती । इसी धारा को ही क्यों चुना गया है । श्री यादव ठीक कहते हैं कि इस धारा का चुनाव के समय में काफी दुरूपयोग किया गया है। इसे राजनीतिक दलों के विरूद्ध प्रयोग किया गया था । इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इ० एल० आर० अंक 9 में पृष्ठ 115 पर दर्ज मामलों की छानबीन करें । यह बहुत ही उपयुंक्त मामला जिससे पता चलता है कि इस धारा में संशोधन करना कितना ज़रूरी है ।

[श्री उ० मु० त्रिवेदी]

मेरा इस दिशा में स्पष्ट मत यह है कि इस धारा को निकाला नहीं जाना चाहिए प्रत्युत इसमें उपयुक्त रूप से संशोधन कर देना चाहिए । इस उद्देश्य की दृष्टि से विधेयक को जन मत के लिए परिचालित किया जाना चाहिए । सरकार को इसके प्रति आंखें खोलनी ही चाहियें ।

Shri Sarju Pandey (Rasra): I want to support this Bill. We must know that old world has changed. We are living in new times and attained our independence about 18 years ago. Any country can feel ashamed for such a clause. It is injustice with the people who are tried under this clause. Under this clause, there is no need of any defence, any argument or any advocate to defend you. You are out right punished.

That is why, I am of the opinion that it is not proper to keep section 109 in the Statute Book. It is not in accordance with the dignity of any independent country like ours. During the days when the fight for freedom was going on, thousands of people became pray to this clause and were wrongly punished.

We should feel that it is not proper to have the poor people to the mercy of the Police the way the poor people suffered under the provisions of that section was very horrible. People lost their faith in the justice and rule of law. I would like to appeal that serious consideration should be given to this matter and Section 109 should be properly amended, so that poor and innocent people should be given adequate protection.

Shri Parashar (Shivpuri): I oppose this amending Bill. The learned mover has not read the clause properly. It has been clearly stated that:

"Such person is taking such presecution with a view to commiting any offence".

The point is that section 109 is meant to prevent an offence. We must understand that action can only be taken against a person who is taking precautions to conceal his presence with a view to commit any offence. Besides every innocent person can indicate his ostensible means of subsistence.

I oppose this Bill and hope that it will ultimately withdrawn.

श्री नि. च. चटर्जी (बर्दवान) : यह बहुत ही खतरनाक धारा है । इसे हटा दिया जाना चाहिए। इसे अवैध घोषित कर देना चाहिए, यह तो मूल अधिकारों पर ही कुठाराघात करता है। यह संविधान के विरूद्ध और लोगों नागरिकों की स्वतन्त्रता के रास्ते में बाधक है । इसका दुरुपयोग भी किया गया है ? बंगाल में इस धारा का अनुचित लाभ उठाकर लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस धारा का प्रयोग उन लोगों के विरूद्ध किया गया जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी है । उनका कोई अन्य दोष नहीं था, केवल इतना ही अपराध था कि देश की स्वतन्त्रता के लिए वे अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे थे ।

इस धारा की भाषा बड़ी लचीली है। इस पर कई एक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने बड़े कड़े शब्दों में अपनी आलोचना प्रस्तुत की है । यदि किसी बड़े प्रतिष्ठित नागरिक का कोई बेटा बेकार है तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था । कई न्यायाधीश कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए परन्तु कठिनाई यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति उच्च न्यायालय तक पहुंचने में समर्थ नहीं था । धारा इतनी ढीली ढाली है कि कोई भी इसके अन्तर्गत धर लिया जा सकता था । नागपुर उच्च न्यायलय की पूरी बैंच ने इसके विरूद्ध कहा था ।

हम पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज के नागरिक हैं । हमने विधि का राज्य स्थापित करने का वचन लिया है । इस धारा को उसके अनुरूप बनाना बड़ा ही आवश्यक है जिससे मूल स्वतन्त्रता की धारा की गारन्टी कायम रह सके ।

श्री सिद्दय्या (चामराज नगर) : इस धारा को अपराध प्रक्रिया संहिता में 1898 वर्ष में शामिल किया गया था । इस बात को 67 वर्ष हो गये हैं । हो सकता है कि उस समय ऐसे करने में कुछ कारण रहे हो परन्तु आज तो हमारी हालत बदल गई है और हमारे यहां लोकतन्त्रीय विधान चल रहा है । मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए और इसे जनमत जानने के लिए भी परिचालित किया जाय । इसके पश्चात् ही सरकार को इस दिशा में कोई कार्यवाही करनी चाहिए ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): An hon. member said that Shri Ram Sewak Yadav is not right in saying that this section is being misused. If he comes to Kotah with me, I can put him behind the bars for two days under section 109. Then he will realise how this section is being misused. Supposing a person comes from Kotah or Rajasthan to watch the procession on 26th January, there he has no other place to sleep but the footpath. Then the policeman will come and ask him about his identification. But how can a person from Kotah produce witness in Delhi to prove his identity? The duty of those spare magistrate is to check the people going on the road side and either to fine them Rs. 5 to 10 or send them to the prison for 15 days. This section is used more frequently during the village panchayat elections. The opposing people are put behind the bars under sections 109, 107 and 370.

This section is mainly used against poor people. I think no income tax paying person has been caught under this section even though he may be a car theif.

I thank my hon. friend for bringing this Bill to remove this section 109. I fully support this Bill.

Shri Balmiki (Khurja): I support this Bill. I can say on the basis of 32 year experience of my life that this section is being misused.

We are fighting for human rights in our country and in the world. But by keeping this section we are curtailing human rights. All the four sections 107, 108, 109 and 110 are being misused. They are being against poor and ordinary citizens.

Even after the three plans no employment opportunities have been provided for the poor people. Because of the increase in cost of living these people are finding it difficult to make both ends meet. The police in our country plays in the hands of rich people and

[Shri Balmiki]

harasses the poor and the common man. I can give an instance. A boy who was working in Bombay came to my district on leave. The police challaned him under section 109 and put him behind the bars. It is a crime to be poor and well-built under the Goonda Act. To save the poor man from the oppression of the police, I would request the hon. Minister to support this Bill.

श्री वी. चं. शर्मा (गुरदासपुर) : इस विधेयक पर विचार करने के लिये हमें वर्ष 1898 में जाना पड़ेगा जब अपराधी का सुधार दण्ड से ही किया जाता था । अब संसार में काफी परिवर्तन आ गया है अपराध को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है । अतः इस धारा में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है ।

इसमें अभिप्राय पर बहुत अधिक बल दिया जाता है । इसमें लिखा है "मजिस्ट्रेट को विश्वास है"; अर्थात वह मनुष्य के अभिप्राय का निर्णय कर सकता है । अभिप्राय तो एक छिपी हुई और अज्ञात चीज़ है । इसका तो केवल सर्वशक्तिमान भगवान को पता है । और यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी को उसके अभिप्राय के आधार पर दण्ड देता है तो वह अपने को दैव शक्ति दे रहा है जो मैं मानने को तैयार नहीं हूं । अतः यह तरीका ठीक नहीं है । कोई किसी के अभिप्राय के बारे में किस प्रकार जान सकता है ।

यह भी कहा गया है कि जीवन निर्वाह के प्रकट साधन होने चाहिये । एक संसठ्–सदस्य के निर्वाह के प्रकट साधन क्या हैं ? क्या वह कोई कारखाना अथवा दूकान चला रहे हैं या कहीं और काम करने जाते हैं ? नहीं । इसलिये निर्वाह के प्रकट साधन न होने को अपराध मानना बहुत ही आपत्तिजनक है । यदि इस प्रकार अमरीका के व्यवसायिक पदाधिकारियों का निर्णय किया जाय तो उनको धारा 109 के अन्तर्गत पकड़ा जा सकता है ।

यह भी कहा गया है कि "यदि कोई मनुष्य अपने सम्बन्ध में सन्तोषप्रद उत्तर दे सके" । क्या कोई अपने सम्बन्ध में सन्तोषप्रद उत्तर दे सकता है ? कोई पति अपने स बन्ध में अपनी पत्नी को संतोषप्रद उत्तर नही दे सकता । यह कहना कि आपको अपने संबन्ध में संतोषजनक बातें बतानी पड़ेंगी, केवल भगवान ही कह सकता है न कि कोई मजिस्ट्रेट ।

यदि आप विश्व का इतिहास देखें तो आप पायेंगे कि प्रत्येक देश में ऐसे आवारागर्द हैं जिनका जीवन निर्वाह का कोई भी प्रकट साधन नहीं है । फिर भी कोई उनको धारा 109 के अन्तर्गत नहीं पकड़ता । मेरे विचार में ब्रिटिश सरकार ने अपने राजनैतिक विरोधियों को दबाने के लिये इस धारा को लागू किया था । अतः मैं गृह-कार्य मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाये, जिससे या तो इस धारा को हटा दिया जाय अथवा इसके स्थान पर कोई और धारा रखी जाय । किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास निर्वाह के प्रकट साधन नहीं है उससे जमानत मांगना उसी प्रकार है जिस तरह किसी अंधे व्यक्ति से आंखों की स्वस्थता का प्रमाण-पत्र मांगना । मेरा विचार है कि इस धारा में सिवाये पुलिस के और किसी का भला नहीं किया और हम जितना शीघ्र पुलिस राज्य समाप्त कर सकें उतना ही अच्छा है ।

डा. मा. श्री. अणे (नागपुर) : यद्यपि हमने काफी प्रगति कर ली है फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि मनुष्य की पाश्विक प्रकृति बिल्कुल समाप्त हो गई है । यदि हम इसको मानते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार को कुछ अधिक शक्ति

दी जाय जिससे वह इस प्रकार के तत्वों से निपट सके ।इसके साथ साथ हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिये कि हमारे विधान में प्रगति की भावना होनी चाहिये और इसका सबसे उत्तम उदाहरण हमारे संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में है । हमारे संविधान के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति मंत्री का पद प्राप्त कर सकता है । जब दण्ड प्रक्रिया संहिता और अन्य ऐसे कानून बनाये गये थे तो ऐसे आदर्श विद्यमान नहीं थे ।

(श्री खाडिलकर पीठासीन हुए
Shri Khadilkar *in the Chair*)

अब प्रश्न यह है कि हम इन कानूनों का किस भावना से पालन कर रहे हैं ? इसका पता उन दमनकारी कानूनों के प्रति हमारे रवैये से पता चल सकता है जो किसी भिन्न अभिप्राय और उद्देश्य से बनाये गये थे । परन्तु यहां दिये गये भाषणों से स्पष्ट है कि अब इनका दुरूपयोग हो रहा है । यदि हम इसका निरसन नहीं करना चाहते तो कम से कम हमें उसकी भाषा बदल देनी चाहिये । कई व्यक्तियों ने कहा है कि वह किसी भी व्यक्ति को इस धारा के अन्तर्गत जेल भिजवा सकते हैं । अब हमें यह देखना है कि ऐसा कानून, जिसका इस प्रकार दूरुपयोग हो रहा हो रहना चाहिये कि नहीं । अतः मेरा विचार यह है कि विमान की प्रगतिशील भादना जिसके हम समर्थक हैं, को देखते हुये उसको देखते हुये कि हमने स्वयं ऐसा विधान बनाया है कि जिसने मूल अधिकारों का अध्याय रखा है और इस चीज़ को देखते हुये कि हमने प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार दिया है, क्या ऐसा कानून रहना चाहिये जो आपराधिक जातियों को सुधारने के लिये बनाया गया था ? मैं श्री त्रिवेदी का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाय अथवा प्रवर समिति को सौंपा जांय ।

श्री म. ल. जाधव (माले गांव): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । इस धारा में लिखा है, "जीवन निर्वाह के प्रकट साधन" या उस व्यक्ति का निर्देशन दिया गया है जो अपने संबन्ध में संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सकता । किसी सदस्य ने कहा है कि हम किसी के अभिप्राय के सम्बन्ध में किस प्रकार जान सकते हैं ? उसके बारे में हम तथ्यों और परिस्थितियों से पता लगा सकते हैं। कई व्यक्ति भिन्न स्थानों पर अपना भिन्न नाम बताते हैं वह अपने घर के पते तथा रोजगार के संबन्ध में ठीक उत्तर नहीं देते। जब वह इन चीजों के संबन्ध में संतोषप्रद उत्तर नहीं देता तब पुलिस उसके विरूद्ध कार्यवाही करती है। यह धारा दाण्डिक नहीं वल्कि निरोधक है । जब तक पुलिस को निरोधक अधिकार नहीं दिये जायेंगे तब तक समाज विरोधी तत्वों को रोकना सम्भव नहीं है । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक लोगों के लिये समाज में रहना संभव नहीं होगा। कुछ लोग अपने निर्वाह के लिये ऐसे साधन अपनाना चाहते हैं जिनकी समाज स्वीकृति नहीं देता। ऐसे लोग समाज पर बोझ बन कर रहते हैं और इनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये ।

मेरे विचार में इस धारा के हटाने से समाज नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा। हो सकता है कि पुलिस ने कभी उसका दुरुपयोग किया हो । मैं इससे सहमत हूं कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये, इसलिये इस कानून में जो त्रुटियां हैं उनको पूर कर देना चाहिये ।

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad): Section 109 is a slur on our law and penal code and I feel this particular section has been misused more than any other section.

The persons who are apprehended under this section are those who have gone to some other place where they are not in a position to bring evidence to prove why they are there. I can give you an inst ance from personal experience.

Once at 2 A.M. I was going with a police officer when I found two policemen escorting a person. On enquiry they told that they found the person hiding and so they had arrested him. I took the person aside and asked him the reason for his arrest. He told me that he was arrested by the policemen while he was watching a football game, he had come to the city in search of a job. He gave me the description of the chowki where he had been detailed. Later on I verified the details and got him released.

The fact is that whenever the crime increases the higher authorities ask the police as to why they have not taken preventive measures. Then the police arrest some poor and helpless people and feel satisfied that they have done their duty. Generally the unemployed people who cannot show ostensible means of living are the victims of this section.

In this connection I can cite another instance. A relation of a police official approached him and told him that his two sons were unemployed. He challaned the two boys under section 109 and told their father that he had arranged for his sons' bread for one year. As such I am in favour of the removal of this section.

सभापति महोदय : विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था; केवल विधेयक को परिचालन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : फिर मैं परिचालन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर) : जहां तक कानून का सम्बंध है यह विल्कुल ठीक है और इसको हटाने से हमारे समाज के व्यवस्थित प्रगति में बाधा पड़ सकती है । हम एक व्यवस्थित समाज में रहते हैं और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि अपराधों को रोका जाना चाहिये । पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कैरों की हत्या और महासालिसिटर की हत्या ऐसे उदाहरण हैं जहां हत्या की पहले तैयारी की गई थी ? और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि यदि अपराध करने की तैयारी को रोका जाय । क्या आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को तभी पकड़ा जाय जब उसने अपराध कर लिया है ? मेरे विचार में कोई भी प्रगतिशील देश ऐसा नहीं सोचेगा कि पुलिस को अपराध रोकने की तैयारी को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

धारा 109 की उपधारा (क) इस प्रकार है :—

"कि यदि कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में अपने आपको छिपाने का प्रयत्म कर रहा है और मजिस्ट्रेट को विश्वास है कि वह ऐसा अपराध के करने अभिप्राय से कर रहा है ।"

श्री दी० चं० शर्मा को यह आपत्ति है कि इसमें मजिस्ट्रेट को बहुत विस्तृत अधिकार दिये गये हैं । परन्तु कहीं भी किसी मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को इतने विस्तृत अधिकार नहीं दिये गये हैं कि वह उनका स्वेच्छा से प्रयोग कर सके । उनको यह निर्णय किसी साक्ष्य के आधार पर करना पड़ता है ।

उप-खंड (ख) इस प्रकार है : "इस सीमा के अन्दर ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जीवन निर्वाह के प्रकट साधन नहीं है या अपने संबन्ध में वह संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सकता ।"

विधेयक के उद्देश्य और कारण के कथन में डा० लोहिया ने कहा है :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 109 किसी भी स्वाधीन देश के नागरिकों के स्वाभिमान के विरुद्ध है । इसमें बेरोजगारी को दण्डनीय अपराध करार दिया गया है, जबकि सरकार बेरोजगारों का दायित्व लेने को तैयार नहीं है । इसके अतिरिक्त इसमें अपराध नहीं बल्कि अपराध की सम्भावना को दण्डनीय बताया गया है जो विधिशास्त्र के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध है । जैसा कि मैंने पहले कहा देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिये अपराध की सम्भावना को रोकना भी आवश्यक है । डा० लोहिया ने यह भी कहा है कि बेरोजगारी को अपराध घोषित किया गया है । उनको शायद देश के कानून का पता नहीं है । देश के कानून अनुसार बेरोज़गारी अपराध नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में न्यायाधीश पेज के निर्णय से उद्धरण दे सकता हूं :

"बिना रोजगार के होना अपराध नहीं है । यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का साधन नहीं बता सकता तो उसको धारा 109 के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता, जब तक यह सिद्ध न किया जाय कि वह अनुचित उपायों से धन कमा रहा है ।"

अभियोक्ता को यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह अनुचित उपायों से धन कमा रहा है । अत: देश के प्रवृत्त कानून के अनुसार किसी के विरुद्ध आरोप लगाने मात्र से ही उसे नहीं मान लिया जाता । इसे न्यायालय के सामने सिद्ध करना पड़ता है । और जहां तक अपने सम्बन्ध में सन्तोषप्रद उत्तर देने का सम्बन्ध है, कोई भी न्यायालय, जब तक यह सन्तुष्ट न हो जाय उसे स्वीकार नहीं करेगा ।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने जेलों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जेलों में 50 प्रतिशत लोग धारा 109 के अन्तर्गत होते हैं । यदि जेलों के सर्वेक्षण के लिये कोई समिति नियुक्त की जाय तो यह पाया जायेगा कि जेलों में काम करने वाले कुम्हार, नाई, रसोइया और झाड़ू लगाने वाले सभी वही हैं जो धारा 109 के अन्तर्गत पकड़े गये हैं ।

मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दे सकता हूं । जब मैं कानपुर जेल में था तो हमने अधिक सुराहियों की मांग की । जेल अधीक्षक ने हमें बताया कि वह ऐसे कुम्हार की तलाश में हैं जो इनको बना सके । दो दिन के उपरान्त 13 या 14 व्यक्ति रानीगंज पकड़ कर जेल में लाये गये । मैंने सोचा कि हो सकता है वह धारा 109 के अन्तर्गत पकड़ कर लाये गये हों । और जब मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि वह धारा 109 के अन्तर्गत पकड़ कर लाए गये हैं ।

अत: यह निरोधक उपाय नहीं है । पुलिस इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिये प्रयोग करती है जो नौकरी की तलाश में हो । हाल ही में पंजाब के गृह मन्त्री ने पंजाब के सबसे बड़े तस्कर व्यापार करने वाले को एक फाइल पर लिखित सुरक्षा प्रदान की । जब पुलिस के महानिरीक्षक ने इस पर आपत्ति उठाई तो भी मन्त्री महोदय नहीं माने । अन्त में जब फाइल मुख्य मन्त्री के पास पहुंची तो वह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ । यदि धारा 109 का अपराध को रोकने के लिये प्रयोग करना है तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना चाहिये जिन्होंने देश का सत्यानाश किया हुआ है । परन्तु पकड़े जाते हैं बेकार तरुण या वह मजदूर जो गांवों से शहरों में काम की तलाश

[श्री स० मो० बनर्जी]

में आते हैं। और बेकार व्यक्तियों को जेल भेज कर सरकार उन्हें पक्का अपराधी बना देती है। मैं डा० लोहिया और श्री राम सेवक यादव को उस समस्या को प्रकाश में लाने की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस धारा को हटा दिया जायेगा। मैंने पंजाब के गृह मन्त्री द्वारा अपराधियों को सुरक्षा देने का उल्लेख किया था। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय गृह-कार्य मन्त्री इसकी जांच करें।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी) : इस विधेयक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के कथन ने यह लिखा है :

> "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 109 किसी भी स्वाधीन देश के नागरिकों के स्वाभिमान के विरुद्ध है। इसमें बेरोजगारी को दण्डनीय अपराध करार दिया गया है, जबकि सरकार बेरोजगारों का दायित्व लेने को तैयार नहीं है।"

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बज रही है. . . अब गणपूर्ति हो गई है।

श्री हाथी : इस विधेयक के प्रस्तावक के मुख्य तर्क यह है : कि यह किसी भी स्वाधीन देश के नागरिकों के स्वाभिमान के विरुद्ध है, दूसरे यह बेकार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है और तीसरे पुलिस इन शक्तियों का दुरुपयोग करती है।

जिन सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया उनमें से श्री त्रिवेदी और श्री चटर्जी के विचार उस धारा को हटाने के पक्ष में नहीं थे। किसी भी प्रकार की सरकार हो उसको ऐसी शक्तियां देना आवश्यक है जिससे वह देश में शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखे। इस धारा को हटाने के लिये मुख्य तर्क यह था कि पुलिस गरीब और निस्सहाय व्यक्तियों को तंग करने के लिये इस उपबन्ध का प्रयोग करती है। इस सम्बन्ध में धारा 109 का निर्देशन देना आवश्यक है जो दो भागों में विभक्त है। पहले भाग में यह लिखा है कि जब भी किसी मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिले कि उसके क्षेत्राधिकार में कोई व्यक्ति अपने आप को छिपाने आ प्रयत्न कर रहा है और उसे यह विश्वास हो कि वह कोई अपराध करने के हेतु यह कर रहा है; कि इस सीमा के भीतर ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जीवन निर्वाह के सन्तोषप्रद प्रकट साधन नहीं है अथवा अपने सम्बन्ध में सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे सकता, तो यह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह कारण बताये कि क्यों न उसे अच्छे आचरण के लिये बांड भरना पड़े। अतः यह कार्य कार्यपालिका का नहीं बल्कि न्यायपालिका का है। और हमारी न्यायपालिका स्वाधीन है। यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह व्यक्ति अपराध करने के अभिप्राय से अपने आप को छिपा रहा था अथवा वह अपने निर्वाह के साधन नहीं बता सकता। इसका सम्बन्ध बेकारी से नहीं बल्कि किसी और चीज से है। मजिस्ट्रेट को यह भी देखना पड़ता है कि पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को तो नहीं पकड़ रही जिससे उसकी शत्रुता है। यह देखना न्यायपालिका का कार्य है कि देश का कानून सरकार की लोकतन्त्रात्मक पद्धति और नागरिकों के अधिकार के अनुरूप कार्यान्वित हो।

अकेले पुलिस को या कार्यपालिका को यह अबाध अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे किसी व्यक्ति को फंसा लें और उसे जल में डाल दें। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है परन्तु केवल इसी कारण मुचलका देने के लिए नहीं कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया यह है कि उसे इस बात का कारण बताने के लिए कहा जाता है कि उससे सुव्यवहार के लिए मुचलका क्यों न लिया जाये। जब

तक मजिस्ट्रेट को आश्वासन न हो जाये कि उक्त व्यक्ति द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना है तब तक गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जायेगा। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है।

यह कहा गया है कि बेकार व्यक्तियों को फांस लिया जायेगा। हमें इसके अन्तर को बहुत स्पष्ट रूप में समझना चाहिये। यह बात नहीं है कि किसी व्यक्ति को केवल उसी कारण जेल भेजा जा सकता है कि उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। इस धारा का अभिप्राय यह है। यदि किसी व्यक्ति के रहन सहन का स्तर इतना ऊंचा है कि सामान्य रूप वह से वैसे नहीं रह सकता जब तक कि आय उसकी बहुत अधिक न हो। यदि वह जुआबाजी, चोरी के माल या तस्कर व्यापार से अपना निर्वाह करता है तो पूछे जाने पर वह ऐसा बता नहीं सकेगा। केवल आजीविका के स्पष्ट साधन न होना कोई अपराध नहीं है न ही ऊंचे स्तर का जीवन व्यतीत करना ही अपने आप में कोई अपराध है। इस धारा का प्रयोग तभी किया जा जाता है जब आजीविका के स्पष्ट साधनों के बिना ही कोई अच्छे स्तर का जीवन व्यतीत कर रहा हो। मैं चाहता हूं कि श्री चटर्जी तथा कोई अन्य सदस्य ऐसा कोई उदाहरण दें जिसमें किसी व्यक्ति को धारा 109 के अन्तर्गत केवल इसी कारण गिरफ्तार किया गया हो कि वह बैकार है।

श्री सरजू पाण्डेय : हम हजारों उदाहरण दे सकते हैं।

श्री हाथी : ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें केवल स्पष्ट साधन न होने के कारण किसी को गिरफ्तार किया गया हो। मैं ऐसे कई निर्णय बता सकता हूं कि जिनमें कहा गया है कि केवल निर्धन होना या बैकार होना अपराध नहीं है। इसलिए निर्वाह के बेईमानी वाले साधनों का प्रमाण न होने पर किसी व्यक्ति को मुचलका देने के लिए नहीं कहा जा सकता।

यदि कोई ऐसे मामले हों जिनमें धारा 109 का दुरुपयोग किया गया हो तो इन मामलों को देखना होगा। ऐसे मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालयों में जाने का अधिकार है कुछ सदस्यों ने कहा है कि बहुत से मामलों में मजिस्ट्रेट स्वतन्त्र नहीं हैं परन्तु जिला न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय तो स्वतन्त्र हैं। यदि पुलिस वाले शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो इस कारण अधिनियम का निरसन नहीं करना चाहिये बल्कि प्रशासन का सुधार करना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

यदि आप इस धारा का निरसन करेंगे तो अपराध को रोकने की कोई शक्ति नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति इस बात का विरोध नहीं करता है कि अपराधों को रोकने के लिए शक्ति दी जाये।

हम स्वतन्त्रता चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग जैसे चाहें अपने विचार व्यक्त करें या जैसे चाहें व्यवहार करें। व्यक्तिगत रूप से मैं यह नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर कोई रुकावट न हो। परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जो अपराध करने के आदी हैं। यदि हमारे पास ऐसे व्यक्तियों से निपटने के लिए भी शक्ति नहीं होगी तो हम अपराधों को रोक नहीं सकेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा ने पूछा है कि किसी के मनोभाव कैसे जाने जा सकते हैं। यह अभिप्राय जानने का प्रश्न नहीं है। मजिस्ट्रेट को साक्ष्य के आधार पर चलना होता है।

[श्री हाथी]

यदि धारा 109 को निकाल दिया जाये तो अन्य धाराओं में भी परिवर्तन करना होगा। आप यह भी कह सकते हैं कि धारा 110, 111 तथा 112 आदि का भी दुरुपयोग हो रहा है। हमने विधि आयोग को समूचे दण्ड प्रक्रिया संहिता की जांच करने का कार्य सौंपा है। समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुये हमें इसमें कुछ और अपराध शामिल करने हैं जिन्हें सामाजिक अपराध कहा जाता है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार के अपराध समाज के लिए अधिक खतरनाक हैं।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं अकेले धारा 109 को निकालने के लिए सहमत नहीं हूं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक को वापिस ले लें।

Shri Ram Sewak Yadav: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the party in power and the Ministers used to plead for deleting of section 109 before 15th August, 1947 but now they plead for its retention.

Rani of Singrauli has been assassinated but the officers and the police have not been able to trace the culprits. Perhaps the same thing is going to happen in the case of the murder of Mr. Kairon.

The poor people do not commit murder or smuggling. It is the people of high classes who indulge in the smuggling of opium or gold.

The rulings of the High courts quoted by the hon. Minister support our case. Under this section those people are arrested who do not have the money for food and clothing. They are not able to defend themselves for want of money. They cannot go to the High Court. They dont have even the resources to produce witnesses. The magistrates are under the administration. They are a sort of police magistrates. That results in misuse of power.

The question of administration has been raised. There are various provisions for facilitating the administration. Section 109 does not protect the society against offences, it rather makes the people criminals. There are other objectionable provisions as for example sections 107, 108 and 110 etc., but this particular section is used against the poor people.

The Government should protect the rights guaranteed under Article 19 of the Constitution. I urge that this Bill may be referred to a joint committee or circulated for elicting public opinion thereon.

उपाध्यक्ष महोदय : पहले में संशोधन मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे 1 अगस्त, 1965 तक परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद ७५ का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 75)

Shri Yashpal Singh (Kairana): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be takes into consideration". Many useful and innocent Bills been introduced by members of opposition parties which are in favour of Government but they are not accepted simply because these Bills have been introduced by Private Members. This is not a proper course adopted by Government. The present Bill, too, is very innocent in nature.

At a time when the whole nation is plunged in grief on the demise of our late Prime Minister, Shri Nehru, it is not proper to start a struggle for succession to the post of Prime Minister. Therefore to obviate such incidents it is desirable to evolve a set practice about succession, viz., the appointment of the senior most member of the Cabinet as Prime Minister for the time being.

Therefore I would request that this Bill may be accepted and constitution amended suitably so as to incorporate the provision that in the event of the death of a Prime Minister, the senior most member of the cabinet be made the Prime Minister for such time till a regular election is held by the party in power. This time-limit may also be prescribed and mentioned in the Constitution.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री दी. चं. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस विधेयक में उस सिद्धान्त को मान्यता देने का सुझाव है जिससे मन्त्रिमण्डल की एक विशेष स्थिति में उत्पन्न होने वाली समस्या स्वत: ही सुलझ सकेगी । चूंकि हमारा लोकतन्त्रीय संविधान है हमारे देश में बहुमत दल अपना एक नेता चुनता है जिसे राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिये कहते हैं । अत: सत्तारूढ़ दल का नेता प्रधान मन्त्री बनता है और वही सारे प्रशासन का मुखिया होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य कुछ और समय चाहते हैं ?

श्री दी. चं. शर्मा : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं । अब माननीय वित्त मन्त्री एक वक्तव्य देंगे ।

लोहा और इस्पात उत्पादों पर उत्पादन शुल्क की दरों में समायोजन

STATEMENT RE: ADJUSTMENTS IN RATES OF EXCISE DUTY ON IRON AND STEEL PRODUCTS

वित्त मंत्री (श्री ति० त०) कृष्णमाचारी : मैं सभा की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क की दरों के सम्बन्ध में, आय-व्ययक सुझावों में कुछ सविस्तार प्रविधिक समायोजन आवश्यक हो गए हैं। मुझे बताया गया है कि शुल्क के समान बनाने से 'हॉट रोल्ड स्ट्राइप्स' की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसे बजट से पहले 40 रुपये प्रति मेट्रिक टन का विशेष लाभ मिलता था परन्तु इसका विक्रय मूल्य 'स्केल्प' जितना था। नालियां बनाने में पत्रों की अपेक्षा स्केल्प का प्रयोग करने में कुछ स्वाभाविक लाभ है और इसी के परिणामस्वरूप स्केल्प का कुछ अधिक मूल्य न्यायोचित है।

2. इसलिये मैंने 'हॉट कोल्ड स्ट्राईप' पर शुल्क में 50 रु० की कटौती करने का निश्चय किया है और इसे 'हॉट रोल्ड शीट्स' के समान कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप परिवर्तन के तौर पर मेरा प्रस्ताव 'कोल्ड रोल्ड शीट्स' तथा 'सोल्ड रोल्ड स्ट्राइप्स' पर शुल्क में वृद्धि और इसके लिये 225 रु० प्रति टन की समान दर निश्चित करने का है। इसका अर्थ अधिसूचित प्रभावी दरों के अतिरिक्त 'कोल्ड रोल्ड शीट्स' के मामले में 75 रु० प्रति मैट्रिक टन की वृद्धि तथा 'कोल्ड रोल्ड स्ट्राइप्स' में 25 रु० प्रति मैट्रिक टन की वृद्धि होगी। मेरा प्रस्ताव 'कोल्ड रोल्ड शीट्स' तथा स्ट्राईप्स के लिये एक जैसी दर रखने का है क्योंकि इनके मूल्य लगभग एक से हैं। यह वृद्धि, वित्त विधेयक में प्रस्तावित अधिकतम सीमा पर दर जो 360 रु० प्रति मैट्रिक टन है, से काफी कम हैं।

3. यह परिवर्तन एक अधिसूचना द्वारा 6 मार्च, 1965 से लागू होंगे। इनसे राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राष्ट्रपति से संदेश

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष को राष्ट्रपति का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है :

"प्रिय अध्यक्ष महोदय,

"मैंने 17 फरवरी, 1965 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था उसके प्रति लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

स० राधाकृष्णन्।"

इसके पश्चात्, लोक-सभा सोमवार, 8 मार्च, 1965/ 17 फाल्गुन, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, March 8, 1965|Phalguna 17, 1886(Saka).

GMGIPIPND—LSIII—170(Ai) L.S.—2-7-65—600